राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का सप्तम् दिवस [संख्या ६

दिनांक ४ मार्च, शुक्रवार, १९६६

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

—०—

तारांकित प्रश्नोत्तर

(खाद्य, राजस्व, कृषि, शिक्षा, वन, सामान्य प्रशासन, सिंचाई एवं आयुर्वेद-विभाग)

राज्य में अनाज की कमी

११६. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में अनाज की कमी कितनी है?

(२) १९६५ वर्ष में विदेशी अनाज राज्य को कितना मिला तथा अन्य राज्यों से कितना मंगवाया गया?

(३) १९६५ वर्ष में कौन कौन सा व कितना कितना अनाज राज्य से बाहर भेजा गया? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) राज्य में अनाज की कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) इस साल की रबी व खरीफ के उत्पादन के आंकड़े जब तक संकलित नहीं हो जावें तब तक यह बताना कठिन है कि कुल अनाज की इस साल क्या कमी है।

(२) १,५१,८०० टन मिला, अन्य राज्यों से १,०५० टन चावल मंगाया गया।

(३) विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(४) राज्य द्वारा अनाज की कमी को पूरा करने के लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं:—

(१) सरप्लस जिलों से अनाज का निर्यात बन्द कर सरकार द्वारा अनाज की खरीद की जा रही है और इसे आवश्यकता वाले जिलों में वितरित किया जावेगा।

(२) सन् १९६५ में खरीदे हुए चने, ज्वार, मक्का व बाजरे को जनता में वितरित कराया गया, भविष्य में भी यह क्रम जारी रखा जावेगा।

(३) शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में आयातित गेहूं के वितरण हेतु नई सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जा रही हैं।

Page No. 2

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(४) केन्द्रीय सरकार से उचित मात्रा में आयातित गेहूं प्राप्त करने के प्रयत्न जारी रखे जावेंगे । केन्द्रीय सरकार से फरवरी माह में ३८,००० टन व मार्च में ४१,५०० टन आयातित गेहूं प्राप्त हुआ है । जिससे राज्य में अनाज की कमी काफी हद तक पूरी हो सकेगी ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री विजयसिंह झाला : अन्दाजन कितनी कमी है इसका आपने अनुमान लगाया है ? ताकि हमें मालूम हो सके जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिली या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि सदन को विदित है इस साल बरसात की कमी की वजह से रबी और खरीफ का उत्पादन–जो पिछली साल ५० लाख टन था–वह उत्पादन इस साल ३५ लाख टन होने का अनुमान है ।

कुल खपत राजस्थान में ४१.४२ लाख टन है और ३५ लाख टन होने का अनुमान है । छः–सात लाख टन डेफिसिट खरीफ और रबी की फसल में होने की गुंजाइश है जो आयातित गेहूं और दूसरी चीजों से पूरा करने की आशा है ।

श्री विजयसिंह झाला : इस छः–सात लाख टन कमी की आपने किस प्रकार और कितनी पूर्ति कर ली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी मैंने आपके सामने दो महीने के आंकड़े दिये हैं । गत दो महीनों में ८० हजार टन गेहूं हमारे यहां आया है । जनवरी में हमारे पास करीब २१–२२ हजार टन आया था इस तरह से करीब एक लाख टन अनाज आ चुका है ।

श्री विजयसिंह झाला : भविष्य में कमी की पूर्ति करने का भारत सरकार से आश्वासन मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भारत सरकार से ठीक ही आश्वासन मिला है, जैसे पहले हमें ३८ हजार टन अनाज दिया था उसके बाद ४१ हजार टन, पांच हजार टन माइलो दिया । स्केर्यसिटी की हालत में पूरी मदद दे रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस प्रश्न के भाग (४) में पूछा है उसके उत्तर में आपने बताया कि सरप्लस डिस्ट्रिक्ट से माल खरीदकर हम डेफिसिट क्षेत्रों में भेजेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स से कितना अनाज प्राप्त होने का अन्दाज है उसके अगेन्स्ट में कितनी मांग है और इन जिलों से कितना खरीदने की आशा करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: इस सम्बन्ध में विस्तार से मैं अपने भाषण में प्रकाश डालूंगा शाम को ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : भाषण का भाषण के स्थान पर महत्व है; इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसके अधार पर हम जानना चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर अनाज की जो कमी है उसको कैसे पूरी करेंगे ? आपने कहा कि जो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से खरीद कर कमी वाले क्षेत्रों में भेजेंगे, मेरा यह पूछना है कि सरप्लस एरिया से आप कितना अनुमान करते हैं अनाज प्राप्त करने का ?

Page No. 3

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने आपसे कहा, शाम को मैं सब आंकड़े आपके सामने विस्तार से रखूंगा आप उस समय तक शान्ति से बैठे रहिये।

श्री उपाध्यक्ष: जब भाषण के दौरान तथ्य आ जाते हैं,तो इस समय प्रश्न और करने की गुंजाइश नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इससे प्रश्न का महत्व कम हो जायेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा: जितना महत्व है उसके अनुसार उत्तर दे दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट; श्री जुझारसिंह ।

निःशुल्क भूमि प्राप्त करने के अधिकार एवं बेदखली के मामले

११७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ के अनुसार ग्राम में भूमि धारण करने वाले हर परिवार को मकान के लिये निःशुल्क भूमि प्राप्त करने का अधिकार है व क्या धारा ३१ में किये गये संशोधन द्वारा यह अधिकार कृषि श्रमिकों व ग्राम के कारीगरों को भी उपलब्ध करवा दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील रामगंज मंडी के ग्राम मोडक स्टेशन के अनेकों बेघरबार कृषकों, कृषि श्रमिकों या कारीगरों द्वारा मकान बनाने की जमीन उपलब्ध कराने हेतु तहसील पंचायतों में दरख्वास्त दी हुई हैं ? यदि हां, तो ऐसी कितनी दरख्वास्तें सरकार की जानकारी में हैं ?

(३) समय पर फैसला नहीं किये जाने के फलस्वरूप कितने ऐसे परिवारों ने सन् १९६२ के पहले व बाद ढाबा दह मोडक स्टेशन या दूसरे स्थानों पर अनधिकृत रूप से मकान बनवा लिये हैं ?

(४) प्रश्न के भाग (३) के उत्तर में बतलाये गये कितने परिवारों को तहसील रामगंज मंडी के तहसीलदार द्वारा बेदखली या जुर्माना की सजायें दी गई हैं और ऐसे व्यक्तियों की १९६२ से पूर्व की व १९६२ से बाद की अलग अलग कितनी संख्या है ?

(५) ढाबा दह मोडक स्टेशन खैराबाद व रामगंज मंडी तहसील के अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर चल रही इस प्रकार की बेदखली की कार्यवाहियों को रोकने के बारेमें सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं व भविष्य में लोगों को अधिकृत सीमा में मकान बनाने हेतु क्या सुविधायें दी जावेंगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां ।

(२) १० प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत व १४ तहसील में प्राप्त हुए । तहसील में प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्र पंचायत को स्थानान्तरित कर दिये गये ।

(३) कुल १६६ मकान अनधिकृत रूप से बनाए गए जो सभी सन् ६२ व उसके बाद के हैं ।

(४) ३ में बेदखली और ३७ व्यक्तियों को जुर्माने की सजा दी गई । १९६२ के ३ केस और बाकी सभी बाद के हैं ।

(५) तहसील रामगंज मंडी में बड़े पैमाने पर नहीं १६६ केसेज में से केवल ३ में ही बेदखली की गई है । नियमानुसार पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आव-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
आवश्यकतानुसार कृषि भूमि को यदि पंचायत पंजीकृत मूल्य देने को तैयार हो तो कलेक्टर महोदय द्वारा आबादी में परिवर्तित की जा सकती है ।

श्री जुझारसिंह : जो व्यक्ति आबादी की जमीन प्राप्त करने के अधिकारी हैं उनको सबको मिल चुकी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह कहना कठिन है; कितनों को चाहिए इसका हमें पता नहीं है।

श्री जुझार सिंह : १९९ केसेज आपके पास हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे हैं जिन्होंने राजस्व की बन्जर भूमि पर अनधिकृत रूप से मकान बना लिये थे। सेक्शन ३१ के तहत अधिकार है जमीन प्राप्त करने का लेकिन उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा था और मकान बना लिये थे । उस पर अधिकृत पट्टा पंचायत से चाहिये ? राजस्व भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ा किया था उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन १९९ केसों में ८५ केस तो १९६२ के हैं और बाकी के उसके बाद के हैं और हमने २४-४-६३ को एक सक्यूर्लर निकाला था कि ३१-१२-६२ तक किसी काश्तकार ने यदि धारा ३१ के तहत मकान बनाने का अधिकार है और सरकारी पड़त ओरस भूमि पर मकान भी बना लिया था उन सीमाओं के अन्तर्गत जो आदेश में कहा गया है तो उनको रेगुलराइज करने के प्रार्थना-पत्र देना चाहिये और १९९ मुकदमों में लोगों ने रेगुलराइज करने के प्रार्थना-पत्र दिये । इनमें से १०९ को रेगुलराइज किया जाकर बेदखल नहीं किया गया, कोई जुर्माना और पेनल्टी भी नहीं की गई । केवल ३७ केस ऐसे हैं जिनमें जितनी भूमि होनी चाहिये उससे अधिक थी इसलिए कुछ पर जुर्माने किये गए, बाकी बेदखल केवल तीन मामलों में हुए ।

श्री जुझारसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि मोडक ग्राम में सात हजार रुपया जुर्माना हुआ है उस जमीन पर मकान बनाने पर जिन पर कब्जा पंचायत ने दिया और उनके कहने से ही मकान बनाये, पर उस जमीन के लिये सरकार यह कहती है कि वह रेवेन्यू लेण्ड है इस वजह से जुर्माने किये गए और वसूली हुई । यह केस ६२ से पहले के हैं । आपने जैसा बताया कि एक्सेस जो जमीन थी उस पर ही जुर्माना हुआ है, यह सही नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी बात माननीय सदस्य बताते हैं कि ६२ से पहले के मामलों में यह हुआ तो ६३ के सक्यूर्लर में यह भी आदेश दिये हैं कि जिसमें कि पंचायत को जमीन बेचने का अधिकार नहीं था पर भूल से अनधिकृत रूप से ही सही, जमीन को बेच दी है काश्तकार को तो उन भूमियों का उस सक्यूर्लर के अन्तर्गत ऐतराज किया जाना चाहिए। और ३१-१२-६२ के पहले के ये मामले हैं तो निश्चित रूप से ये रेगुलराइज किये जा सकते हैं । इसलिये इस स्थिति में भी यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जुझारसिंह : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि ६२ के केस अगर ऐसे

(श्री जुझारसिंह)
हों तो क्या उनको जमीन पर हुआ वह जुर्माना वापिस करने को तैयार होगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है । अगर कोई केस ६२ से पहले का डिसाइडेड है और जो यह सक्यूर्लर आया है तो यह इस सक्यूर्लर की मंशा है कि decided case cannot be opened. पेंन्डिग हैं; उस पर यह लागू किया गया है । और यह भी बताया है कि अगर किसी का केस चालू है, पेंन्डिग है तो आवेदन–पत्र भी देने की जरूरत नहीं है और पेंन्डिग केस को ही रेगुलराइज करने की कोशिश की जावेगी ।

श्री जुझारसिंह : जब आपने काश्तकारों का यह अधिकार मान लिया है कि उनको एक उचित पैमाने पर फ्री जमीन मिलेगी मकान के लिये और उसके तहत अगर मांग करते हैं और मांग ही नहीं करते बल्कि पंचायतों द्वारा जमीन भी अलॉट हो गई है उस पर अगर उन्होंने मकान बना लिया है तो उनका कसूर नहीं है । पहले से ही पंचायतों को पैसा भुगता दिया है । पर इस सक्यूर्लर का नतीजा यह हुआ कि जिनके केस सैटल नहीं हुए और जिन्होंने पंचायतों को पैसा दे दिया पहले से जमीन है पर उनसे भी जुर्माना वसूल किया गया है, तो यह तो अनुचित बात है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अनुचित नहीं है, उचित है । जिस वक्त जुर्माना किया होगा उस समय जो कानून होगा उसके अन्तर्गत किया गया होगा ।

ये सारी कठिनाइयां सदन में भी आई सामने और सरकार के सामने भी आई थीं और इनको ही हल करने के लिये यह सक्यूर्लर निकाला है । पर यह सक्यूर्लर रिट्रोसपेक्टिव इफैक्ट से तो लागू नहीं किया जा सकता । जो जूडीशियल केस एक बार डिसाइड हो गये वे रीओपन नहीं कर सकते । हां, बाद की तारीख के मामले आते हैं ३१-१२-६२ के बाद के या उस दिन तक पेंन्डिग में भी थे तो उनका निर्णय इस सक्यूर्लर के तहत किया गया है जैसा कि इस संख्या से मालूम हो जाता है । १०६ केस रेगुलराइज किये गये । १७ पेंन्डिग में हैं और केवल तीन मामलों में बेदखली की कार्यवाही की गई । इस स्थिति से स्पष्ट है कि किसानों को इससे काफी लाभ मिला ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पंचायतों में बोनाफाइडी तरीके से कीमत देकर जमीन ले ली है और उस पर मकान बना लिए हैं उनको भी रेगुलराइज करने का क्या सरकार विचार कर रही है ? क्योंकि इसमें किसानों का तो कोई कुसूर नहीं है । उन्होंने पंचायत को पैसा दिया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सक्यूर्लर में यह भी है कि पहले के पेंन्डिग केसेज ६०-६१ के ५६ के जो सेक्शन ६१ के तहत जुडिशियल केस हैं उनमें डिसाइड कर दिया था, जो जुडीशियल तरीके से केस डिसाइड हो चुके वे इस सक्यूर्लर के तहत रीओपन नहीं हो सकते ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : दफा ३१ के तहत उसे निःशुल्क जमीन मिलनी चाहिये । पर उससे पंचायत ने नजराना वसूल करके पट्टा दिया है । अब अगर टीनेन्सी एक्ट में ३१ में बिना नजराना दिये जमीन लेने का अधिकार है

Page No. 6

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
और अगर वे उन्होंने लिए हैं तो यह विरोधाभास है पंचायत का और आपके रेवेन्यू का। उससे उनको वंचित किया गया है। उनको पंचायत में लिया गया रुपया वापिस दिलाया जाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायत विभाग किन शर्तों पर जमीन देती है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : ३१ में यह कहते है आप कि आबादी में इन शर्तों के तहत मकान बना सकेगा और निःशुल्क बनावेगा और ५५ से वह चल रहा है और पंचायत यह मानकर कि आबादी लैंड उनको ट्रान्सफर हो गया नजराना वसूल करती है और हजारों की तादाद में प्रत्येक गांव में नजराना वसूल कर चुकी है। अगर पंचायतें वसूल करती हैं तो ३१ का प्रावधान बेकार होगया और अगर आप बेकार मानते हैं तो किन अधिकारों से पंचायत ने लिया और क्यों नहीं वह उनको वापिस दिलाया जावे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वापिस दिलाये जाने का तो प्रश्न नहीं है। कई बार इस सदन में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्दर एमेन्डमेन्ट पेश किये गये हैं। उसकी रू से यह जो प्रोब्लम बताई गई है अब नहीं है। अब तो किसी योग्य भूमि पर मकान बनाना चाहे तो बिना कन्वर्शन कराये या नजराना दिये या बिना कुछ दिये और दो हजार की पोपुलेशन में तो बिना किसी को पूछे हुए ही ५०० स्क्वायर गज आबादी का मकान बनाने के लिये ५०० वाडे के लिए वह बना सकता है; इस तरह के नियम बन चुके है। लोग उनका लाभ भी उठा रहे हैं यह तो प्रश्न पुराना है। अब इस सम्बन्ध की दिक्कतें नहीं हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : पुराना नहीं है। ६२ से लेकर ६५ के वर्ष में ये केस हुए हैं। आपने ३१ में प्रावधान दिया कि निःशुल्क बना सकते हैं। पर नजराना पंचायतों ने इन सालों तक भी वसूल किया है और ३१ की दफा का उल्लंघन करते हुए किया है और यह प्रत्येक गांव का प्रोब्लम है और ६२ से ६६ के बीच में लिया है। सरकार इसकी जांच करावे कि पंचायत विभाग और रेवेन्यू विभाग के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही नहीं है यह और अनधिकृत वसूली नहीं हुई है। यह आपने कह दिया कि अब तो काश्तकार ओपनली खेतों में कर सकता है और कर रहा है, उसका लाभ उठा रहा है। पर प्रश्न मैं कर रहा हूं आबादी लैंड में। पंचायत वाले कहते हैं कि यह लैंड हमे ट्रांसफर हो गई इसलिए हमें नजराना उस पर लेने का अधिकार है और पट्टे भी उन्होंने जारी किये हैं। उनके लिए उन्होंने नियम भी बना रक्खे हैं और उन पंचायतों के नियम के तहत यह हुआ है तो ये दोनों कन्ट्रॉडिक्टरी बातें है। उनको अधिकार दफा ३१ के तहत नहीं मिले हैं और बराबर हजारों रुपया पंचायतों ने वसूल किया है। इसका समन्वय करके, जांच करके आप कुछ करेंगे कि दफा ३१ लागू होगी या पंचायतों के नियम लागू होंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन दोनो चीजों का समन्वय करने के लिए नया कानून रेवेन्यू लाज कमीशन की ओर से प्रस्तावित किया जा रहा है। उसके पारित हो जाने पर यह सारी कठिनाइयां जो समन्वय के अभाव में आप अनुभव कर रहे हैं, वे दूर होंगी।

श्री जुझार सिंह : इससे भी वे दूर नहीं होंगी ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : वे अभी दूर नहीं हुई हैं । दरअसल आपका रिकार्ड सही नहीं होने से पंचायतों ने बापी पट्टा किया है और नाजायज कब्जे के रूप में चला आ रहा है । उस पर सक्यूलर लागू नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अब रेवेन्यू मंत्री महोदय कह चुके हैं कि रेवेन्यू कमीशन की रिपोर्ट के बाद में जो कुछ भी कानून आवेगा उससे यह कठिनाई ठीक हो जावेगी ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : उस में यह समस्या हल नहीं होती । उसकी जानकारी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी है । पिछली कार्यवाहियों का क्या होगा, आगे के समन्वय के लिये बनावेंगे, यह तो ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !! यह तो प्रिजम्पशन हो जाता है । जो रेवेन्यू कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक विचार करके किया जा सकता है । ऐसे मामलों में जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किये गये हैं । तो वह मामला अभी विचाराधीन है । उसके लिये आप थोड़ा ठहरें । नेक्स्ट ।

श्री जुझारसिंह : मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर अवश्य ध्यान देंगे ।

नल कूप योजना

११८. **श्री रावतराम (सादूलपुर) :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) भारत सरकार द्वारा संचालित नल कूप योजना के अन्तर्गत, जो राजस्थान सरकार की देख-रेख में चल रही है, कितने नल कूप भारत सरकार ने दिये हैं ?

(२) सरकार ने उक्त नल कूपों का जिलेवार बंटवारा किस आधार पर किया है और प्रत्येक जिले को कितने कितने नल-कूप दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) चूरू जिले के कौन कौन से गांवों में नलकूपों का कार्य चल रहा है और उसका आज तक क्या परिणाम रहा है तथा और किन किन गांवों में इसका कार्य चालू किया जावेगा?

(४) जिन गांवों में नलकूपों का कार्य चल रहा है उनकी प्रगति से क्या सरकार सन्तुष्ट है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह): (१) कुल २५० ?

(२) कोई बंटवारा नहीं किया गया, नलकूपों का निर्माण साइट सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) जी हां ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रावतराम : यह साइट सिलेक्शन कमेटी कौन सी है ?

श्री भीमसिंह : इसमें कलेक्टर और जिला प्रमुख दोनों की सलाह देकर जो

(श्री भीमसिंह)

Under ground water board है वह जगह तय करता है ।

श्री रावतराम : आपने जो लिस्ट दी है यह पढ़ने में नहीं आती है लेकिन सक्सेसफुल ट्यूबवैल्स इसमें लिखा है इसमें से चूरू, सरदारशहर, रतनगढ़ आदि पांच-सात नाम लिखे हैं तो सवाल यह कि इन जगहों पर तो पहले ही मीठा पानी है और प्रर्याप्त मात्रा में है । मेरे कहने का मतलब यह है कि ट्यूबवेल्स वहीं होने चाहिए जहां कि आसपास के गांवों में पानी खारा है । इस लिस्ट में जैसे भालरी दिया है तो यहां तो पानी बिल्कुल खारा निकला है तो जहां पहले से ही मीठे पानी की व्यवस्था है वहां आप यह ट्यूबवैल्स क्यों खुदवाते हैं और जहां खारी पानी हैं वहां क्यों नहीं खुदवाते, इसका क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह २५० नलकूप की योजना है उसके पीछे दो-तीन दृष्टिकोण हैं जिनकी वजह से इस योजना को स्वीकृत कराया गया है और जिनके ऊपर काम चालू है । इस योजना के पीछे एक तो वह एरिया जो कि राजस्थान में भूमि के नीचे पानी जहां बहुत तादाद में है और ऑलरेडी जहां पर पानी है वहां पर नलकूप बनायें, बड़े पैमाने पर सिंचाई की स्थिति में सुधार करने के लिए – तो एक तो यह दृष्टिकोण है । दूसरे इसके पीछे एक यह भूमिका है कि जो एरियाज राजस्थान में खासतौर से रेगिस्तानी इलाके हैं और जहां पीने के पानी की तकलीफ है और जहां खारी पानी ऊपर के लेबल पर निकलता है वहां नीचे पानी मीठा निकल सके और चाहे जितनी सीमित मात्रा में-३ हजार, ४ हजार, ५ हजार गेलन–जितना भी निकल सके वह निकाला जाये और वहां के लोगों को पीने के पानी की तकलीफ न हो और उसकी उचित व्यवस्था करना दूसरा उद्देश्य है । इस तरह से जहां एप्रूव्ड एरियाज है जहां नलकूप बनाये जा रहे हैं वहां पर सिंचाई के दृष्टिकोण से कि कितनी सिंचाई कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से वे नलकूप बनाये जा रहे हैं । तो इसके ऑब्जेक्ट्स दो हैं–एप्रूव्ड एरियाज में इरिगेशन के लिए कूए बनाना और जहां ड्रिंकिंग वाटर नहीं है वहां पर अन्य अप्रूव्ड एरियाज में सर्वे करके उसकी व्यवस्था करना । इसके लिए कहीं नीचे जाकर पानी पीने का निकल सकता है और इर्रिगेशन का भी पानी निकल सके तो भी व्यवस्था करना-यह दो दृष्टिकोण हैं। अब इन दृष्टिकोणों से जितनी आवश्यकता हो उतने ही पोइन्ट्स पर टेक्नीकल नोट वहां के कलेक्टर और जिला प्रमुख से बात करके उन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं।

श्री रावतराम : यह तो ठीक है। आपने दूसरी बात बताई कि जहां खारी पानी है वहां पर और नीचे खोद कर मीठे पानी को निकाला जाता है लेकिन चूरू जिले में जो कि बिल्कुल ही रोड साइड्स पर गांव हैं, जहां आलरेडी मीठा पानी है वहां भी खोदे गए हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने कहा कि इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो इर्रिगेशन के लिए बनाये जाते हैं कि उससे कितनी सिंचाई हो सकती है और जहां पानी है वहां पर कितनी मात्रा में है और ट्यूबवैल्स वहां पर लगाये जायें और पावर से उनको कनेक्ट करें तो सूखे इलाके में क्या

Page No. 9

(श्री नाथूराम मिर्धा)
फसल पैदा की जा सकती है: इसलिये भी कुए खोदे जाते हैं।

श्री रावतराम: यही निवेदन कर रहा हूं, जहां बहुत दूर दूर खारी पानी के कुए गांवों में हैं और जहां कि पीने के पानी के सोर्स हैं तो वहां पर यह स्कीम लागू होनी चाहिये और आपने यह स्कीम वहीं लागू की है जो गांव बिल्कुल ही रोड साइड पर हैं। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका बहुत ज्यादा है . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : वैसे तो राजस्थान बहुत लम्बा-चौडा है इसलिये २५० ट्यूबवैल्स से काम नहीं चलने वाला है। यह तो पहली किश्त है और पहली किश्त में जितने पॉइन्ट्स को टच कर सकते हैं उतना किया जा रहा है। राज्य अधिकारी और लोकल रिप्रेजेन्टेटिव की सलाह से जितने पॉइन्ट्स जिन जगहों पर सम्भव हो सकते हैं उनको लेते हैं। यह योजना फिर आगे भी चलेगी।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : इस योजना के अन्तर्गत हमारे झुंझुनू जिले में कोई नल कूप नहीं खुदे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : झुंझुनू जिले में भी हैं और इस में कई जगह बने हैं।

श्रीमती सुमित्रा : इसमें झुंझुनू जिला नहीं है। उसमें ७ जिले और हैं लेकिन झुंझुनू नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो लिस्ट दी जाती है वह अंग्रेजी में दी जाती है, तो भविष्य में इस प्रकार की सूची हिन्दी में होनी चाहिये। दूसरा प्रश्न यह है कि यह बिल्कुल पढी नहीं जाती है। तो यह सूची इन्फोर्मेशन के लिए दी जाती है। कम से कम यह स्पष्ट हो तो हम उन्हें देख करके सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन पूछ सकें, तो भविष्य में एक तो हिन्दी में आये और दूसरे साफ हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सरकार इनका अवश्य ख्याल रखेगी।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान

११६. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रिवाइज्ड पे स्केल सन् १९६१ के अन्तर्गत तृतीय वेतन श्रृंखला में बिलाड़ा तहसील की भावी, बाला और पीच्याक की पाठशालाओं के कितने अध्यापकों को उनका वेतन या वेतन का बकाया (एरियर) अभी तक नहीं मिला है?

(२) ऐसे सभी अध्यापकों को उक्त नई वेतन श्रृंखला में कब फिक्स किया गया? तथा फिक्सेशन की तारीख से आज तक उन्हें उनका एरियर न देने का क्या कारण हैं तथा इसका दायित्व किस पर है?

(३) बकाया राशि उन्हें कब तक मिल जायेगी तथा भविष्य में ऐसे विलम्ब को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) रिवाइज्ड पे स्केल १९६१ में बाला एवं पीच्याक की माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों का फिक्सेशन किया जाकर उनके एरियर की रकम का भुगतान किया जा चुका है। भावी की जूनियर माध्यमिक शाला की सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी?

Page No. 10

(शिक्षा मंत्री) श्री बृजसुन्दर शर्मा

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : क्या यह सही है कि बाला स्कूल के अध्यापक श्री शिवसिंह चोयल को एक साल से उनका एरियर नहीं मिला है और वह बराबर इसके लिए डिप्टी डाइरेक्टर को लिखते आ रहे हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बाला स्कूल में जिनका फिक्सेशन हुआ और एरियर्स जिन लोगों ने ड्रा किया वह है सोहनलाल हैडमास्टर, श्री जसराज असिस्टेन्ट टीचर, रमजान खां, जौहरीलाल, आदि; यह लिस्ट वहां की है। अगर कोई व्यक्ति हो जिसको नहीं मिला हो तो उसकी जानकारी कर ली जायेगी।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : श्री शिवसिंह चोयल।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं जानकारी करके बता दूंगा। अब केवल फिक्सेशन के ३६७ केसेज बाकी रह गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सम्पूर्ण राजस्थान में?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां, सम्पूर्ण राजस्थान में। वह मैं समझता हूं कि महीने, डेढ महीने में कम्पलीट हो जायेंगे।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : बाला मिडिल स्कूल है उसकी सूचना कब तक दे देंगे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह जूनियर हायर सेकेन्डरी से परिवर्तित हुई तो उसके बाद में उसके सारे पेपर्स डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के यहां चले गये तो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स में यह सूचना नहीं मिल सकी है तो वहां से मंगवा कर सूचना दे देंगे।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : उपाध्यक्ष महोदय, सन् ६१ में मिडिल स्कूल थी और फिर यह परिवर्तित होकर माध्यमिक शाला बन गई, तो कहीं वह अध्यापकों के केसेज उसी झगड़े में तो नहीं डुल रहे हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हो सकता है इसके आसपास ही कारण हो। लेकिन सूचना जो मंगाई गई थी जोधपुर से मंगवाई थी और इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, जोधपुर से मंगाई थी; इसलिए क्योंकि सूचना इन्सपेक्टर के यहां पूरी नहीं थी, जूनियर हायर सैकन्डरी होने की वजह से एडीशनल डाइरेक्टर के यहां से मंगवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल। मानिकचन्द सुराणा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : प्रश्न संख्या १२१।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मानिकचन्द सुराणा यहां इस सदन की कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए निलम्बित किए गए लेकिन जो सार्वजनिक हित के प्रश्न हैं और जो प्रश्नों की सूची में सम्मिलित कर लिए गए हैं उनके संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि जिस

(श्री विजयसिंह झाला)
समय श्री मानिकचन्दजी सुराणा ने प्रश्न दिया था उस समय वह मेम्बर की कैपेसिटी में थे और जितने भी माननीय सदस्य यहां से निलम्बित किए गए उन्होंने प्रश्न दिये हैं, उनको हाउस में पूछने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि वह आज नहीं, यह प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं। माननीय सदस्य जो निलम्बित हो चुके हैं वह जब तक निलम्बित नहीं हुए थे उस समय तक उनको पूर्ण अधिकार थे कि वह अपने प्रश्न भेज सकें, पूछ सकें या नहीं आयें तो किसी को ऑथोरिटी दे दें। अब चूंकि उनको यह अधिकार नहीं हैं कि वह किसी को ऑथोराइज कर सकें निलम्बित अवस्था में इसलिए 'In the Absence of authority' उनके प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : यह ऑथोरिटी पहले की तारीख की होगी। इसमें तारीख दी गई है।

हाई स्कूल का हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तन

१२२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब-तहसील इन्द्रगढ़ की हाई स्कूल का भवन और वहां की जन संख्या हायर सेकन्डरी स्कूल के लिए पर्याप्त है ?

(२) क्या सरकार यहां की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तन करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी नहीं। मोजूदा हाई स्कूल भवन हाई स्कूल के लिए पर्याप्त नहीं है। हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने के लिए छात्र संख्या पर्याप्त नहीं है।

(२) जनता द्वारा अब तक कोई मांग नहीं आई है। निर्धारित नियमों के अनुसार हाई स्कूल, इन्द्रगढ़ हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने के फिलहाल योग्य नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : अभी जो मंत्री महोदय ने बताया कि इस जगह हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के लिए कई कई बातें बताई हैं तो ये सब बातें असत्य हैं। वहां पर हायर सेकन्डरी खोलने के लिए वहां की जनता की काफी मांग है। इसके साथ जहां जहां पर स्कूल खुले थे वहां वहां पर हायर सेकन्डरी स्कूल हो गए हैं फिर मालूम नहीं क्यों यहां पर ही सरकार हायर सेकन्डरी स्कूल क्यों नहीं खोलना चाहती, जब कि वहां की जनता की इसके लिए बड़ी मांग है। या यह सवाल है कि क्योंकि यहां से जन संघ जीत कर आता है इसलिए वहां पर नहीं खोलेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : वहां की हाई स्कूल की छात्र संख्या क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : १६७।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि अन्य जगहों पर सौ छात्र संख्या होते हुए भी हायर सेकन्डरी स्कूल खुल गए हैं ? आपके बूंदी के पास ही नमाणा गांव में हायर सैकन्डरी स्कूल है।

Page No. 12

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नमाणा गांव में हायर सैकन्डरी नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तो कौन सी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मिडिल स्कूल है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि इन्द्रगढ़ सरीखे कस्बे में जो बूंदी से और कोटा से तथा दूसरी हायर सेकन्डरी स्कूल इटावा से काफी दूर पड़ता है, ऐसे मुख्य स्थान पर हायर सेकन्डरी स्कूल खोली जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन्द्रगढ़ से तो लाखेरी नजदीक है। अगर उधर हायर सेकन्डरी स्कूल खुलने का प्रश्न आएगा तो पहले लाखेरी में खुलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

सलूम्बर एवं सराड़ा में भूमि का अलॉटमेंट

११३. श्री मावा (सलूम्बर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सलूम्बर व सराड़ा क्षेत्रों के जंगलों में काफी भूमि काबिल काश्त है ?

(२) क्या सरकार ऐसी भूमि को अलॉट करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(२) भूमि को अलॉट करने का काम राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। कुछ भूमि जो काबिल काश्त है उसको हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। राजस्व विभाग द्वारा हस्तान्तरित होने पर अलॉट की जा सकेगी।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): सरकार के पास कितनी एप्लीकेशन्स आई इसके लिए, आदिवासियों की तरफ से भूमि एलॉटमेंट करने के लिए ?

श्री भीखाभाई : दरख्वास्तें जो आती हैं वे फोरेस्ट विभाग के पास नहीं आती हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : आदिवासियों ने इसके लिए दरख्वास्तें दी हैं, हम लोगों ने दिलवाई हैं। वहां पर कई बीघा भूमि काश्त हो सकती है। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र ही इस बारे में कार्यवाही की जावे। मैं समझता हूं कि अगर गरीब आदिवासियों को भूमि दी जावे तो उनको भी राहत पहुंचेगी और अनाज की पैदावार भी बढ़ेगी।

श्री भीखाभाई : जहां तक आदिवासियों को भूमि मिलने का सवाल है इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि उनको भूमि मिलनी चाहिए। लेकिन पहले वहां पर ऐसा हुआ कि जो अच्छे-अच्छे सवर्ण लोग थे, चाहे वे कल्टीवेटर न हों उन लोगों ने पुराने जमाने के सामन्ती तरीके से, और और तरीकों से जमीन जब्त कर ली।

एक माननीय सदस्य : हरिदेवजी ने ली होगी।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं ली होगी, उनके बाप-दादों से उनको मिली होगी तो इसमें उनका कोई कुसूर नहीं है। मैं आपसे कहूंगा

Page No. 13

(श्री भीखाभाई)

कि सवाल आज के जनतंत्र का है। हम उनको भूमि देना चाहते हैं। इसके बारे में कलेक्टर को आदेश भी जारी कर दिए हैं, डी. एफ. ओ. को आदेश जारी कर दिए हैं लेकिन जिस प्रकार से भूमि निकलनी चाहिए उस प्रकार से नहीं निकल रही है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, जो भी यहां पर माननीय सदस्य बिराजे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिला स्तर पर अभी तक जहां-जहां पर फोरेस्ट एरिया है, पहाड़ी एरिया है उस तरह का, उसको रिलीज़ करने के लिए कलेक्टर और डी. एफ. ओ. को आदेश जारी कर दिए हैं और इसके बारे में फिर नए सिरे से आदेश जारी किये जायेंगे कि जो जमीन काबिल काश्त है वह रिलीज़ की जानी चाहिए ......

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह भाषण तो आपका बहुत लम्बा हो गया है, आप तो यह बताइए.....

श्री जोर्वसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ये गलत बात कह रहे हैं। मैं स्टेट के समय की बात बताता हूं कि उस समय भी यह था कि कोई भी आदिवासी जहां भी चाहे खेती कर सकता था, उसको वहां भूमि पाने का अधिकार था। मेवाड़ सरकार में इसी प्रकार का कानून था, मैंने अपनी आंखों से देखा है।

श्री भीखाभाई : आप पुराने जमाने की बात कर रहे हैं....

श्री जोरसिंह चौहान : मैं पूछना चाहता हूं कि इन १८ सालों में जंगलात से भूमि निकाल कर कितनी भूमि वनवासियों को दी है आपने ?

श्री भीखाभाई : बीस हजार की तो डूंगरपुर जिले की ही बात कह सकता हूं, मैं दूसरे की बात नहीं कहता, डूंगरपुर में ही बीस हजार दी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या यह सही कि टोंक जिले में ही काफी ऐसा इलाका है जो खेती के लिए उपयुक्त है? वहां पर वन विभाग की ओर से प्लांन्टेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी फोरेस्ट विभाग ने कब्जा कर रखा है ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

संकटकालीन स्थिति में उत्तम सेवायें करने वाले अधिकारियों को पदोन्नति

१२४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देश की संकटकालीन स्थिति में जिन सिविलियन अधिकारियों ने उत्तम सेवायें की थीं उन्हें सम्मान, पदोन्नति आदि देकर प्रोत्साहन देने का सरकार ने विचार किया था ?

(२) यदि हां, तो क्या सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से राज्य सरकार ने ऐसे अधिकारियों के नाम मांगे थे ?

(३) यदि मांगे तो फिर उस ओर आगे क्या किया गया ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) इस विषय में कोई विशेष नीति निर्धारित नहीं की गई किन्तु जिन कर्मचारियों अथवा अधिकारियों ने उक्त स्थिति में श्रेष्ठ कार्य

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
किया उनकी सेवाओं की सराहना प्रशंसा-पत्र जारी कर या पदोन्नति कर की गई है।

(२) जी हां।

(३) कर्मचारियों के कार्य को देखते हुए २० अधिकारियों को प्रशंसा-पत्र दिए गए व १८ पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति की गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वे कौन से जिले के हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रशंसा-पत्र पाने वाले जिलों में वह भी जहां माननीय सदस्या गई थीं, आपका गंगानगर जिला और दूसरे जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर; ये ही जिले तो हैं।

एक माननीय सदस्य : ये तो चूरू भी गई थीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहां तो प्रश्न संकटकालीन स्थिति का है।

श्री अब्दुल जब्बार : यह प्रश्न भी आपकी कन्सेन्ट से ही रखा गया दिखता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इन सब जगहों के अधिकारियों को पुरस्कार अनुपात से दिये जाने का प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : पुरस्कार दे दिये गए हैं या दिए जायेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बहुत से दे दिए गए हैं और अवशेष दिए जा रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : बाकी को अब तक नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दस्तखत होने बाकी हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : श्रीमान् के दस्तखत।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जनता के सेवकों के दस्तखत होने हैं, श्रीमान् के नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : रावतसर के अधिकारियों की पदोन्नति की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन से अधिकारियों को ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : रावतसर के अधिकारियों को।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रावतसर के कौन से अधिकारी हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप जानते ही नहीं हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अधिकारियों को नहीं जानता हूं। आप नाम बताइए उनके।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब आप जानते ही नहीं तो बस खत्म हुआ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : जिन अधिकारियों ने पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान की हद में जाकर अच्छा काम किया है उनको भी तरक्की नहीं दी गई है। सिर्फ उनको एक दो अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धियां दी गई हैं लेकिन उनको आगे की स्टेज पर पदोन्नति नहीं दी गई, जैसे इंस्पेक्टर को डिप्टी सुपरिटेंडेंट को या इसी तरह की और कोई पदोन्नति नहीं की गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पदोन्नति की गई है और की जाने का विचार है।

श्री झुझारसिंह : जिन्होंने कॉन्स्टेंट ब्रेवरी का काम किया है और जिसको राजस्थान सरकार ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है उनको भी तरक्की नहीं दी गई है, एक-दो ग्रेड इन्क्रीमेंट दे दिए गए हैं लेकिन तरक्की नहीं दी गई है, क्या ऐसे केसेज़ हैं ?

श्री जोधसिंह चौहान : वोट दिलायेंगे तब पदोन्नति मिलेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सिविलियन अधिकारियों की पदोन्नति की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

लूनी नदी पर बांधों का निर्माण

१२५. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील सांचोर में लूनी नदी पर "नेयड क्षेत्र" में कहां २ बांध बांधने निश्चित किए गए हैं ?

(२) उन बांधों से अनुमानित कितनी भूमि पर लूनी नदी का पानी फिर सकेगा ?

(३) उपरोक्त बांधों का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ? क्या सरकार उपरोक्त बांध आने वाली वर्षा से पूर्व बांध कर सम्पूर्ण करवाने का प्रयत्न करेगी ?

(४) क्या यह सत्य है कि ऐसे कम कीमत के बांधों से हजारों साल से पड़ी हुई भूमि काश्त के अन्दर आ जावेगी और इससे "नेयड क्षेत्र" आबाद हो जावेगा ? अगर हां, तो ऐसी महत्वपूर्ण योजना का कार्य क्या सरकार शीघ्र सम्पूर्ण करवाने की व्यवस्था करेगी ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) तहसील सांचोर में लूनी नदी पर "नेयड क्षेत्र" में निम्न स्थानों पर बांध बनाने की योजना है:— (१) रतनपुरा गांव के पास (२) गोमी गांव के पास (३) केसुरी गांव के पास।

(२) क्रमशः ३२१,१७२ व १२६ एकड़ भूमि में पानी फिर सकेगा।

(३) प्रयास ऐसा ही किया जा रहा है कि आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व कार्य पूर्ण हो सके।

(४) ऐसी आशा की जाती है यदि समयानुसार वर्षा हो। उपयुक्त कार्यों को शीघ्र सम्पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सबसे बड़ा बांध है सूजां का कलां उसके बारे में क्या इन्फोर्मेशन है। ये छोटी-छोटी स्कीमें राज्य सरकार पूरी कर दे तो ज्यादा से ज्यादा एरिया इससे इनन्डेट होगा।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा)। सूजां का कलां जिसका आप बात कर रहे हैं, ये तीन बांध जिनके बारे में अभी सूचना दी है हम बनाने जा रहे हैं और जो चीतलवाना के पास बांध पिछले साल बनाया जा चुका है इनसे किस तरह से पानी फैलता है और किस तरह का असर इनसे होता है, इसको देखने के बाद सूजां के कलां पर फिर से विचार करेंगे। इसका सर्वे करवा लिया है।

• श्री रघुनाथ बिश्नोई : अकेला सूजां का कलां है वह आगे रन ऑफ कच्छ से लगता है इसलिए यह खतरा नहीं है कि इसको बांधा गया तो पानी की मात्रा क्या होगी ? इस एरिया में जितने बांध बनेंगे उनमें पानी इससे निकल कर जायगा, आगे नमक का क्षेत्र आता है इसलिये आगे के एरिया को नुकसान होने की संभावना नहीं है । इसलिये जब कि आपका सर्वे हो चुका है, अधिकारियों ने जो लिखा है उस की क्या आप जानकारी करेंगे कि क्या कारण है इसको अभी नहीं बनाने का ? पानी नहीं जायेगा या संभावना क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस एरिये में ३ बांध पंचायत समिति ने बंधायें हैं और ३ हम बंधा रहे हैं और १ लास्ट ईयर बन चुका है, इस तरह से ये जो ७-८ बन चुके हैं उनके रिजल्ट्स हम देखेंगे तब उससे पता चल सकेगा कि पानी की मात्रा कितनी होगी और उसके अनुसार अगले साल के बारे में विचार करेंगे । वरना काम यदि अभी शुरू कर भी दें तो भी बरसात से पहले नहीं करवा सकेंगे । ऐसे कच्चे काम बरसात से पहले पूरे नहीं कर सकें और बरसात से फिर टूट जायं तो उससे क्या फायदा; क्योंकि कच्चे बनाने हैं । इन तीनों की लागत ५२०००) है और लास्ट ईयर चीतलवाना का कच्चा बांध बनवाया था उसमें १ लाख २१ हजार खर्च हुए । उससे १८००० एकड़ जमीन में पानी का सैलाब हुआ और वहां पर बहुत बढ़िया फसल खड़ी है जिससे कम से कम २० मन एक बीघा में प्रोडक्शन होगा । ये जो पांच-सात बांध बांधे हैं उसका परिणाम आ जाये कि कितना पानी सैलाब करता है। उसको देखकर आगे की जो साइट हमारे पास हैं उस पर बाद में विचार करेंगे ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: ३ बांध पंचायत समिति ने बनवाये थे उनके बारे में इरिगेशन वालों की सलाह नहीं थी इसलिये वे तो खत्म हो गये । आपके विभाग के द्वारा जो बने हैं वे ठीक हैं लेकिन आगे सूजां को कलां वाले में पानी का फ्लो बहुत कम रहेगा । पीछे से पानी जो बच कर आवेगा उसके बारे में एस्टिमेट्स बनवा कर काम शुरू करवा दें तो इससे बहुत फायदा होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : बरसात से पहले इसको बनवाना संभव नहीं है । यह बहुत बड़ा काम है इसलिये अभी शुरू करके इसको बरसात से पहले पूरा नहीं कर सकते । जितना लेबर और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसके हिसाब से बरसात के पहले पूरा नहीं कर सकते और शुरू करके अधूरा नहीं छोड़ना चाहते ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस समय गुजरात में अकाल है और एरिया के आस-पास भी अकाल है, इसलिये लेबर मिलने में कठिनाई नहीं है । इसके आस-पास का एरिया १८००० एकड़ जमीन का है और इसका लेवल ऐसा है कि थोड़ा पानी रोका जाय तो पानी फैलाया जा सकता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा :- मैं फिर बात कर लूंगा, संभव होगा तो विचार करेंगे, लेकिन मुझे बताया गया है कि बरसात से पहले संभव नहीं है ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या वह बांध बांधने से सब एरिया पूरा सिंचित हो जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोशिश यही कर रहे हैं, एक्सपेरिमेन्ट कर रहे हैं इस एरिया में जितना पानी उपलब्ध है वह इकट्ठा हो जाये और ज्यादा से ज्यादा एरिया को सैलाब कर सकें इसलिये ये सारे बांध बनवा रहे हैं। यदि यह स्कीम सक्सैसफुल हो जाती है तो २ लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने की संभावना है।

प्रश्न संख्या १२६

अलॉट शुदा जमीनों का कब्जा

१२६. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मौजा देवगढ़ (प्रतापगढ़) जिला चित्तौड़गढ़ में आराजी नम्बर १ रकबा १२०० बीघा तथा आराजी नम्बर १३१ रकबा ७५० बीघा में से सन् १९५८ में ६५ मीणे-भगत लोगों को जमीनें अलॉट हुई हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि जरिये रसीद नम्बर ४ से ३४ तक बही नम्बर १७२०७ तारीख २३-२-५९ को रु० ४६८.५० अलॉट शुदा उक्त जमीन पर खड़े दरख्तों की कीमत जमा कराई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त अलॉट शुदा जमीनों का कब्जा आज तक उन लोगों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? व अब कब तक कब्जा दिया जायेगा ?

(४) क्या यह सही है कि पटवारी हलका बसन्तीलाल शर्मा इन लोगों से ३०००) रु० रिश्वत मांगता है ?

(५) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में केस नम्बर १।६३ सरकार बनाम भावदिया वगैरह तहत धारा १४७ चल रहा है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जिला चित्तौड़गढ़ मौजा देवगढ़, तहसील प्रतापगढ़ में आराजी नम्बर १ व १३१ में से सन् १९५८ में ६५ मीणे-भगत लोगों को भूमि अलॉट हुई है।

(२) जी हां।

(३) जी हां। फोरेस्ट विभाग के झगड़े की वजह से कब्जा नहीं हो सका और काफी कार्यवाही के बाद जिलाधीश ने यह मामला लोकल फोरेस्ट कमेटी को सुपुर्द कर दिया है। फोरेस्ट कमेटी की मीटिंग का निर्णय होने के बाद फोरेस्ट डिमार्केशन लाइन का मामला तय होते ही सम्बन्धित व्यक्तियों को कब्जा दे दिया जावेगा।

(४) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(५) एक केस प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ में चल रहा है।

श्री अब्दुलजब्बार : किस सम्बन्ध में केस चल रहा है, क्यों चलाया गया और उसका बैक-ग्राउण्ड क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केस का बैक-ग्राउण्ड मुझे मालूम नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार: क्या यह बतायेंगे कि जमीन अलॉट किस आधार पर हुई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दफा (१) में हुई थी।

श्री अब्दुलजब्बार : किसने अलॉट की थी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि पैरा ५ में हवाला है कि रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ की कम्पलेन्ट हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ठीक है । इसमें बात यह कि यह जमीन बिना नाम से दर्ज थी इसलिए रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ ने अलॉटमेन्ट अलॉटमेंट कमेटी से कराया, लेकिन साथ ही साथ फोरेस्ट सेटलमेन्ट के हिसाब से फोरेस्ट के रेकार्ड में यह जमीन दर्ज थी और इस पर पेड़ वगैरह लगाये हुये बताये जाते हैं। फोरेस्ट विभाग ने कहा कि यह जमीन हमारी है। इस वजह से, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के झगड़े की वजह से एलॉटीज को कब्जा नहीं दिया जा सकता इसलिये सरकार ने फोरेस्ट कमेटी को मामला सुपुर्द किया । उन्होंने इसको रेवेन्यू विभाग को हस्तान्तरित करके कब्जा देने की सिफारिश की । अब यह अलॉटमेन्ट कमेटी के सामने है। जल्दी ही कार्यवाही मुकम्मिल करके कब्जा देने की कोशिश की जायेगी ।

श्री अब्दुलजब्बार : मीणा-भगत लोगों को प्रतापगढ़ पेशी पर मारा-मारा फिरना पड़ता है इसलिए ८ दिन के भीतर उनको कब्जा दिलाने की कार्यवाही करें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आप ८ दिन की बात करते हैं मैंने ७ दिन में कार्यवाही करने को कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

हाईस्कूल, भींडर के अध्यापक

१२७. **श्री उदयलाल वर्दिया** (नसाहिबा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भींडर, जिला उदयपुर के हाई स्कूल में २४-७-६४ से ३१-७-६४ तक कोई हड़ताल छात्रों की ओर से हुई थी ? यदि हां, तो उनकी क्या क्या मांगें थीं और उनकी पूर्ति हो गई या नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि वहां पर हाई स्कूल में १४ अध्यापक भींडर निवासी हैं और उनमें से कुछ लोग साइड बिजनैस करते हैं और कुछ लोग परीक्षा पास कराने के नाम से भ्रष्टाचार करते हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि कुछ लड़कों के फैल होने के कारण कुछ अध्यापकों से स्थानीय जनता ने भ्रष्टाचार से लिया हुआ पैसा वर्ष १९६४ में वापिस वसूल किया था ?

(४) क्या यह भी सही है कि कई अध्यापक पांच वर्ष से ही अधिक समय से वहीं पर नियुक्त हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापक हैं और उनको वहां से नहीं हटाने का क्या कारण है, और अब उनको कब तक हटा दिया जावेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां । विद्यार्थियों ने उपसंचालक एवं निरीक्षक के सम्मुख वहां के कुछ अध्यापकों के खिलाफ कुछ मौखिक शिकायतें की थीं जिनको दूर कर दिया । कोई लिखित मांग विद्यार्थियों द्वारा नहीं पेश की गई थी ।

(२) इस समय भींडर निवासी केवल ८ अध्यापक हैं और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है ।

(३) फैल हो जाने के कारण वापिस पैसे लौटाने पड़े हों, यह बात नहीं

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
थी वरन् एक अध्यापक ने बिना आज्ञा के प्राइवेट ट्यूशन की थी जो नियमानुकूल नहीं थी अतः अध्यापक द्वारा जितना पैसा लिया गया था वापिस लौटा दिया गया और उस अध्यापक को वहां से स्थानान्तर कर दिया गया ।

(४) इस समय भींडर निवासी केवल २ अध्यापक हैं जो ५ वर्ष से अधिक समय से वहीं हैं। उनका कार्य सन्तोषजनक है तथा उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक अध्यापक को ५ साल से अधिक समय से एक स्थान पर न रखा जाये, किसी अध्यापक के खिलाफ शिकायत सिद्ध होने पर स्थानान्तर कर दिया जाता है ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह बताया गया कि प्राइवेट ट्यूशन की थी, मंत्रीजी यह बतावें कि वहां पर एक एक मास्टर के पास कितने कितने ट्यूशन थे और विद्यार्थियों ने आवाज उठाई तब कितना पैसा वापिस दिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग प्रश्न पूछा जाय । जिस मास्टर ने बिना इजाजत ट्यूशन की थी उसने जो पैसे लिये थे वह वापिस लौटाये हैं ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या वहां पर विद्यार्थियों ने हड़ताल नहीं की थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप पहले जवाब सुना करें ।

श्री अब्दुलजब्बार : प्रश्न के (३) भाग में सवाल यह आता है कि कितने अध्यापकों से पैसे वापिस लिये ? क्या कारण था ? यह प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि इस प्रकार का तरीका बहुत प्रचलित है, विद्यार्थी लूटे जा रहे हैं, ५०-५० ट्यूशन एक-एक अध्यापक करते हैं। विद्यार्थी ट्यूशन इसलिये करते हैं कि नहीं करेंगे तो फेल कर देंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इसके लिए बहुत सीरियस हूं और माननीय सदस्य ५० ट्यूशन करने वाले एक भी अध्यापक का नाम साबित कर दें तो मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा ।

श्री अब्दुलजब्बार : निम्बाहेड़ा में आप सीक्रेट जांच के लिये आपके किसी प्रतिनिधि को पहुँचा दें और जांच करालें; कितने-कितने विद्यार्थी एक-एक अध्यापक के पास पढ़ने जाते हैं, इससे आपको पता लग जायेगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं जानकारी चाहती हूं, सरकार की नीति क्या है स्थानीय मास्टरों को उसी जगह रखने की है या और जगह भेजने की है? सैद्धांतिक नीति क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सैद्धान्तिक रूप से यह है कि मास्टर अच्छा हो तो वह अपनी जगह पर ज्यादा अच्छा काम कर सकता है और यदि मास्टर खराब हो तो वह किसी जगह पर भी अच्छा काम नहीं कर सकता ।

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जब एम. एल. ए. शिकायत कर रहा है और एम. एल. ए. के पास एप्लीकेशन आई हुई है,

(श्री जोधसिंह चौहान)
तो मैं नहीं समझता कि हमारे मंत्री महोदय क्यों नहीं ध्यान देते और यह कहते हैं कि उनके पास शिकायत नहीं है। जब कि इस बात के खिलाफ स्कूल के लड़कों ने हड़ताल की थी, तो उसे शिकायत क्यों नहीं मानते हैं, और इसको उनका विरोध क्यों नहीं मानते हैं और क्यों यह कह कर टालते हैं कि लिखित में एप्लीकेशन नहीं थी? विद्यार्थी भोले हैं, अध्यापकों ने उनको आश्वासन दिया था....

श्री उपाध्यक्ष : No speech please. That's all.

श्री जोधसिंह चौहान : कि उनकी बात मानली जायेगी। लेकिन बाद में नही मानी। तो क्या आप हड़ताल को शिकायत नहीं मानते....

श्री उपाध्यक्ष : आप यह स्पीच में कहें। ऑर्डर प्लीज़!

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, वहां के अध्यापक कांग्रेस का प्रचार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़! भाषण है क्या?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ट्यूशन करने की जो मनोवृत्ति अध्यापकों में चल रही है क्या उसको रोकने के लिए आपने कोई नियम वगैरह बनाये हैं?

श्री दलपतसिंह : क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश भेजे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! One question is already there.

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न यह है कि क्या ट्यूशन-प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने कोई आदेश बनाये हैं या भेजे हैं?

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश दिये हैं कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में कोई मास्टर ट्यूशन करता है तो वह स्कूल के हैड मास्टर से पूछ कर ट्यूशन करे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां। ऐसे आदेश हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जानना चाहता हूं जो ट्यूशन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है अध्यापकों में उसको रोकने के लिए आपने कोई कदम उठाये हैं?

श्री दलपतसिंह : क्या यह सही है कि ट्यूशन वृद्धि....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री दलपतसिंह : मामला ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, जो गम्भीर है....

श्री उपाध्यक्ष : Enough questions have been asked. That's all.

श्री दलपतसिंह : जब दूसरे माननीय सदस्य बोलते हैं तो उनको समय मिल जाता है, लेकिन मैं एक सैकिण्ड का समय चाहता हूं और मेरा बहुत राइट प्रश्न है और जिस तरह मुझे बोलना चाहिए उस तरह मैं निवेदन कर रहा हूं। आप की आज्ञा हो तो मैं निवेदन कर दूं।

क्या यह सही है कि इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने आदेश दिये हैं कि जो मास्टर प्राइवेट ट्यूशन करेंगे वह स्कूल के

(श्री दलपतसिंह)
हैड मास्टर के आदेश प्राप्त करने के बाद कर सकेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हैड मास्टर की इजाजत के बाद ही कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यदि कोई नहीं लेते हैं तो क्या निकाल दिये जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी।

चरागाह की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

१२८. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) तहसील बसवा क्षेत्र में कितनी चरागाह भूमि पर अनधिकृत कब्जा है और उस पर काबिज लोगों से गत तीन वर्षों में पेनल्टी लगान के रूप में कितना रुपया वसूल किया गया है ? और कितने लोगों का अनधिकृत कब्जा हटाकर जमीन खाली कराई गई है ?

(२) कितनी चरागाह भूमि पर काबिज लोगों ने, जो तीन वर्षों से अधिक समय से काबिज हैं, कुए खोद कर जमीन को चाही बना रखी है तथा ऐसे कितने काबिज व्यक्ति हैं जिनका कब्जा सम्वत् २०१२ से लगातार चला आ रहा है ? क्या सरकार ऐसे लोगों के कब्जों को नियमित करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील बसवा में ७६६ बीघा १ बिस्वा चरागाह भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। काबिज लोगों से गत तीन वर्षों में यानि २०१९, २०२० व २०२१ में पेनल्टी के रूप मे ३७५०.६६ पैसे वसूल किए गए हैं।

२१ व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा ६३ बीघा ७ बिस्वा भूमि मे हटाया गया।

(२) २२७ बीघा १३ बिस्वा चरागाह भूमि पर ४० व्यक्तियों का कब्जा तीन वर्षों से अधिक समय से है और इन्होंने कुए खोद कर जमीन को चाही बना लिया है।

सं० २०१२ से ६१ व्यक्तियों का कब्जा है। जिन आसामियों ने अपने खेतों के संलग्न गोचर भूमियों में कुए बना लिए हैं उनको तहसीलदार द्वारा अपने विवेक से २५ रु० प्रति कुआ फीस लेकर सम्बन्धित आसामियो के नाम किया जा सकता है। गोचर भूमि को अनधिकृत रूप से कृषि के काम में लाये जाने के लिए नियमन किया जाना सम्भव नही है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी आपने पहले प्रश्न के जवाब में बताया ७६६ बीघा, मैं यह कहूंगा कि यह जो आंकड़े हैं वह बिल्कुल गलत हैं। इस तहसील के अन्दर ३,७७८ बीघा जमीन के ऊपर, चरागाह भूमि की ३,७७८ बीघा जमीन के ऊपर अनधिकृत कब्जा है। इसके लिए तीन मर्तबा सदन में मैं प्रश्न कर चुका हूं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें कलेक्टर, एस० डी० ओ० और तहसीलदार बैठ कर भी जांच कर चुके हैं, और जो आंकड़े दिए हैं उनके मुताबिक ही कार्यवाही हुई है और यह जवाब दिया गया है कि इतनी बड़ी तादाद के अन्दर हम निकाल नहीं सकते जब तक कि राज्य सरकार से हमको पुलिस की

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
मदद न मिले। मैं यह कहूंगा आपको कि यह जो आंकड़े दिये गये हैं यह बिल्कुल गलत हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके तहत एक गांव में, मैं आपको गांव का नाम बतलाऊं

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

पूरी गांव में, उपाध्यक्ष महोदय, एक एक गांव में ८००–८०० बीघा चरागाह भूमि की है जिसके ऊपर अनधिकृत कब्जा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है, आप तो भाषण कर रहे है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका प्रश्न मैं समझ गया हूं। मैं जवाब दे दूं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने जो जवाब दिया है यह बिल्कुल गलत है। आप जांच करके इसके मुतल्लिक कोई कार्यवाही करके, दुबारा मीटिंग करके सारे तैयार करने के लिए कार्यवाही करने के लिए कदम उठायें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): आप वकील हैं, आप जानते हैं जिनका पुराना कब्जा है उनको पुलिस की मदद से कैसे हटायेंगे ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : नियमित तो किया जा सकता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका कहना यह है कि कुछ ज्यादा जमीन, जो चरागाह की है, पर नाजायज कब्जा किसानों का है। इसका मैंने जो जवाब दिया उसके लिए आपने कहा कि कम बतलाई है जमीन। मैंने इस प्रश्न के सम्बन्ध में डिटेल्ड छान-बीन करके सारे का गोशवारा तैयार करवाया है कि कितने आदमियों के किस साल से कितनी जमीन कब्जे में है, कितने हटाये गये हैं और कितने कम हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही चल रही है ? इस तरह से ४७ गांवों में जो जमीन का क्षेत्र बतलाया उतनी ही नाजायज़ कब्जे में है, जिसमें से जितनी ले ली गई है वह मैंने बताया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या यह सही है कि आपके पास आंकड़े आये हैं वह केवल उस भूमि के हैं, उन गांवों के हैं, जो सैटलमेंट के अन्दर चरागाह के अन्दर एन्टर्ड हैं उसके बाद प्रस्तावित चरागाह, सिवाय चक जमीन पंचायतों को चरागाह के लिए अलॉट हो गई है और जिस पर १९६० से अधिकार चल रहा है, उसके आंकड़े नहीं आये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आंकड़े उस भूमि के हैं जिसको कानून में गोचर भूमि कहते हैं ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : वह ज़मीन खसरे में एन्टर्ड है। दो तरह के चरागाह एन्टर्ड हैं, यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक तो सैटलमेंट से एन्टर्ड चरागाह हैं और दूसरे सवाय चक भूमि चरागाह में परिणत करके जो कागजों में दिया है, उसको प्रस्तावित चरागाह के लिए लिख रखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह चरागाह जब तक सैंक्शन्ड चरागाह नहीं होता है तब तक नहीं माना जा सकता है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : वह हो चुका है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप कहते हैं कि नाजायज कब्जा कर लिया। लेकिन जब तक सैंक्शन्ड चरागाह नहीं हो मैं नहीं कह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
सकता कि इस केस में क्या हैं, लेकिन चरागाह तभी होता है जब सैंक्शन्ड हो जाता है। अगर नहीं है तो विला नाम भूमि है, जिसके लिए चरागाह का प्रस्ताव है, वह नहीं बना है, इसलिए इसका मामला बिला नाम की जमीन के हिसाब से रेगुलराइज होने की बात है। यह हो सकता है उस चरागाह के सम्बन्ध में जो सैंक्शन्ड चरागाह है, जो चाहे सैटलमेंट या चाहे सैकिण्ड टू सैटलमेंट रैवेन्यू अधिकारियों द्वारा डिक्लेअर किया गया हो।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : वह खसरे में दर्ज हो चुका है सैंक्शन्ड होकर; आप चाहें तो मैं फिगर दे सकता हूँ, आपको जानकारी दे सकता हूँ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप फिगर देंगे ऐसी जमीन के बारे में तो मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा। आप कल दे दीजिये तो मैं परसों कर लूंगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : दूसरा प्रश्न मेरा यह है......

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) **:** एक प्रश्न मेरा है......

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने यह कहा कि जो कुए चरागाह भूमि के अन्दर सम्वत् २०१२ से हैं उनको तहसीलदार द्वारा अपने विवेक से २५ रु० प्रति कुआ फीस लेकर सम्बन्धित आसामियों के नाम किया जा सकता है। इसके मुतल्लिक आपने आदेश भेज दिये हैं या नहीं ? अगर भेजे हैं तो कब तक नियमित किये जा सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कई बार इस विषय पर कह चुका हूँ, १ जून, १९६५ को हमने कुओं के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है, उसके बारे में हम क्या चाहते हैं, उसका इस सारे मामले में एक स्पष्ट सर्क्यूलर निकाल दिया है जो सभी सम्बन्धित........

श्री विजयसिंह झाला : कुओं के सम्बन्ध में सवाल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कुओं का सवाल नहीं है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : चरागाह पर कुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप पूरा सुनने की कोशिश करें, इस सर्क्यूलर के हिसाब से जो कुए किसी के द्वारा गोचर जमीन में, किसी चरागाह में खोद लिये हैं तो वह रेगुलराइज हो सकते हैं। कोई यह चाहे कि घोषित चरागाह होते हुए भी नाजायज तौर पर कुए बना ले या उसकी काफी जमीन पर कब्जा कर ले तो जमीन को वह रखना चाहे और कुए को वह रखना चाहें तो उसके सम्बन्ध यह सर्क्यूलर मदद नहीं करता है, ऐसा मैंने स्वयम् ने अपने जवाब के आखिर में कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) **:** इसमें यह कठिनाई हो रही है। यह प्रश्न उठा है साहब हमारे जिले के अन्दर जहां जब पूछा जाता है कि चरागाह की भूमि निकाल दी, तो उत्तर मिल जाय कि चरागाह कायम कर दिया है। लेकिन न वहां मवेशी चर सकते हैं, न सवाई चक रहता है। तो जो प्रस्ताव था चरागाह का उसको कब तक करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पोहूमल ईसरदास।

(१२.०० मध्यान्ह)

सिन्धी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के आदेश

१२६. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि देहली, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश प्रान्तों ने जहां सिन्धी काफी संख्या में हैं, सिन्धी विद्यार्थियों को सेकेन्डरी स्कूल तक मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दिये जाने के आदेश जारी किये हुए हैं ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने अभी तक शिक्षा विभाग को ऐसे आदेश क्यों नहीं जारी किये ?

(३) इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है तथा कब तक ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) महाराष्ट्र व गुजरात में नोन गवर्नमेंट सेकेन्डरी स्कूलों में सिन्धी मीडियम को मान्यता दी गई है और उनको इस आधार पर ग्रान्ट-इन-एड भी दी जाती है। दिल्ली तथा मध्य प्रदेश प्रान्तों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (१) महाराष्ट्र व गुजरात में नोन-गवर्नमेंट सेकेन्डरी स्कूलों में सिन्धी मीडियम को मान्यता दी गई है और उनको इस आधार पर ग्रान्ट-इन-एड भी दी जाती है। दिल्ली तथा मध्यप्रदेश प्रान्तों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(२ व ३) ऐसे आदेश जारी कर दिये हैं कि सेकेन्डरी शिक्षा की स्टेज में निम्न भाषाओं में हर एक जिले के एक सरकारी हाई या हायर सैकन्डरी में यदि वहां पर कक्षा ६ से ८ तक ६० छात्र या कक्षा ६ में १५ छात्र हों तो उनकी मातृभाषा के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाये। ये आदेश जुलाई ६६ से लागू किये जा रहे हैं।

१. उर्दू (२) पंजाबी (३) सिन्धी (४) गुजराती।

एक माननीय सदस्य : यह पढ़ावेगा। कौन ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यापक पढ़ावेंगे।

श्री पोहूमल ईसरदास : यह आदेश सभी सरकारी स्कूलों के लिये हैं या एडेड स्कूलों पर भी लागू होंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी यह सरकारी स्कूलों के लिये है।

श्री पोहूमल ईसरदास : एडेड स्कूलों के लिये भी क्या यह लागू होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडेड स्कूलों ने अभी इन भाषाओं को मान्यता नहीं दी है।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या सरकार उनको लिखेगी कि वे भी इसको मान्यता दें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सरकार इस पर विचार करेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या सरकार ने चारों भाषाओं के जानने वाले अध्यापकों का प्रबन्ध कर दिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रबन्ध कर दिया जायेगा।

Page No. 25

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसके लिये कितने छात्र होने पर प्रबन्ध किया जाएगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कक्षा ६ से ६ तक ६० छात्र होने चाहिये या कक्षा ६ में १५ छात्र होने चाहिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : राजस्थान में कितने राजस्थानी बोलने वाले हैं और क्या सरकार उनके लिये कोई विचार करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में माननीय सदस्या जोर न दें ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता हो या नहीं हो इसके बारे में आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : व्यक्तिगत विचार कोई ताल्लुक नहीं रखते ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप इसको राजस्थानी भाषा मानते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने पहले निवेदन किया कि आप इस बारे में जोर न दें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र व गुजरात ने नॉन गवर्नमेन्ट सेकन्डरी स्कूलों में सिन्धी मीडियम को मान्यता दी है, जैसा कि आपके जबाव में आया है, उनको वहां के जवाबों से आप कैसे कम्पेअर करते हैं और यहां आपने बात कही उसमें क्या सुविधा है ?

(२) दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि आपने छात्रों की गिनती की बात कही कि इतने छात्र होने चाहिये । गिनती के बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में आपने यह किया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सभी सरकारी स्कूलों में प्रबन्ध किया जावेगा या एक स्कूल में ही प्रबन्ध किया जावेगा ? सभी जगह के छात्र एक साथ आ नहीं सकते । क्या सरकार ऐसा डिक्लेअर करेगी कि इन इन स्कूलों में यह प्रबन्ध किया जायेगा ताकि ये लोग वहां, जा कर पढ़ सकें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक ही स्थान पर एक ही स्कूल का प्रबन्ध होगा । जैसे अजमेर है, एक ही स्कूल ऐसा रखा जा सकता है और वह भी संख्या पर निर्भर करती है । ग्रान्ट-इन-एड की स्कूलों में निर्धारित तादाद छात्रों की रखी है वही लागू होती है, वरना ५ लड़कों पर ही क्लास खोल दें तो हम उसके लिये कोई गारन्टी नहीं ले सकते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि कक्षा ६ और ७ से नेशनेलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं ? क्या आपने इन विषयों पर भी नेशनलाइज्ड पुस्तकें छपवाली हैं या लिखवाली हैं; अगर नहीं तो फिर कैसे पढ़ाई जावेंगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर आवश्यकता ऐसी पुस्तकों की हुई तो उनको प्रिंट करा भी जावेगी । कोई भी नेशनेलाइज्ड बुक्स से पढ़ाया जा सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेपर कैसे सेट होगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हिन्दी में सेट होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारा का सारा ट्रांन्सलेशन होगा; क्या इसकी व्यवस्था की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वही पेपर उनका होगा और वही पेपर उनका होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट ने अभी तक इसको पूरी तरह से स्टडी नहीं किया मालूम होता है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गवर्नमेंट ने पूरी तरह से स्टडी किया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या सरकार के पास इस प्रकार की इन्फोर्मेशन है कि अजमेर और जयपुर में इन क्लासों में पढ़ने वाले सिन्धियों के बच्चों की क्या तादाद है और अगर उनसे ओपशन लिया जावे तो आपको ग्रान्ट-इन-एड देने के लिए कितने स्कूलों की जरूरत पड़ेगी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो अलग प्रश्न है । जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है हमने प्रबन्ध कर दिया है । एडेड स्कूलस हैं वे कक्षाएं शुरू कर देंगी तो कितनी ग्रान्ट-इन-एड होती है वह देखेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आपने स्पष्ट नहीं बताया । आप यह कहें कि ग्रान्ट-इन-एड करवा देंगे ताकि जो प्राब्लम हमारे सामने है वह ठीक हो जावे और जो रिलीफ सरकार विशेष रूप से सिन्धियों के बच्चों को देना चाहती है उसके लिए उनको मालूम हो जावे कि कितनी संख्या है और अगर पूरी संख्या नहीं है तो उसे पूरा करें नहीं तो उनको दिक्कत आयेगी और जिन स्कूलों में सिन्धी बच्चों को सुविधा दी जावे वे सब एक साथ इकट्ठे हों । कोई ६ मील से आवेगा नहीं । इसलिए सारा ढांचा इकट्ठा करना चाहिये ।

दूसरा आपने यह नहीं बताया कि महाराष्ट्र ने क्या किया है और अपनी सरकार ने इसको महत्व दिया है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यहां पर गुजरात में स्कूलों को ग्रान्ट-इन-एड देना स्वीकार कर लिया है । अभी यह प्रश्न हमारे सामने नहीं आया । सामने आने पर विचार किया जावेगा ।

दूसरी बात यह है कि जुलाई, ६६ से क्लासेज शुरू होंगी तो वह ओपशन रहेगा और जो भी स्कूल्स रहेंगे उससे उनको सुविधा होगी ।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या सिन्धी भाषा को स्थान मिलेगा ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या १३० बहुत इम्पोर्टेन्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है; यह तो सदस्यों के सहयोग की बात है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय के द्वारा तो प्रश्न १२।। बजे तक पूछे गये थे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): जरूरी काम करना हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : यह काम जरूरी नहीं है क्या ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भू० पू० जागीरदारों को एलॉटमेन्ट

१२१. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:–

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्रों में कितने भू० पू० जागीरदारों को कुल कितनी जमीन एलॉट की गई है ?

उत्तर

(१) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में ८२१ भूतपूर्व जागीरदारों को कुल ४०,६७५ बीघा जमीन एलॉट की गई ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति क्षेत्र कामां के बांधों की रिपोर्ट

२४. **श्री मजलिसखां** (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इरिगेशन अलवर ने दिनांक २३-११-६५ को पंचायत समिति, कामां के ग्राम खेड़ा-गढी, भोजपुरी, बासोली, खोहरा, मांची, औलन्दा पहुँच कर नवीन बांधों के निर्माण होने के मौके देखे है ? यदि हां, तो आपने राज्य सरकार को उक्त बांधों के विषय में कोई रिपोर्ट पेश की है ? यदि हां, तो रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर मे अधिशासी अभियन्ता, अलवर के प्रतिवेदन पर विचार कर आवश्यक आज्ञा-पालनार्थ सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी गई है इसकी सूचना सदस्य महोदय को भी अधिशासी अभियन्ता अलवर के नं० ११६५ दिनाङ्क ७-२-६६ से डाक द्वारा भेज दी है।

प्राइवेट कैटल ब्रीडिंग फार्म्स

२५. श्री **दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में अब तक कितने प्राइवेट कैटल ब्रीडिंग फार्म्स रजिस्टर किये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि अब तक कई प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए विभाग में विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इनके रजिस्ट्रेशन में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

कनवास क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाएं

२६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति सांगोद के कनवास रेवेन्यू इन्सपेक्टर सर्किल में लघु सिंचाई की क्या संभावनायें है और विभाग द्वारा अब तक कौन-कौन सी योजनाओं का सर्वे किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में ऐसे बहुत से पुराने तालाब हैं, जैसे दांता का तालाब, बास्या हेडी का तालाब, डोबड़ा का तालाब, जिनसे किसी समय सिंचाई हुआ करती थी और जो अब बेकार पड़े हैं ? यदि

Page No. 28

(श्री कुम्भारसिंह)
हां, तो क्या इन तालाबों की मरम्मत कराना सरकार के विचाराधीन है ?

(३) पुरानी कनवास तहसील में अरू पोखल्या, ऊरना व रीछो आदि ऐसे नालों को जिनमें साल के अधिकांश महीनों तक पानी बहता रहता है, सिंचाई की दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए अब तक विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या करने का विचार है ?

उत्तर

(१) इस क्षेत्र की अधिकतर भूमि कुओं या तालाबों द्वारा सिंचित होने की संभावना है। इस विभाग द्वारा सावन भादों नाम की एक मध्यम श्रेणी की योजना का सर्वेक्षण कराया गया है। काली सिंध नदी के पानी से भी इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए सर्वेक्षण किया गया था, परन्तु कोई उपयोगी योजना का बनना संभव नहीं हो सका।

(२) जी हां, इस क्षेत्र में दांता का तालाब, वास्या हेड़ी एवं किशोर सागर आदि तालाब हैं जो बहुत पुराने हैं। सरकार इन तालाबों की मरम्मत कराने की संभावना के बारे में छानबीन कर रही है।

(३) अरू नाले पर एक मध्यम श्रेणी बांध बनाने के लिये कई स्थानों पर विस्तृत छानबीन की गई, किन्तु कोई भी बांध के लिए उपयोगी स्थान नहीं मिल सका। अब अन्य नालों पर बांध बनाये जाने के बारे भी विचार किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त हाल ही में इन नालों पर लिफ्ट द्वारा सिंचाई साधन प्राप्त करने के लिए सर्वे प्रारम्भ किया गया है।

जिला बांसवाड़ा के अकालग्रस्त गांव

२७. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बांसवाड़ा के कितने गांव अकाल ग्रस्त माने गये हैं और सरकार ने उन गांवों के अकाल पीड़ित लोगों के लिये राहत कार्यों के लिये कितनी राशि मन्जूर की है ?

उत्तर

जिला बांसवाड़ा में कुल १३७१ गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं, और राहत कार्यों के लिये ४,२३,०००) रु० की धन-राशि पी. डब्ल्यू. डी. एजेन्सी द्वारा तथ ७४,०००) रु० रेवेन्यू एजेन्सी से कार्य कराये जाने को स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मुफ्त इमदाद के १०,०००) रु० जल प्रबन्ध के लिये २०,०००) रु० एवं तकावी के लिये ७५,०००) रु० स्वीकृत किये गये। इस प्रकार कुल ६,१२,०००) रु० स्वीकृत किया गया।

निम्बाहेड़ा में हायर सैकन्डरी स्कूल

२८. श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हायर सैकन्डरी स्कूल चित्तौड़गढ़ में १०वीं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ?

(२) सैकन्डरी स्कूल निम्बाहेड़ा में दसवीं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ?

(३) हायर सैकन्डरी स्कूल चित्तौड़गढ़ में ११वीं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं तथा उसकी कैपेसिटी कितनी है ?

Page No. 29

(श्री अब्दुलजब्बारखां)

(४) क्या यह सही है कि ११वीं कक्षा हायर सैकेन्डरी स्कूल चित्तौड़गढ़ में स्थानाभाव के कारण पिछले वर्ष विद्यार्थी एडमिशन नहीं पा सकें ?

(५) क्या यह भी सही है कि सरकार इस असुविधा को हटाने हेतु निम्बाहेड़ा में अगले वर्ष हायर सैकन्डरी सिस्टम चालू कर रही है ?

उत्तर

(१) हायर सैकन्डरी स्कूल चित्तौड़गढ़ में १०वीं कक्षा में २४१ छात्र हैं।

(२) सैकन्डरी स्कूल निम्बाहेड़ा में दसवीं कक्षा में १०० छात्र हैं।

(३) हायर सैकन्डरी स्कूल, चित्तौड़गढ़ में कक्षा ११ में २२२ छात्र हैं। ११वीं कक्षा की सैक्शन वाइज संख्या निम्न प्रकार से है प्रत्येक कक्षा की कैपेसिटी ४०-४५ छात्रों तक की है:—

कक्षा	छात्र संख्या
११ वीं 'ए'	४९
११ वीं 'बी'	४२
११ वीं 'सी'	४९
११ वीं 'डी'	४२
११ वीं 'ई'	४०
	२२२

अधिक सैक्शन खोलने के लिये कमरे उपलब्ध नहीं हैं।

(४) यह सत्य नहीं है कि हायर सैकेन्डरी स्कूल, चित्तौड़गढ़ में स्थानाभाव के कारण छात्र प्रवेश नहीं पा सके।

(५) इस सम्बन्ध में निरीक्षक शिक्षणालयों से प्रस्ताव मांगे गये हैं। यदि इस शाला को अपग्रेड करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये तो दूसरी ऐसी ही शालाओं के साथ-साथ इस शाला के बारे में भी विचार किया जा सकेगा।

मंत्रियों को मोटर कार खरीदने के लिए ऋण

२९. **श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राज्य मंत्रि-मण्डल के किन किन सदस्यों को मोटर कार खरीदने के लिए कितना कितना रुपया ऋण दिया गया तथा किन किन तारीखों में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) मंत्रि-मण्डल के किन किन मंत्रियों ने कौन कौनसी मोटरें कब कब खरीदी ?

उत्तर

(१) राज्य मंत्रि-मंडल के ६ सदस्यों को मोटर कार खरीदने के लिए, भिन्न तिथियों में भिन्न २ राशि का ऋण दिया गया, जिसकी सूची संलग्न है।

(२) राज्य मंत्री मंडल के उपरोक्त ६ सदस्यों में से ५ ने भिन्न २ तिथियों में फियेट कार खरीदी हैं जिसकी सूची उपरोक्त तालिका में ही अंकित कर दी गई है। एक सदस्य को ऋण २१ फरवरी, १९६९ को ही दिया गया है उनको नियमानुसार ऋण लेने की तिथि से एक माह के अन्दर खरीदने का अधिकार प्राप्त है। अतः उनके खरीदने की तिथि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

Page No. 30

(१२.१८ म. प.)

याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन
(सदन की मेज पर रखना)

श्री अनोपसिंह (सचिव, विधान सभा) : मैं याचिका समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को, जो दिनांक २३ जनवरी, १९६६ को विधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था तथा जिसके मुद्रण, प्रकाशन अथवा परिचालन के आदेश राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २०५ के अधीन दे दिये गये थे, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री फूलचन्द जैन (सभापति, जनलेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति का सातवां प्रतिवेदन जो विनियोग लेखे १९६३-६४ में बताये गये व मत अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोग में प्रतिरेक एवं बचत मामलों से संबंधित हैं, तथा

(२) जनलेखा समिति का आठवां प्रतिवेदन (प्रथम व द्वितीय खण्ड) जो विनियोग तथा वित्त लेखे, १९६३-६४ तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६५ से सम्बन्धित है का उपस्थापन करता हूं।

(१२.१० म. प.)

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९६५ प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री रामप्रसाद लड्ढा !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टीनेन्सी विधेयक, १९६५ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को १० मार्च, १९६६ तक और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत टीनेन्सी विधेयक को जो प्रवर समिति को भेजा गया है उसका नियत समय बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री परसराम मदेरणा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई घटनाओं पर स्वीकृत प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है यह व्यवस्था का सवाल इस तरह से है, उस रोज २६ तारीख को हाउस की सिटिंग हुई और……

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : इससे क्या मतलब ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पहले मुझे सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय ने मेरे लिये बोलने की आज्ञा दी है; सुनिये और कान खोल कर सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि २६ तारीख को इस हाउस की बैठक हुई उसमें राज्यपाल महोदय ने जो कुछ कार्यवाही की उस रोज, उस तमाम घटना को लेकर पेचीदगियां खड़ी हुई है उन स्थितियों में मैं नहीं जाना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी कोड़े ने, व्हिप ने, यह बात कही है कि उस रोज मीटिंग नहीं थी और……

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : खूब जोर का लगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : और न यह हाउस था, न यह मीटिंग थी; न यह सदन था और अध्यक्ष भी अध्यक्ष नहीं थे। इसके माने यह हुए कि सदन........।

कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे— (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please ! अगर यही व्यवस्था का प्रश्न है तो इस विषय में अध्यक्षजी रूलिंग हो चुकी है; अब यह दूसरी दफा नहीं उठाया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरी पूरी बात सुन ली जाय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर सुन लिया जाय........

श्री दलपतसिंह (आबू) ; What is his point of order, we want to know.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप अपने मस्तिष्क के सन्तुलन को मत खोइये।

श्री हरिदेव जोशी : There can be no point of order in a vacuum, Sir.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सफेद टोपी वाले माननीय सदस्य को आसन की कुर्सी पर बैठा दिया जाये, तब मैं उनकी आज्ञा मानूं।

श्री हरिदेव जोशी : काले कोट वाले माननीय सदस्य को बैठाया जाये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से बोल रहा हूं, आप मस्तिष्क के संतुलन को नहीं रख सकते। तो, उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष की ओर से यह बात कही गई कि उस रोज वह मीटिंग नहीं थी....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! This point has been dealt with. It can not be opened again.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लीजिये, जो बात कही गई, वह नहीं कह रहा हूं; मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जो बात कही गई यह..

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी है, आप बैठिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जिस पर रूलिंग दी है वह नहीं रख रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि उस रोज मीटिंग थी।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था अब नहीं हो सकती, व्यवस्था हो चुकी है। श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय,.......

(१२.१४ म. प.)

कोटा की हार्ड बोर्ड फैक्टरी विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन-प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से पूछताछ की गई है, उसके आने पर व्यवस्था दी जायेगी। यह स्थगन प्रस्ताव का समय नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोटा में ५००० लोगों ने जुलूस निकाला है, उन पर अश्रु गैस के बम्ब फेंके गये हैं, स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी को लेकर मजदूरों में भयंकर असन्तोष है, सरकार कुछ नहीं कर रही है और हमें कुछ कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

(शोरगुल)

मजदूर आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, अपनी मांगें लेकर आगे आते हैं तो उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है. आज राजस्थान के प्रत्येक जिले के मजदूरों के दिलों में आग लग रही है। कोटा के मजदूर अपनी मांग रखने जायें उन पर अश्रु गैस के बम्बस फेंके जाते हैं, लाठी चलाई जाती है, इससे बढ़ कर सरकार के लिये लज्जा की और क्या बात हो सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी है, उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कोटा में मजदूरों पर भयंकर अत्याचार किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मजदूरों पर लाठी-चार्ज, गोलियां और अश्रु गैस के बम्बस फेंके जायें, आज वे लोग हड़ताल पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : और हमें उनकी बात रखने के लिये बोलने तक नहीं दिया जाय....

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जिस समय इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया गया था और श्रम मन्त्री इसके बारे में जब बोल रहे थे तो मुख्य मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप करते हुए सदन को आश्वासन दिया था कि सरकार स्थिति पर काबू पायेगी और व्यवस्था करेगी। पर कोटा में आज हालत बिगड़ती जा रही है, आज के अखबारों से पता चला कि वहां स्थिति खराब होती जा रही है, अश्रु गैस भी पुलिस को काम में लेनी पड़ी। इस सदन में मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि स्थिति पर सरकार काबू पायेगी और व्यवस्था करेगी। जब सरकार को अधिकार है कि इस प्रकार के गलत प्रबन्ध हों तो सरकार उसे अपने हाथ में ले सकती है और इस सदन में मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है तो वह कार्यवाही सरकार को करनी चाहिये। वह कार्यवाही तो सरकार ने की नहीं बल्कि मजदूरों पर अश्रु गैस फेंक कर स्थिति को और बिगाड़ा है। मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि कोटा में यदि लेबर का ट्रबल पैदा हुआ और जो स्थिति बिगड़ गई, डिस्टर्बेन्सेज हुए तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, सरकार को समय रहते कदम उठाने चाहिये वर्ना फिर दूसरे लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी डाली तो डालने नहीं दी जायेगी, उसके लिये टोटल रेस्पोन्सिबिलिटी राजस्थान सरकार की होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा

Page No. 33

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप बैठिये, मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाता हूं.......

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मुद्रांक विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय..........

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय हुई घटनाओं पर स्वीकृत प्रस्ताव पर वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, यहां पर परसों के रोज एक प्रस्ताव पास किया गया, जिस समय ९ सदस्यों को इस सदन की सेवा से वंचित किया गया है, मैं इस सम्बन्ध में अपना व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं।

यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो उसके लिये उस व्यक्ति को दण्ड दिया जाये, न कि सदन को दण्ड दिया जाये; पर यह सदन ९ आदमियों की सेवाओं से वंचित हो रहा है, उनकी सेवाओं से राजस्थान का लोकतन्त्र बुरी तरह से सफर कर रहा है.......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

एक माननीय सदस्य : यह वकालत कर रहे हैं उन लोगों की........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : लम्बी बात नहीं कह सकते।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह बड़ी भयावह स्थिति होगी, मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाता....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : इस तरह बात नहीं कही जा सकती।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं निवेदन करना चाहूंगा.......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी व्यवस्था का जो प्रश्न है उस विषय में मैं निवेदन करता हूं कि सदन ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप केवल मुझे अपनी बात रखने का मौका दें........

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बात को न उठाएं क्योंकि सदन ने प्रस्ताव पास कर दिया है। आर्डर प्लीज !

(घंटी)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनतांत्रिक मुद्दे का सवाल उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(व्यवधान—घंटी)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ परंपराओं का मुद्दा·········

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय मुकुटबिहारीजी, आप व्यवस्था भंग न करें।

(अनवरत घंटी)

I request you to kindly resume your seat.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यहां परम्पराएं टूट रही हैं····

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है·······

राजस्थान मुद्रांक शुल्क विधेयक, १९६५

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य मुद्रांक तथा मुद्रांक-शुल्क विधेयक, १९६५ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि की जाय, जैसे उप-मंत्री महोदय ने कहा।

(स्वीकृत)

अवधि बढ़ाई गई।

(विराम)

राजस्थान कार्य सलाहकार समिति का····

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : I have entered into another question.

श्री हीराभाई : जब उस दिन प्रस्ताव पारित किया गया····

(शोरगुल—व्यवधान)

कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के २४वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री हीराभाई : व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोरगुल) (घंटी)

श्री हरिदेव जोशी : I have moved the motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के २४वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(१२.२३ म० प०)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय हुई घटनाओं सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्ताव पर वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री हीराभाई : मैं यह निवेदन करता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ !

श्री हीराभाई : मुझे यह निवेदन करना है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीराभाई, you can only.....

(व्यवधान-घंटी)

श्री हीराभाई : आज हमारा गला घोटा जा रहा है। विधान सभा के सदस्यों का हनन किया गया। हमारे मोशन को आप मलाउ नहीं करते····

(व्यवधान-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीराभाई····

श्री हीराभाई : × × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय हीराभाई ने जो कुछ कहा है उसको एक्सपंज किया जाता है। आर्डर प्लीज़ !

श्री हीराभाई : (अश्रव्य) ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको वार्न करता हूं कि स्थान ग्रहण करें, व्यवधान न करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं व्यवस्था का सवाल खड़ा करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कल इस अध्यक्षीय आसन से एक व्यवस्था दी गई और वह व्यवस्था यह थी कि मैंने जो एक मोशन दिया है सब्सटेंटिव मोशन, उसके बारे में यह बात कही गई कि यह गंभीर मसला है, यह वैधानिक मसला है, यह देश के महत्व का सवाल है और जब इसका मायना यह हुआ कि अध्यक्षीय आसन से यह व्यवस्था दी गई कि वास्तव में गंभीर संवैधानिक मसला है, ऊंचे दर्जे का मसला है, तब ऐसी स्थिति में इससे पहले परसों के दिन जो प्रस्ताव पास हुआ कि जो माननीय सदस्यों का एक्शन था वह अभद्र था····

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में समूची व्यवस्था दी जा चुकी है, इस पर अब नहीं बोला जा सकता। आर्डर प्लीज !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करता हूं कि····

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि व्यवधान करना उचित नहीं है। मैं आपका पोइंट समझ गया।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यहां पर परम्पराएं बन चुकी हैं कि जो भाषण पढ़ा हुआ माना जाये; चाहे बैठक हो या नहीं····

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): उपाध्यक्ष महोदय····

(अश्रव्य-शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Wha' is your point of o d r ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे कहने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहिए।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा निवेदन है कि आपके आदेश से इस माननीय सदस्य पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, बार बार आपके आदेशों का उल्लंघन हो रहा है।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं यही कह रहा हूँ कि नियंत्रण किया जाना चाहिए और माननीय सदस्य ने जो उप मंत्री के लिए 'भांड' और 'होली का भांड' कहा वे शब्द एक्सपंज किए जायें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : नहीं-नहीं, मैंने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय मुकुटबिहारीलालजी आप संक्षेप में कहें।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आभार प्रकट न करें, व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने अपनी तरफ से एक सब्स्टेंटिव मोशन दिया है, अपनी तरफ से एक प्रिविलेज मोशन दिया है आपकी सेवा में....

श्री उपाध्यक्ष : There is no substantive motion

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : जब मेरी तरफ से एक प्रस्ताव आपके विचाराधीन है

श्री उपाध्यक्ष : आपकी व्यवस्था का प्रश्न मेरी समझ में आ गया। सब्स्टेंटिव मोशन माननीय अध्यक्षजी के विचाराधीन है, उस पर निर्णय अवश्य देंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : व्यवस्था का प्रश्न सदन तो सुने।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है कि अध्यक्ष महोदय सोच कर निर्णय देंगे। मैं उसके विपरीत नहीं जा सकता....

श्री विजयसिंह झाला : व्यवस्था का प्रश्न सारे हाउस को सुनना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आपकी आज्ञा के आगे मैं सिर झुकाता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही बंद नहीं हो सकती।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा नम्र निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा भी आपसे नम्र निवेदन है कि आप व्यवधान न करें। ऑर्डर प्लीज इस विषय पर न बोलें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : Justice delayed is Justice denied.

श्री उपाध्यक्ष : That is all right, but that is the outlook of the Hon. Speaker.

मैं आपसे निवेदन करता हूँ...

(अनवरत घंटी)

आप व्यवधान कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : शासक वर्ग का प्रस्ताव पास हो जाता है और हमारा विचाराधीन रहता है । कितनी अपने आप में भयावह स्थिति है·····

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवधान की इजाजत नहीं दे सकता । अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद शुरु होगा ।

श्री हीराभाई : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? संक्षेप में कहें ।

श्री हीराभाई : आप खड़े होते हैं तो मुझे शर्म भी आयेगी ।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री हीराभाई: मैं कहूंगा तब ही तो आप समझ लेंगे। पहले मुझे कहने दीजिये ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! आप स्थान ग्रहण करलें ।

श्री हीराभाई: व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे माननीय सदस्यों को·······

(अनवरत शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: आप इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। कोई व्यवस्था का प्रश्न इस पर नहीं उठाया जावेगा ।

श्री हीराभाई: कम से कम मेरी बात तो सुनिये ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज !

श्री हीराभाई: मेरी बात तो सुनिये, फिर निर्णय दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! श्रीमती सुमित्रा ।

(शोरगुल)

श्री हीराभाई: मेरा यह मतलब है ।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! आप व्यवधान कर रहे हैं ।

(शोरगुल)

श्री हीराभाई: आपने राज्यपाल को नोटिस नहीं दिया है, लिखित में उनको नोटिस दीजिये । उनके खिलाफ प्रस्ताव किया है ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! (लगातार श्री हीरा भाई के बोलने एवं सदन में शोरगुल होने पर) माननीय हीराभाई !

श्री हीराभाई: व्यवस्था का प्रश्न तो रहने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष: I warn the Hon. Member to please take his seat.

श्री हीराभाई : × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप कार्यवाही में व्यवधान कर रहे हैं। एक बार और कहता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें ।

× × × अध्यक्ष:- पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

कुछ माननीय सदस्य: इनको बाहर निकाल दिया जाय ।

(अनवरत घंटी)

श्री हीराभाई: × × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हीराभाई ! This sort of interruption will not be allowed. Order please !

श्री हीराभाई: × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : Everything that has been said by Mananiya Hira Bhai is expunged,

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir,....

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : जम कर सुनेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: व्यवस्था बनाने के लिए हम यहां बैठे हुये हैं । पोइन्ट ऑफ ऑर्डर आपके सामने रेज करता हूं और वह यह करता हूँ कि आपकी व्यवस्था के बारे में यहां जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उसके अन्दर हमारी रक्षा की जाये । आपके आदेश का बार बार कह कर उलंघन किया जा रहा है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह चेयर को गाइड किया जा रहा है और जान-बूझकर हमारे ऊपर आक्षेप किये जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, इधर की ओर से माननीय सदस्य बोलने लगते हैं तो उधर से हल्ला किया

(अनवरत व्यवधान)

जाता है ! उप-मंत्री और मंत्री वर्ग तक हल्ला-गुल्ला करते हैं, इस तरह हुल्लड़बाजी करते है और हमारे ऊपर रिमार्क कसते हैं । मैं समझता हूँ, इस तरह से सदन का अपमान करते है ।

(अनवरत व्यवधान एवं शोरगुल)

और हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं जो बिल्कुल गलत है ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: हमारी भी सुनिये । पोइन्ट ऑफ ऑर्डर हमने उठाया है ।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज !

श्री हीराभाई: माननीय उपाध्यक्ष, यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है, महज हमारे खिलाफ दुर्भावना है ।

श्री उपाध्यक्ष: आप निर्णय न दें । मुझे निर्णय देने दें ।

(अनवरत व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय........

(अश्रव्य)

श्री हीराभाई: हमारे साथ अन्याय है ।

श्री उपाध्यक्ष: आप निर्णय न दें । मुझे निर्णय देने दीजिये ।

× × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज !

इस सम्बन्ध में माननीय ज्वाला प्रसाद जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है........

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ।

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरी तो सुनी ही नहीं। जो व्यवस्था नहीं बना रहे हैं उनके लिए सुन लिया जाये और हमारे लिए नहीं सुनें ! हमें भी कहने का मौका दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उत्तेजना इतनी हो रही है, उस उत्तेजना को मैं समझ रहा हूँ........

(अनवरत व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह हमारे ऊपर रिमार्क कसा जा रहा है। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं किया जा रहा है।

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: सदन के सभी माननीय सदस्यों के सोचने की बात है। मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूँ, उसके अन्दर मेरे अधिकारों के बारे में इस तरह का आचरण कर रहे हैं....

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं पूछना चाहता हूँ कि यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर किन रूल्स के अन्तर्गत रेज़ किया गया है? मेरा अधिकार चेयर से यह पूछने का है कि किन रूल्स के अन्तर्गत, किन नोटिफिकेशन्स और बाई लॉज के अन्तर्गत इसको उठाया गया है?

श्री उपाध्यक्ष: जिन रूल्स की तहत पोइन्ट ऑफ ऑर्डर आपने उठाया उन्हीं रूल्स के तहत।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं व्यवस्था चाहूंगा आपसे।

बार बार यह कहा गया कि हुक्म को मान सकते थे, चेयर को मान सकते थे, यह ढिंढोरा पीटा गया........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह भाषण दे रहे हैं। हम यहां इस तरह के भाषण सुनने के लिये बैठे हैं? इस प्रकार हमारे मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: हमारे ऊपर....

(शोरगुल एवं अश्रव्य)

श्री हीराभाई : व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज !

श्री हीराभाई : व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हीराभाई : मुझे बोलने दीजिये।

Page No. 40

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीराभाई ! (लगातार श्री हीराभाई द्वारा बोलते रहने पर) आप फिर व्यवधान कर रहे हैं। आप मुझे बाध्य कर रहे हैं। मुझे आपके खिलाफ़ सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष

(शोरगुल "बैठ जाओ", "इनको निकालो" की आवाजें)

मेरी बात सुनिये..........

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य !

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीराभाई आप स्थान ग्रहण करें। Yes, Shrimati Sumitra

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुकुटबिहारी। आप व्यवधान कर रहे हैं....

ऑर्डर प्लीज !

(शोर गुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : यह सदन में उठक बैठक कहां तक चलेगी ? ५० दफा आपने लगा ली, ५० दफा इन्होंने लगा ली और ५० दफा सुमित्रा जी ने लगा ली।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जनसंघ के माननीय सदस्य ने हमारे ऊपर जो आक्षेप लगाये हैं....

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाय। मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुकुटबिहारी ! मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं ! मैं एक बार और वार्न करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब भाषण में कोई व्यवधान नहीं होगा। और माननीय सुमित्राजी को आदेश देता हूं कि वे अपना भाषण शुरू करें।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय.......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीराभाई ! आप सदन की बैठक में भाग न लें।

आप सदन से बाहर जायें। I will not permit such disturbance in the proceedings of the House.

(शोरगुल)

मैं हीराभाई से निवेदन करता हूं कि आप सदन से बाहर जायें। कोई अभद्र व्यवहार न होने दें।

श्री हीराभाई : डा० सम्पूर्णानन्द के लिए यह व्यवस्था हो जाती और मोअत्तिल कर देने के आपके आदेश हो जाते तो हुक्म को मानने के लिए तैयार हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

Page No. 41

(लगातार शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ !

श्री हीराभाई : मेरे ऊपर जिस प्रकार हुक्म है उसी प्रकार डा० सम्पूर्णानन्द को हटाओ यहां से । मैं आपके आदेश का पालन करता हूं....

(आसन के आदेशानुसार सदन से परित्याग)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सदन का परित्याग कर के बाहर जायें । You will please get out of the House.

(लगातार शोरगुल एवं लगातार घण्टी)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह): बाहर जाओ ! बाहर जाओ !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही में व्यवधान करते हैं आपको अलाउ नहीं किया जायगा । ऐसी हालत में मुझे आपसे विनम्र निवेदन करना पड़ेगा कि आप बाहर चले जायें, अगर आपको बाहर जाना है तो ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे कहने का तो मौका दें ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : On a point of order Sir, माननीय अध्यक्ष, (उपाध्यक्ष) माननीय सदस्य से आपकी आज्ञा का पालन करवाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा है अगर आपको व्यवस्था में नहीं आना है तो बाहर चले जाइये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे आप कहने तो दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको इजाज़त नहीं देता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरी वाणी के ऊपर प्रहार हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा देवी ।

श्रीमती सुमित्रा देवी (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस जाहिर करना पड़ता है कि जिस समय माननीय राज्यपाल महोदय सदन में अपना भाषण कर रहे थे उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने अशोभनीय एवं असंसदीय व्यवहार कर....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, लोगों की वाणी पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और उनको घसीट कर बाहर किया जाये, जनतन्त्र की हत्या की जाय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुकुटबिहारी ! आप सारे सदन के कार्य में व्यवधान नहीं कर सकते....

श्रीमती सुमित्रा देवी : उपाध्यक्ष महोदय; माननीय सदस्य मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं; मैं फिर अपने वाक्य को दोहराऊं जो

श्रीमती सुमित्रा देवी)

कि सदन के कुछ सदस्यों ने जो असंसदीय एवं अशोभनीय····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह बिल्कुल गलत है, अध्यक्षीय आसन की व्यवस्था हो चुकी है कि यह गम्भीर मामला है, संवैधानिक मसला है। यह मामला विचाराधीन है, मैं चाहता हूँ कि इस बारे में जो कुछ बातें कही जा रही हैं उनको प्रोसीडिंग्ज में से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रगट करने का अधिकार है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य बार बार सदन में बाधा उपस्थित कर रहे हैं, आपके कहने के बावजूद भी स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। राज्यपाल महोदय ने कहा है·······

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : On a point of personal explanation, Sir, माननीय सदस्या ने मेरे व्यवहार को असंसदीय बताया है; मैं समझता हूं कि जब तक चेयर से इस प्रकार व्यवस्था नहीं हो जाती उनको इस प्रकार कहने का अधिकार नहीं है·····

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं आपकी आज्ञा का फौरन पालन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कार्यवाही में व्यवधान नहीं करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप जो भी आज्ञा देंगे, उसका मैं फौरन पालन करूंगा·······

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, जरा उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी आज्ञा दीजिये कि वे व्यवस्था कायम रखवाने में मदद करें।

श्री मानसिंह महार (आमेर): On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, सदन की व्यवस्था कायम रखने के लिये उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों से भी आग्रह किया जाय; वे ऐसी बात नहीं कहें जिससे इस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को प्रोवोकेशन हो। अतः उत्तेजित करने वाली भाषा का प्रयोग न करें।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आप उनको तो बैठाइये, आप अपनी तरफ ही व्यवस्था रख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय फूलचन्द !!

श्री मानसिंह महार : मैंने तो अच्छी बात कही, माननीय सदस्य ही उत्तेजित हो गये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय सदस्य जो ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हुए हैं उनको

(श्री राधाकृष्ण गोयल)
वार्निंग दे दी जाय ताकि व्यवस्था कायम रह सके।

श्री उपाध्यक्ष : वह व्यवस्था हो चुकी है। श्रीमती सुमित्रा देवी।

(१२.४६ म० प०)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने भाषण के अन्त में कहा है, "सरकार को आपके मार्ग-दर्शन, परामर्श एवं सहयोग की आवश्यकता रहेगी; इसलिये आप अपना कर्तव्य सफलता पूर्वक निभायें।" अतः मैं अपने इस पुनीत कर्तव्य की रक्षार्थ सरकार की मजबूर होकर आलोचना कर रही हूं। मैं इसके लिये सदन से व राज्य सरकार से क्षमा चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं ने जो कार्य किया है उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, और उन्होंने सेनाओं के कार्य पर गर्व प्रगट किया है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं हमारे जो जवान फौज में देश की रक्षार्थ लड़ रहे हैं उनके पीछे उनके परिवारों के हितों की रक्षा राज्य सरकार किस प्रकार से कर रही है हम उनके पीछे वालों को किस प्रकार से राहत दे पा रहे हैं, ताकि वे पीछे के परिवार के ख्याल से मायूस न हों और हमारी सीमाओं की रक्षार्थ वे सहर्ष अपना कर्तव्य निभायें इसके लिये क्या कर रहे हैं और क्या कर सके हैं उसके बारे में मुझे कुछ निवेदन करना पड़ रहा है। जो फौज के जवान देश की रक्षार्थ सीमा की रक्षार्थ बलिदान हो गये थे उनके पीछे उनके परिवारों को मुकदमों में उलझा कर उनको परेशान किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं चीन के आक्रमण के समय सूबेदार मदनसिंह १९६२ में मौत के शिकार हुए पीछे से उनकी विधवा पत्नी को रास्ते के मुकदमे में गांव वालों द्वारा परेशान किया गया। मैं चाहती हूं कि राज्य सरकार को चाहिये था कि जिन लोगों ने मुकदमा बना कर उनको परेशान किया सरकार का कर्तव्य था कि सरकार उनको इस मामले में मदद करती, उनके परिवार को परेशानी से बचाती। इसके बाद जब हमारे देश पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया उस समय भी जिन लोगों की दुर्भाग्य से मौत हुई उन लोगों को जहां तक नकदी के रूप में आर्थिक सहायता मिलने का प्रश्न था वह तो सरकार द्वारा दे दी गई लेकिन उनको भूमि अभी तक नहीं दी गई है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि अब तक आपने कितने लोगों को........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इनको तो सुनते जाइये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर) : योग्यतायें इनको बताई जा रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा : झुंझुनूं जिले की मुझे जानकारी है, वहां से जिन फौजियों की मृत्यु हुई उनकी विधवाओं को एक एक हजार रुपया केश तो दे दिया गया। इसके साथ ही मेरा सरकार से निवेदन है कि वह मुस्तैदी के साथ उनके पीछे जो परिवार हैं उनको जो भी सहूलियतें देनी हैं जल्दी से जल्दी दें....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है..

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये हमारा समय निकल जाता है इनको सदन से बाहर भेज दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : That is a point of order please.

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य का कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, मुझे बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इनका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सुन लीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह निश्चित मान्यता है कि अभी जो कुछ कार्यवाही हो रही है वह बहुत ही अवैधानिक हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके ख्याल से अवैधानिक है तो आप इस कार्यवाही में न ठहरें और व्यवधान न करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप मुझे आज्ञा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बाहर जाने का कष्ट करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जनतंत्र जिन्दाबाद!

(सदन से बहिर्गमन)

श्रीमती सुमित्रा देवी : माननीय उपाध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय ने भाषण में राजस्थान आरक्षी बल का भी विशेष उल्लेख किया है। परन्तु क्या उस गम्भीर खतरे के समय अपनी जान की परवाह नहीं करके और अपना कर्तव्य पालन करने वाले लोगों को क्या कोरी प्रशंसा के अलावा कुछ और भी मिला है? क्या सराकार यह महसूस नहीं करती कि आर. ए. सी. के उन नौजवानों की तरक्कियां हों, जो आज जयपुर और जोधपुर में बड़े-बड़े अफसरों के आस-पास रहने वाले उनके मर्जीदानों को ही आज तरक्कियां और इनाम मिले हैं। यदि मैं गलत कहती हूं तो मैं चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार फिर से जांच करे कि इस लड़ाई के समय में आ. ए. सी.. के जिन लोगों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है और सीमा की सुरक्षा के लिए पूरी कर्तव्य-परायणता दिखाई है उनको किस हद तक तरक्कियां मिली हैं।

राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सन्तोष प्रकट किया है। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति सन्तोष करने के लायक नहीं है।

झुंझुनूं जिले में तीन साल में जितनी चोरियां हुई हैं दो-चार की तो मैं बात नहीं कहती, पर बाकी एक भी बरामद नहीं हुई है।

पुलिस विभाग का जहां तक सवाल है, झुंझुनु जिले में इस प्रकार का कोई विभाग है ऐसा नहीं लगता है। वहां पर चोरी हो जाती है, चोरी बरामद नहीं होती, चोरी का पता लग जाता है, तो यह पुलिस की मर्जी है कि चोर को पकड़े तो पकड़े, न पकड़े तो न पकड़े। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से राजस्थान और पंजाब का बोर्डर झुंझुनूं जिले से लगता है। वहां से पंजाब की

(श्रीमती सुमित्रा देवी)
हर खाद्य वस्तु स्मगल होकर राजस्थान में आती है। अब इसमें भी यह पुलिस की मर्जी पर है कि उनमें से किसको पकड़े और किसको छोड़े और फिर यदि बहुत अधिक मजबूर करने के बाद किसी को पकड़ भी ले तो पकड़ने के बाद भी उसका क्या हो रहा है, यह भी समझ नहीं आता क्योंकि कुछ उनके भी ऊपर हैं जो फाइलों को मंगा लेते हैं। चालानों को रुकवा देते हैं। सालों तक वे यों ही पड़े रहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिनिस्टर है।

श्रीमती सुमित्रा : इसलिए कहती हूं कि कानून और व्यवस्था पर जो संतोष राज्यपाल महोदय ने प्रकट किया है, राजस्थान के बारे में तो मैं नहीं कहती, पर झुंझुनूं जिले के बारे में मैं यह दृढतापूर्वक कह सकती हूं कि वहां पर इसकी स्थिति सन्तोष करने लायक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि अकाल हमारे राज्य में निरन्तर होता रहता है। तृतीय योजना में लगातार तीन वर्षों तक हमारे राजस्थान में अकाल रहा। हमारा राज्य अकालग्रस्त रहा और हमारी सरकार को इस तीसरी योजना के अन्दर कुल मिलाकर ६ करोड़ ४८ लाख रुपया अकाल राहत कार्यों पर खर्च करना पड़ा। इस वर्ष भी राजस्थान के ४३ प्रतिशत गांव और ४१ प्रतिशत जनता अकाल से पीड़ित है। समाजवाद का लक्ष्य लेकर चलने वाली सरकार इस तरह अकाल पड़ने पर अफसोस जाहिर करके रह जाये इससे वह अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती। रात और दिन कठोर परिश्रम करने वाला धरती का बेटा, किसान भूखों मरे, अपने पशुओं को वह अपनी जिन्दगी के सहारे को अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता देखे, मीलों तक पानी के लिये भटकता फिरे, और फिर जब सब जगह का पानी खतम हो जावे तो अपने पशुओं को लेकर अपनी प्यारी जन्मभूमि, घर बार और जमीन जायदाद को छोड़ कर दूसरे प्रान्तों में गाड़िया लुहारों की तरह उसे भटकना पड़े, यह कतई असहनीय है, निन्दनीय है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं पिछले दो तीन सालों से लगातार इस बात पर जोर देती आ रही हूं कि किसान को खेती करने के लिए पानी का स्थायी इन्तजाम किया जावे ताकि उसे प्रकृति की मेहरबानी का गुलाम नहीं रहना पड़े। पर पता नहीं राज्य सरकार इस तरफ विशेष दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रही है। हमें नहीं चाहिये आपकी स्कूलें, नहीं चाहिये अस्पताल, नहीं चाहिये सड़कें, मैं समझती हूं कि हमारे दो साल का सारा बजट, उसको यदि आप खेती के पानी के लिए लगा दें, लोगों को मीठा पीने का पानी मुहय्या करने के लिए किसान की जमीन में खेती करने के लिए पानी के रूप में दे दें तो मैं समझती हूं कि इस राजस्थान की काया पलट हो जायेगी

(हियर-हियर)

और राजस्थान की इस गौरवमयी परम्परा है एक नया अध्याय जुड़ जायेगा और इसके साथ ही साथ सुखाड़िया जी का, स्वयं का तथा मंत्री मंडल के और लोगों का भी, स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जावेगा। इसलिये मैं कह सकती हूं कि आप इस तरीके से सोचें, देखें और इस तकलीफ को किसी न किसी हद तक दूर करने की कोशिश करें।

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

उपाध्यक्षजी, आजादी की रक्षा और देश के लिये अपना खून बहाने वाला वर्ग आपसे पानी मांगते हैं और वह पानी भी आपको जनता के हितार्थ, आपकी सरकार के हितार्थ और भारत सरकार के हितार्थ मांगती है। उस पर वह वर्ग खुद मेहनत करेगा और बदले में अनाज देगा। इसलिए मैं समझती हूं कि उसकी यह कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है तथा जिसे आपको पूरा करना चाहिये। वैसे, मुख्यमंत्री जी, आज यहां पर नहीं हैं, पर वे झुंझुनूं जिले की शूरवीरता और दानवीरता के बड़े कायल हैं और जब कभी जिले में जाते हैं तो हमेशा इस बात को दोहराया करते हैं कि झुंझुनूं के लोग बड़े शूरवीर हैं हंसते हंसते अपने प्राणों के साथ खेल जाते हैं। झुंझुनूं के लोग बड़े दानवीर भी हैं। सारे हिन्दुस्तान के व्यापार पर कब्जा किये बैठे हैं।

मौका पड़ने पर दानवीरता दिखाते भी हैं। लेकिन इसके अलावा, मुंह से प्रशंसा प्रकट करने के अलावा, विशेष कार्य नहीं करते जिले के लिये। इसलिये मैं चाहती हूं राज्य सरकार ऐसे जिले के लिये कोई न कोई स्थायी प्रबन्ध जरूर करें कि जिससे वहां के किसान को खेती के लिये पानी मिल सके।

अकाल राहत कार्यों के लिये सरकार पर्याप्त साधन जुटा रही है। पिछले तीन वर्षों में भी पर्याप्त साधन जुटाये हैं। इस वर्ष भी अकाल राहत कार्य के काफी काम भी किये जा रहे हैं। पैसा भी खर्च किया जा रहा है। इसके लिये तो सरकार धन्यवाद की पात्र है।

पर इस टेम्पोरेरी इलाज के बजाय पर्मानेन्ट इलाज के लिये सोचा जाये तो राजस्थान सरकार को पिछले तीन सालों में ६ करोड़ रुपया खर्च नहीं करना पड़ता।

पेय जल की समस्या भी कब तक बनी रहेगी, यह भी सोचने की बात है। देश को आजादी मिले १८ साल हो गये। इस अठारह साल के अर्से में यदि हम गांव के रहने वालों को मीठा और स्वच्छ पेय जल भी नहीं प्रदान कर पाये तो मैं समझती हूं कि यह शुभ लक्षण नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): प्लानिंग का डिफेक्ट है यह।

श्रीमती सुमित्रा: इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और शीघ्र इसका कोई समाधान करना चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में खाद्य की स्थिति को भी सारे देश में व्याप्त स्थिति के सन्दर्भ में देखते हुए सन्तोष प्रकट कर लिया है। पर मैं देखती हूं कि आज हमारे यहां अनाज के जो भाव हैं, अनाज की जो महंगाई है वह बहुत गम्भीर है। वह सन्तोष की बात ही नहीं है, गम्भीरता से विचारणीय प्रश्न है और इसके लिये सरकार को कोई न कोई तुरन्त हल ढूंढना चाहिये जिससे यह भयंकर परिस्थिति खाद्य की न रहे।

तीसरी योजना में कृषि उत्पादन पर भी खासा जोर दिया गया है। इसके बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि कई जिलों के अन्दर हमने गहन कृषि क्षेत्र कायम किये हैं। पर मैं समझती हूं कि इस तरह के प्रोग्राम लेकर चलने के बजाय यदि आप.... ...

(श्रीमती सुमित्रादेवी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किसान को खेती के लिये पानी मुहैया कर दें तो यह सब जो पैसा है इसका सदुपयोग हो सकेगा। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में भूमिगत जलबोर्ड के बारे में भी जिक्र किया है और ८ हजार २७४ कुओं की संख्या बताई है।

(१ म. प.)

मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगी, मुझे जानकारी है कि मेरे जिले में तो इस प्रकार का एक भी कूआ नहीं बना। इसलिए मैं चाहूंगी कि इस योजना को झुंझुनू जिले के लिए भी लागू किया जाये।

पैरा २२ में कुक्कुट पालन के सिलसिले में राज्य सरकार ने काफी प्रगति की है और राज्यपाल महोदय ने उसकी प्रशंसा की है उसके लिए मैं भी राज्य सरकार को बधाई देती हूं।

वृहत् उद्योगों के क्षेत्र में भी राजस्थान प्रगति कर रहा है और सच पूछिये तो हमको इस राज्य की औद्योगिक प्रगति पर गर्व है। राजकीय क्षेत्र में उद्योगों में प्रगति हो रही है और सरकार इसकी ओर पूरा ध्यान दे रही है, यह भी एक अच्छी बात है।

विद्युत् का जहां तक सवाल है, हालांकि पानी की कमी से विद्युत् में कुछ कमी आई है और उसमें गतिरोध पैदा हुआ है; परन्तु फिर भी हमारी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखे गये हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य सरकार काफी हद तक सफल हुई है, इसके लिए भी राज्य सरकार बधाई की पात्र है। इस वर्ष के अन्त तक ६,७२१ कुओं को बिजली देने की बात है। मैं चाहती हूं कि राज्य सरकार इसमें मुस्तैदी के साथ काम करे और अपने सारे के सारे एचीवमेन्ट्स प्राप्त करें।

सड़कों का जहां तक सवाल है यह सही है कि हमारे यहां नई सड़कें बनी है, मरम्मत भी हुई है और सरकार ने हमारे लिए आवागमन के भी काफी साधन जुटाये हैं, उसके लिए मैं राज्य सरकार की प्रशंसा करती हूं।

शिक्षा का जहां तक सवाल है शिक्षा का प्रसार हुआ है। सिर्फ यही बात नहीं है कि राजस्थान निर्माण के समय से शिक्षा का जो बजट था वह बढ़ गया है लेकिन उसके साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा और सब तरह की शिक्षा में और हर क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है और इसमें खास तौर से तो लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम तो बहुत ही संतोष के साथ चल रहा है, यह कहते हुए भी मुझे गर्व है।

माननीय उपाध्यक्षजी, चिकित्सा का जहां तक सवाल है मैं इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ कह सकती हूं कि राजस्थान इस दिशा में किसी भी अन्य प्रान्तों से पिछड़ा हुआ नहीं है। दूसरे प्रान्तों के मुकाबिले में यहां पर चिकित्सा की सुविधायें एक औसत आदमी के लिए बहुत सस्ती हैं। यह बिल्कुल सही है। बाकी प्रान्तों में पिछली बार हमारी एस्टीमेट्स कमेटी कुछ ६-७ प्रान्तों के दौरे पर गई थी, उस समय हमने महसूस किया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान ने न केवल प्रगति की है बल्कि औसत आदमी को देखते हुए जहां तक

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

चिकित्सा की व्यवस्था है वह अन्य प्रान्तों के मुकाबले में काफी अच्छी सस्ती है।

प्रशासन को कुशल बनाने के दृष्टिकोण से और सक्षम बनाने के दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार की तारीफ की है। मैं समझती हूं कि ५-७ सालों में जो थोड़े बहुत काम हुए हैं उसको तीव्र बनाने के लिए और उसमें ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम करने के लिए राज्य सरकार को कुछ इस तरह के और कदम उठाने चाहिए कि जिससे प्रशासन और भी सक्षम और कुशल बन सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समझती हूं कि पंचायतें हमारे राजस्थान के अन्दर लोकतन्त्र की बुनियाद हैं। हमें समाजवाद के अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पंचायती राज्य को काफी सुदृढ़ बनाना होगा। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के दोरान में पंचायती संस्थाओं की इस संकटकालीन स्थिति में जो प्रशंसा की है कि उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया उसके लिए मेरी ऐसी मान्यता है कि उनको और अधिकार मिलने चाहिए।

हिन्दी के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में घोषणा की है कि ६८ को २६ जनवरी तक हमारे प्रान्त का सारा का सारा कार्य हिन्दी में होने लगेगा। इसके बारे में मुझे राज्य सरकार को यह निवेदन करना है कि राज्यपाल महोदय की इस घोषणा को कहीं हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहर लालजी नेहरू की घोषणा की तरह ही न रहने दें जिन्होंने घोषणा की थी कि ६५ को २६ जनवरी तक सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में होने लगेगा, तो जिस प्रकार से उसके लिए हुआ मैं चाहती हूं कि वैसे ही यह घोषणा न रह जाये और ६८ तक सारा का सारा काम हिन्दी में होने लगे, इसके लिए राज्य सरकार राज्यपाल महोदय की इस घोषणा पर ध्यान दे।

अंत में, मैं राज्य सरकार को उसकी सारी उपलब्धियों पर बधाई देती हूं और हमारे समाजवाद की लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं कि राज्य सरकार किसानों को प्रकृति के भरोसे पर नहीं छोड़े। गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को उनके पीने के पानी की समस्या का समाधान कर दें तो मैं समझती हूं कि समाजवाद की आधी मंजिल तो तय हो जायेगी। इसलिए इन दो प्रश्नों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मान कर हमारी राज्य सरकार को उसकी तरफ पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर, और दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण समय की सीमा का ध्यान रखते हुए १५ मिनिट का लक्ष्य निर्धारित करके बोलें ताकि उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सके।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय के भाषण

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

को मैंने पढ़ा और माननीय राज्यपाल ने जो अपने भाषण के अन्दर आरम्भ के अन्दर राजस्थान में प्रकृति के प्रकोप को खाद्यान्नों की कमी का एक नक्शा खींचा और एक इस तरह का भाषण हमारे समक्ष रखा कि जो उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता है।

मैं उपाध्यक्षजी, आपके जरिये सदन को यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने प्रतिवर्ष के तौर से जो भाषण दिया और कुछ तो इस तरह प्रकृति के प्रकोप का दिग्दर्शन कराते हुए और अपनी योजनाओं का दिग्दर्शन कराते हुए भी सांत्वना ली है और हमको और इस जनता को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। आज इस राज्यपाल महोदय के भाषण में कहीं यह चीज नहीं आती कि ये सरकार की योजनायें और सरकार के कानून का इम्प्लीमेन्टेशन किस हद तक हुआ है, उससे किस हद तक हम यहां प्रगति कर सके हैं। इस तरह जो सरकार के विभागों द्वारा प्रगति की रिपोर्ट दी गई है उनको भी देखा जाये तो आज एक निराशापूर्ण वातावरण में हमको गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए एक तरह यह कहा जाता है कि प्रकृति के प्रकोप से हमारी यह स्थिति आज आ गयी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपके किसी भी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार १९६२-६३ में ६.६२ लाख टन की उत्पादन में वृद्धि बताते हैं, १९६३-६४ में १२.७२ लाख टन का उत्पादन बढ़ा हुआ मानते हैं।

एक वर्ष हर एक के जीवन में आता है, देश के में भी आता है कि कभी कोई अभाव का समय आता है। लेकिन उस अभाव का तो दिग्दर्शन कराते हैं पर आपके आंकड़े जो इतने बढ़े हुए बताते हैं एक एक वर्ष के अन्दर १२ लाख टन की वृद्धि बताते हैं तो क्या आपकी रिपोर्ट सही है या आपके भाषण में कहा गया है वह सही है या आज जो राजस्थान में देखा जा रहा है कि इस तरह से हमारे यहां खाद्यान्न की कमी आई है। इन सारी चीजों के तहत मैं यही कहूंगा कि जो आंकड़े दिये जाते हैं सरकार और राज्यपाल दोनों ही आंकड़ों के जंजाल में ऐसे फंस गये हैं कि उनके पास कोई सही तस्वीर ही नहीं है, वर्ना जब इतने वर्षों के अन्दर हमारे सामने खाद्यान्न आया, इसमें बढ़ोत्तरी हुई, आपके कहने के मुताबिक इतनी योजनायें बंध और नहरों आदि की आईं। ये सारी रिपोर्ट्स पंचायत समिति और विभागों की देखी जायें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि राजस्थान के अन्दर तो बहुत बड़ी प्रगति हो चुकी है और किसी चीज की कमी नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब वास्तविक की तरफ देखते हैं तो हर चीज के अन्दर कमी दिखाई देती है, हर योजना हमको असफल दृष्टिगोचर होती है।

इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि १८ वर्षों के अन्दर आपने अपने यहां कितनी एकड़ भूमि के अन्दर खेती करवाई। एक तरफ यह कहा जाता है कि राजस्थान में खाद्य का उत्पादन बढ़ाने के लिए इतनी भूमि उपलब्ध है, इतना लैण्ड यूटिलाइजेशन हो सकता है कि जिससे सारे देश को अन्न दिया जा सकता है, उसी वक्त आप अपने १८ वर्षों की प्रगति के जो झूंठे आंकड़े देते हैं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां आपके खाद्यान्न की बढ़ोत्तरी नहीं होती। जमीनों के मुताल्लिक कोई बढ़ोतरी

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
नहीं होती। मैं आपका ध्यान रेवेन्यू विभाग की ओर दिलाता हूं। राजस्व विभाग के कानूनों की तरफ अगर हम देखें तो ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत मिली है, बड़े भारी खातेदारी हकूक मिले हैं, बड़े भारी पेड़ों के हक मिल गए हैं और बड़ी भारी जमीनें मिल गई हैं। लेकिन लैंड रेवेन्यू रिफार्म्स की जो कमेटी है जो इम्पैक्ट कमेटी है उसकी रिपोर्ट की ओर देखें तो वास्तविक का पता चल जाता है। आपके राजस्व विभाग के अन्दर इन कानूनों का इम्प्लीमेन्टेशन किस हद तक गलत तरीके से किया जा रहा है यह आपको मालूम हो जायगा और यही कारण है कि आपको कोई एप्रिसियेशन नहीं मिलता है। केवल आप अपनी रिपोर्ट में बता देते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा खातेदारी हकूक ओवर नाइट राजस्थान में दे दिये हैं, सबसे ज्यादा अधिकार काश्तकारों को हमने दिये हैं। जैसा मैंने आज मकानों के बारे में कहा था कि सेक्शन ३१ में लिख देते हैं कि हमने उनको मकान बनाने का हकदार बना दिया है लेकिन आज भी पंचायतें सारे काश्तकारों से पैसा वसूल करती हैं। आप कहते हैं कि हमने दरख्तों के लिए उनको अधिकार दे दिया है लेकिन आज तक भी मुआवजा देकर दरख्तों पर उनका अधिकार नहीं हुआ है लाखों आम जामुन के फलदार दरख्त इन पर खड़े हुए हैं और उन पर अभी तक दूसरे आदमियों का कब्जा चला आ रहा है, काश्तकारों के पास कोई चीज नहीं आती। सन् ५५ से लेकर ६५ तक दफा ८० का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ है। दफा १५ और १९ में खातेदारी हकूक हैं।

मैं जयपुर जिले की बात करूंगा। जिस वक्त इम्पेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई सवा दो लाख एकड़ जमीन पर हकूक नहीं दिया गया। यह तो स्थिति है एक जिले की। इसके साथ ही साथ अब मैं अपनी तहसील के बारे में निवेदन करूंगा। हमारे राजस्व मंत्री कहते हैं कि हमने सर्कूलर निकाल दिया है १-९-६२ को कि सबका रेगुलराईजेशन कर दिया जाय। १-४-६२ का सर्कूलर निकाल दिया है जिससे चरागाह की और कुओं की समस्या हल कर दी है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि इस एक तहसील में इस दफा का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ है, अलॉटमेन्ट और रेगुलराजेइशन का जो ऑर्डर है उन पर एक इंच पर भी पालन नहीं हुआ है। वहां के तहसीलदार का बार-बार महीने दो महीने में राजस्व मंत्रीजी की राय से तबादला होता है और इससे वहां पर इन कानूनों का क्रियान्वन नहीं होता है और आज तक वहां का रेगुलराइजेशन का पूरा काम नहीं हुआ है। १-९-६२ से ६५ तक का समय हो गया लेकिन वहां एक इंच भूमि का रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है; इस बात की ओर मैं राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह कोई एक तहसील का सवाल नहीं है, यह कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, लाखों आदमियों का सवाल है। वे आपके कानून से पूर्ण रूप से वंचित हैं और इस ओर आपका ध्यान नहीं गया है। यही कारण है कि जो आपकी सरकार की नीतियां हैं, इस सरकार ने जो काम किये हैं उसकी उसको तारीफ नहीं मिल रही है बल्कि आपको आलोचना मिलती है और आप लोगों की भी ऐसी आदत हो गई है कि केवल सुनना चाहते हैं और सुनकर कान बन्द कर लेना चाहते हैं। कल माननयी

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

फूलचन्दजी ने यह कहा, जिस वक्त उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था कि हम विरोधी पक्ष के लोगों को तो केवल आलोचना करने का ध्यान रहता है और इस तरह से ही जो गलत बातें हैं उनको ही जस्टीफाइ करने की कोशिश करते हैं । मैं तो माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे विरोधियों की क्या बात करते हैं आप अपने साथियों से कहें और इस सरकार से कहें कि आपके यहां पर जो भी काम होते हैं वे इस प्रकार के होते हैं कि जिससे तहसील की तहसील, जिले के जिले किसी कानून से वंचित हैं और उनके बारे में जब प्रश्न किये जाते हैं तो उनको गलत तरीके से जस्टीफाइ करने की कोशिश करते हैं ।

जब राजस्व कानूनों के बारे में कहा गया तो माननीय राजस्व मंत्री कह देते हैं कि अलग कानून आ रहा है, इस बारे में तब विचार हो जायगा। बड़े दुख की बात है और आपके लिए बड़ी अशोभनीय बात है कि आप किस तरह से सरकार चलाते हैं, आप तो अपने जमींदारों की जमानत बना कर काम करना चाहते हैं । अगर आज के समय में कोई खुशहाल हैं तो या तो आप स्वयं खुशहाल हैं या आपके मर्जीदान खुशहाल हैं, बाकी सब तकलीफ में हैं····

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इनमें आप भी हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जी हां, मैं भी हूं । इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि आपके राजस्व विभाग में क्या हो रहा है, राजस्व कानूनों के अन्दर क्या हो रहा है । एक तहसील पूरी की पूरी वंचित पड़ी है । आपके सामने तीन वर्षों से ध्यान दिलाने के बाद भी । यह आपकी सरकार की कार्य करने की प्रणाली है । एक एक व्यक्ति को आपके कानून का फायदा पहुँचना चाहिए लेकिन पूरी तहसील कानून से वंचित है और इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है । केवल यह कह कर टाल दिया कि अगला कानून आएगा तब विचार हो जाएगा । क्या इस तहसील के रहने वालों आदमियों को हक नहीं है कि वे आपके द्वारा बनाए गए कानून का फायदा उठावें जब कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों में इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन होता क्या है कि जो आपकी तरफ हैं; या जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हीं के यहां काम होता है । जो आपकी मर्जी वाले हैं वे आकर आप से कुछ कहते हैं तो वहां काम करते है, बाकी के लिए आपके पास फुरसत नहीं है । आप इलाकों में दौरों पर जाते हैं, आपकी सरकार के मंत्री दौरों पर जाते हैं, आज आपने यह पद्धत्ति डाली है कि आप वहां के एम. एल. ए. तक से नहीं मिलते, आप इस तरह से वहां के इलाके के प्रतिनिधि की अवहेलना करते हैं तो फिर आप किस तरह से सुचारू रूप से काम करने की दुहाई दे सकते हैं ।

आपके राजस्व मंत्री; आपके विद्युत् मंत्री दौरा करने जाते हैं, घण्टे दो घण्टे के लिए जाते हैं; इस पर सरकारी रुपया खर्च करते हैं लेकिन वहां के एम. एल. ए. तक को इत्तिला नहीं देते । अपने प्राइवेट आदमियों को बढ़ावा देने के लिए आप उन्हीं से मिलते हैं । आप सरकारी पैसों को खर्च करके दौरा कीजिए, आप आइए सम्मेलनों में वहां आप भाषण दीजिए, दूसरों

(श्री मधुरेशबिहारी माथुर)

का विरोध कीजिए, लेकिन आपने तो इतनी परम्परा भी छोड़ दी कि जो वहां के एम-एल. ए. हैं, जो जन-प्रतिनिधि हैं उनको सूचना देना भी छोड़ दिया। अगर वे वहां पर कोई बात कहते हैं तो आप उसको सुनते तक नहीं है। एक घन्टे में दावत खाकर एक छोटा-मोटा भाषण देकर आप चले आते हैं तब आपको वहां के इलाके की क्या जानकारी मिलेगी। मैंने आपके पास इसकी सूचना दी, राजस्व मंत्रीजी को बताया और पंचायत समिति के अन्दर उन्होंने माना; असेम्बली में इस बात को रखा कि तहसील बसुवा वंचित किया गया है, इस कानून का एक बीघे पर भी इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ है, अलॉटमेन्ट और रेगुलराइजेशन के कानून का उपयोग यहां पर एक बीघा भूमि पर भी नहीं किया गया है। इसकी कलेक्टर ने भी पंचायत समिति में तस्दीक की और सब तरह से तसल्ली करके उन्होंने कहा कि एक अलग से ऑफिसर को लगाकर दो महीने के अन्दर इस तहसील के अन्दर कार्य पूर्ण करायेंगे लेकिन यहां पर आकर बदल गये। जो बात उनके लोगों को पसन्द नहीं आती उसके लिए यहां आकर बदल जाते हैं। आज दो महीने से भी कहीं अधिक हो गया है लेकिन न तो कोई दूसरा ऑफिसर ही लगाया गया है और न लोगों को अलॉटमेंट ही हुआ है। यह आपके राजस्व विभाग की स्थिति है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसके बाद इस बात पर ज्यादा समय देकर दूसरी बात कहूंगा। आप कहते हैं कि हमारे यहां लैंड रिफॉर्म की बड़ी तारीफ है, हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा भारी काम किया है लेकिन दूसरी ओर आपके रेवेन्यू विभाग की यह हालत हो रही है। इसके बाद में बांध की योजनाओं के सम्बन्ध में कहूंगा। बांध की आज भी दयनीय स्थिति है। हमारे सामने जो प्रगति की रिपोर्ट आती हैं उनमें बताया जाता है कि इतने बांध बन रहे हैं और इतनी एकड़ भूमि बढ़ा दी हैं लेकिन कहीं यह मालूम नहीं होता कि कितना निर्माण होकर कितना उत्पादन बढ़ा है। मैं अपने जयपुर जिले के बारे में कहूंगा कि जयपुर जिले के अन्दर रामगढ बांध है। इस रामगढ़ के बांध के लिए यह कह रहे हैं कि आपकी केबिनेट ने डिसिजन ले लिया है कि इस बांध का पानी जयपुर शहर में आयेगा। आपके इस निर्णय से उस बांध से सिंचाई होने वाली १५ हजार एकड़ भूमि वंचित हो गई है। अब वहां पर एक बीघा भूमि में सिंचाई नहीं होती पन्द्रह हजार एकड़ भूमि में से। जो केवल एक बांध था जयपुर जिले में हम उससे भी वंचित हो हो गए हैं क्योंकि हम आपके नज़दीक नहीं हैं। आप अपनी योजनाएं बनाते हैं अपने क्षेत्र के लिए। जयपुर जिले में जो बांध था उसके लिए आपने यह किया। इसके बारे में जिला परिषद् में और पंचायत समितियों में योजनाएं बनी हैं और उन पर प्रकाश डाला गया है।

ऑल्टरनेटिव के तौर पर दूसरी जगह -बांध बांधने की बात थी लेकिन इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई·······

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार मिनट और लूंगा। इसी तरह से जल योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि बड़े-बड़े कस्बों

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

में जल-योजना चालू करने की बात थी, दौसा जैसे कस्बे में भी एक कुए से नल योजना चल रही है। उसमें पानी नहीं रहा आज मैंने इस बारे में एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया, सवाल भी दिये। १८ वर्षो तक आप कोई अरेन्जमेन्ट नहीं कर सके। आज तो आपने कह दिया कि वर्षा नहीं हुई। यह बात सुनते-सुनते तो १८ वर्ष हो गये। कभी वर्षा नहीं हुई, प्रकृति पर टाल दिया। पानी के अभाव में आप लोगों को प्यासे मारते हैं, अन्न के अभाव से आप लोगों को भूखों मारते हैं तो आज हम आप से यह पूछना चाहते हैं कि इन १८ वर्षों तक आपने क्या किया? वह योजना सर मिर्जा इस्माइल के जमाने में सन् ४० में बनी थी। आपने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे काम चलता रहे। हर साल आपके आदमी जाते हैं, योजना बनती है, मौका देखते हैं लेकिन एक इन्च भी प्रगति नहीं होती। मैंने आपकी रिपोर्ट देखी उसमें इसके लिए स्वीकृति है। इसमें तीन तरह के खाने बनाये हुये हैं; एक तो योजना हाथ में है, दूसरा खाना है योजना शुरू नहीं हुई, तीसरी योजना अधूरी है। माथुर कमेटी की रिपोर्ट देखने का मुझे मौका मिला। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि इस सरकार के पास सिवाय योजना बनाने और झूठे आश्वासन देने और अपने मर्जीदानों के काम करने के सिवाय और काम नहीं रहा है। १८ वर्षों तक कोई काम नहीं हुआ।

रिपोर्ट आती है, आप कमीशन बैठाते हैं उसकी रिपोर्ट पर भी ध्यान नहीं देते, एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं देते, पी० एस० सी० की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है। मंत्री महोदय को तोड़-फोड़ करने के सिवाय कोई फुर्सत नहीं है। मैं यह निवेदन करूँगा कि एक दो मिनिस्टर खाली तोड़-फोड़ का काम करने के लिए दे दें जो संगठन को बढ़ावें-घटावें और दूसरों को काम करने का मौका दें। जब हम आपके सेक्रेटेरियट में जाते हैं तो अजीब नक्शा सामने आता है। तीन-तीन सेक्रेटरी बैठे हैं, केस वर्क सुनें तो सेक्रेटरी सुनें, सुन कर फैसला दें तो वे ही दें। मंत्री लोग तो घूमने के लिए हैं। उनका ताल्लुक तो हारे हुए साथियों के पास जाकर उनको सांत्वना देने का है। बाकी ताल्लुक आपका नहीं रहता है। मैं सही चीजें कहूंगा।

इसी तरह से मैं कोआॅपरेटिव विभाग के लिए कहूंगा। कोआॅपरेटिव के मंत्री महोदय सामने बैठे हैं। मैं कोआॅपरेटिव की केवल एक बात कहूंगा। आप यह देखें प्रगति रिपोर्ट में दिया है ५०० सोसाइटीज से बढ़ कर ४००० सोसाइटीज हो गईं। जितने मेम्बर बढ़ गए लेकिन कोआॅपरेटिव फार्मिंग के बारे में रिपोर्ट में कहा लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कोआॅपरेटिव के बेसिस पर काश्त हो रही है? मेरे सब डिवीजन और तहसील की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। दस-दस मेम्बरों पर २००, २०० बीघा जमीन का अलॉटमेन्ट हो गया लेकिन काश्त वहां पर दस दस बीघा में ही कर रहे हैं, मिल कर काश्त नहीं कर रहे हैं। कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट खाली किताब में ही है क्या आपने इस प्रकार की कोई योजना चालू की है? यही हाल आपके लोन का है। आपके कोआॅपरेटिव विभाग द्वारा दिए गए लोन और उसके एरियर की ओर मैं ध्यान दिलाऊँगा। एक एक व्यक्ति पर १७ हजार और ३० हजार रुपये

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
लेने बाकी हैं। आपके डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर इन्क्वायरी करके रिपोर्ट करते हैं लेकिन आप वसूल नहीं करते बल्कि जिन पर एरियर हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। मैं मेरे इलाके की बात कहूंगा, एक व्यक्ति राधेश्याम में १७,०००) बाकी हैं और रामगोपाल में १३,०००) रु. बाकी हैं, इस बारे में आपके सामने रिपोर्ट आई, आपने आॅर्डर दिया वसूल करने के लिए, लेकिन २ वर्ष हो गये आज तक न चालान हुआ और न वसूली हुई। मैंने इस ओर दो वर्ष पहले आपका ध्यान दिलवाया था। यह हालत हो रही है। आप प्रगति की ओर देखें।

इसी तरह से आपका ध्यान दिलाऊंगा दौसा में काॅलिज खुले इतने वर्ष हो गये पर काॅलेज के लिये वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है। इसके लिये २५,०००) रु० पब्लिक ने दिये हैं, ६ वर्ष से रुपये लिये बैठे हैं लेकिन आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। इसी तरह से गर्ल्स स्कूल के लिये वायदा किया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने वायदा किया था, अपने भाषण में कहा था हाई स्कूल हो जायेगी लेकिन आज तक नहीं हुई।

अन्त में सेपरेशन आॅफ जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। इतने दिन हो गये लेकिन आप यह काम पूरा नहीं कर सके। क्या राजस्थान में जितनी जगह एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन हुआ है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। आप जब होम मिनिस्टर थे तब आपने वायदा किया था कि प्रोसीक्यूशन ब्रांच को सेपरेट करेंगे लेकिन नहीं हुआ। इससे लाॅ एण्ड आॅर्डर पर बुरा असर पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त खेद का विषय है कि आज हम २ मार्च को तानाशाही मनोवृत्ति द्वारा पारित किये हुए काले प्रस्तावों की छाया के अन्दर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर खास करके ट्रेज़री बेन्चेज को कितनी प्रेरणा है यह तो उनकी उपस्थिति से अच्छी तरह से मालूम पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि यह उपस्थिति केवल आज ही कम हो, मुझे ताज्जुब तो उस समय हो रहा था, सत्ताधारी दल द्वारा जब यह प्रस्ताव पेश किया गया और समर्थन किया गया उस समय भी उपस्थिति नगण्य थी। आज अवसर नहीं होता उस विषय पर बोलने के लिये, लेकिन जो २ मार्च का प्रस्ताव जिस लोकतन्त्र, जनतन्त्र और संसदीय परम्पराओं की दुहाई देकर लाया गया और फिर इस मनोवृत्ति से पारित किया गया, मैं उन सम्माननीय सदस्यों का रोल देखना चाहता हूं, वे विरोधी सदस्यों को इसका पाठ पढाने से पहले स्वयं अपना मुंह कांच में देखें; आज लोकतंत्रीय परम्पराओं को खोखला करने के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या आज हम अपनी छाती पर हाथ रख कर यह कह सकते हैं कि देश के स्वतंत्र होने के उपरांत जब हमने संविधान स्वीकार किया उसके बाद लोकतंत्र की ओर आस्था बढी है या घटी है ? क्या आज यह सत्य नहीं है कि आज लोकतंत्रीय परम्पराओं के प्रति

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
लोगों में फस्ट्रेशन पैदा होता चला जा रहा है, लोगों में निराशा होती चली जा रही है ? एक साधारण आदमी क्या यह महसूस नहीं करता कि उसको भ्रष्टाचार, शोषण, महंगाई, बेकारी, भुखमरी से किस प्रकार छूट मिलेगी ? क्या आज लोकतंत्र और जनतंत्र के आधार पर इस शासन को पलटने में सफल होंगे ? क्या इस प्रकार की मनोवृत्ति गांव गांव में नजर नहीं आ रही है ? क्या इस प्रकार की भावना, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, किसी भी स्तर का हो, चाहे ग्रामीण जनता हो उनमें इस प्रकार की धारणा है कि विरोधी दल के सदस्यों को चुन कर विधान सभा में भेजना चाहिये, विरोधी दल के सदस्य विधान सभा में अपना क्या रोल देते हैं; कितना भाग अदा कर पाते हैं, यह बिल्कुल गौण विषय है; लेकिन आज साधारण व्यक्ति के दिमाग में आपकी ओर से यह भावना भरने की कोशिश की जा रही है कि यदि तुम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हो तो कांग्रेसी सदस्य को भेजो; यदि परिवर्तन चाहते हो, यदि अपोइन्टमेंट चाहते हो, तरक्की चाहते हो, योजना से लाभ उठाना चाहते हो तो एक मात्र कांग्रेस के सदस्य को चुन कर भेजो। यह मनोवृत्ति लोकतंत्र के लिये घातक नहीं होगी क्या ? यदि यही भावना पनपती चली गई तो क्या यह भावना तानाशाही को आह्वान नहीं करेगी ? आपको वह करना होगा और मैं तो यह कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के अन्दर तो प्रारम्भ से ही, जब से विधान सभा का निर्माण हुआ है, भ्रष्ट तरीकों से खरीदने के आधार पर लोगों को, इसकी नींव डाली गई है। इतिहास पुराना नहीं है, सबको पता है, केवल मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि इन्द्रनाथजी मोदी कौन थे ? इन्द्रनाथजी मोदी इस विधान सभा के अन्दर विरोधी सदस्यों के नेता थे। क्या रोल रहा था उनका, उन्होंने राजस्थान की कितनी सेवा की थी ? लेकिन इस शासन को इन्द्रनाथजी मोदी का विरोधी दल में रहना नहीं सुहाया और उनको हाई कोर्ट के अन्दर जज बना कर भेज दिया। उसके बाद वेदपालजी त्यागी को हाई कोर्ट का जज बना कर भेज दिया....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : On a point of order ....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या ? On a point of order.

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट के जज के ऊपर किसका किस प्रकार सिलेक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है–इसके बारे में, हाई कोर्ट जज के करेक्टर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में रेफरेन्स नहीं हो सकता।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उनका जब अपोइन्टमेन्ट नहीं हुआ था उससे पहले की बात कह रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह जो कह रहे हैं वह एक जुडिशियल ऑफिसर का कन्टेम्प्ट होगा। मैं कहना चाहूंगा यहां इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : यद्यपि....

Page No. 56

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यहां पर अपने संविधान के अनुसार हाई कोर्ट जज के कन्डक्ट इन दी डिस्चार्ज ऑफ ऑफिस ड्यूटीज और जुडिशियल कन्डक्ट के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हो सकती और माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। बल्कि ग्रान दी कॉन्ट्रेरी हाइकोर्ट जज का पहले कितना रोल रहा है, कितना अच्छा कैरियर रहा है, उसके सम्बन्ध में सरसरी तौर पर कह कर एक थीम डेवलप करना चाहते हैं और उस दौरान उनको रेफर कर दें, तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट जज के कन्डक्ट, जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल ड्यूटीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके सम्बन्ध में भी आप आपत्ति उठाते हैं तो मैं समझता हूं, मुझे अफसोस है, हाई कोर्ट जज का नाम लेते ही आपने समझ लिया कि उनके कन्डक्ट के सम्बन्ध में कोई रेफरेन्स है। यह बिल्कुल उचित नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा दूसरा पोइन्ट है, यह सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा डिक्लेअर्ड नहीं है। अब यह कहना है कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ–मैं समझता हूं उचि नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं बल्कि प्रश्न यह है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हमारे यहां से एक अपोजीशन के सदस्य को टेम्पर विद करके या किसी तरह का लालच देकर किसी ओहदे पर बैठा दिया है–ऐसा कहना, हाई कोर्ट जज के बारे में एस्पर्शन करना है। और मैं समझता हूं कि यह जुडिशियरी के लए खतरनाक चीज होगी। आप स्टेट गवर्नमेंट का दोष बता रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट जज के कैरेक्टर का इससे सम्बन्ध है कि वह टेम्पर विद् हो सकता है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप हाई कोर्ट जज के बारे में कि वह टेम्पर विद् हो गया, किसी ओहदे के लिए हो गया, साफ तौर पर कह रहे हैं और इसकी आपकी बात से झलक मिलती है। इस प्रकार की चर्चा यहां नहीं की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न आया है हाई कोर्ट जज के बारे में इस सदन में संविधान की दृष्टि से क्या कहा जाय, क्या नहीं कहा जाय–इस विषय में मैं कहूंगा कि उनके, उनकी प्रोपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज के संदर्भ में कोई बात कहना उचित नहीं संविधान के अनुसार। दूसरे उनके ऊपर यदि कोई कैरेक्टर एसेसिनेशन जैसी बात हो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह एन्टीसिपेट कैसे कर लिया ?

श्री उपाध्यक्ष : तो यह भी नहीं कहनी चाहिये। यह स्वयं माननीय सदस्यों को विदित है और मैं इस मुत्तालिक और बता दूं कि यू. पी. की विधान सभा और हाई कोर्ट में जब झगड़ा चला तब उसी सन्दर्भ में बोलते हुए महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल श्री सीरवी ने ऐसा दृष्टान्त दिया था जहां होई कोर्ट जज के रिटायरमेन्ट के बाद अपोइन्टमेंट के बारे में कुछ लोगों ने शिकायत की थी और इस विषय में अखबारी खबर भी निकली थी कि इस प्रकार के जो अपोइन्टमेन्ट होते हैं, वह ठीक नहीं है। यह सुझाव इनका चाहे

(श्री उपाध्यक्ष)

जितना इन्नोसेन्ट रहा हो, उस पर कन्टेम्प्ट ग्रॉफ कोर्ट की कार्यवाही हुई थी। वह उचित थी या नहीं, इस सम्बन्ध में मैं प्रकाश नहीं डालना चाहता। लेकिन यह कहूंगा कि विधान सभा के बाहर ऐसी मामूली बात पर भी कन्टेम्प्ट ग्रॉफ कोर्ट बन सकता है तो मैं समझता हूं कि जब विधान सभा में सरसरी रेफ़रेन्स हाई कोर्ट जज के विषय में, किसी विषय में किया जाता है, वह ठीक है लेकिन जहां तक हो सके–उनके कैरेक्टर के सम्बन्ध में अथवा उनकी प्रोपर डिस्चार्ज ग्रॉफ ड्यूटीज के संबन्ध में तो कत्तई रेफरेन्स नहीं होना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं प्रारम्भ से स्पष्ट कर रहा हूं कि जहां तक विरोधी दल हैं, इन विरोधी दलों का डेमोक्रेसी के अन्दर एक महत्वपूर्ण स्थान है और कोई भी लोकतन्त्र बिना विरोधी दल के, बिना स्वस्थ विरोधी दल के, सफल नहीं हो सकता। इस ग्राधार पर कहने वाला था कि इन्द्रनाथ मोदी और वेदपाल त्यागी, जो विरोधी दल को सुशोभित करते थे, विरोधी दल के बहुत बड़े सदस्य थे, को हाई कोर्ट में भेजना और उसके बाद १९६२ के चुनाव के अन्दर विरोधी दल के सदस्यों को येन-केन-प्रकारेण विरोधी दल से तोड़ कर अपने दल में मिलाना...

श्री मोतीलाल चौधरी : वह भी गलत है, साहब।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह गलत है। श्री वेदपाल त्यागी कांग्रेस में थे, हाई कोर्ट वकील थे, उनकी अच्छी प्रैक्टिस चलती थी, लर्नेड एडवोकेट थे; इसलिए हुए, न कि इसलिए जैसा आप कह रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं पूछना चाहता हूं कि जब वे हाई कोर्ट के जज बना दिये गये थे उस समय कांग्रेस के सदस्य थे?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस समय असेम्बली के मेम्बर नहीं थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस समय उनके द्वारा स्वतन्त्र पार्टी जोइन करने का समाचार आ चुका था।

श्री नाथूराम मिर्धा : We should not believe it. वह गलत समाचार था। आपका यह कहना गलत बात है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार विरोधी दल के सदस्यों को जुडिशियरी में भेज कर, विरोधी दल यदि मजबूत बनता है तो उसको कमजोर करने की परम्परायें डाल कर, विरोधी दल के सदस्यों को कांग्रेस में शामिल करके शक्ति को संतुलित करने का प्रयास किया जाये, तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की परम्परायें डालना लोकतन्त्र के हित में अच्छा नहीं है।

इतना ही नहीं, मैं नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में निवेदन करूं। जिन नगरपालिकाओं में, पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में....

श्री नाथूराम मिर्धा : अब कल को, सतीशचन्द्र जी क्योंकि अच्छे वकील हैं, हाई कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस है, लर्नेड एडवोकेट हैं इनको अच्छा ओहदा मिल जाय तो हम क्या करें? क्या हम बनाते है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : बिल्कुल एश्योरमेंट है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री) : If he is at all appointed he will be appointed on merits. We want or we do not want, it matters a little. He is an advocate of standing, he is a lawyer of High Court, he is a learned lawyer. Now, if he is appointed as High Court Judge, he is appointed on his merits.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अपना मुगालता दूर कर लें, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की बात करना बेकार की बात है। आप इन बातों से अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपका ओहदा ऊंचा उठ जाय तो हम क्या करें ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप लालच बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे पूर्ण विश्वास है कि सतीशचन्द्र अग्रवालजी काबिल लॉयर हैं, अगर उस ओहदे पर पहुँच जायं तो कभी कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लायेंगे, अगर सदन में या सदन के बाहर बातचीत करें कि वह वहां पहुँच गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां !

श्री नाथूराम मिर्धा : बड़े आदमी हैं, साहब !

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रजातन्त्र की इकाइयां हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, जिला परिषद् और नगरपालिकायें। इन सारी इकाइयों में आज खुल कर राजनैतिक खेल किया जा रहा है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जनतन्त्र के लिए स्वस्थ परम्परायें नहीं बना रहे हैं। आज सरपंच को हटाना, प्रधान को हटाना, प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्रयास करना, एमर्जेन्सी के नाम पर जिन नगरपालिकाओं के चुनाव ड्यू हैं, जो दो-दो साल से ड्यू हैं उनको टालते रहना, डीडवाना नगरपालिका को सस्पेन्ड करना और इस प्रकार जो विरोधी दल अपनी शक्ति के आधार पर शक्तिशाली बनते जा रहे हैं उनको कमजोर बनाना; इन सब बातों के लिए किस प्रकार कह सकते हैं कि लोकतन्त्र को आप मजबूत बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, आज सारे राजस्थान के नक्शे के अन्दर झांक कर देखा जा सकता है, मैं कांग्रेस दल से पूछना चाहता हूं, आप एक भी उदाहरण दे सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर विरोधी दल के किसी भी मेम्बर को अपोइन्ट किया हो; पब्लिक प्रोसीक्यूटर की जगह, एडवोकेट जनरल की जगह, लीगल एडवाइजर की जगह. . .

श्री मथुरादास माथुर : मुझे माफ करें। आपने अभी पी. पी. के लिए कहा। जब हाई कोर्ट जज की बात आती है तो आप एतराज करते हैं और पी. पी. बनाने के लिए मांग करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह क्या बोलने वाले हैं इसकी खुशबू आपको फट आ गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ समन्वय रखो, कुछ तालमेल रखो आर्ग्यूमेंट्स में।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल, जयपुर) : मैं स्पष्ट करना चाहूंगा . . .

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कोटा का उदाहरण देता हूं। वहां के दो लेक्चरार (१) श्री रमेशचन्द्र सक्सेना और श्री रिखबचन्द धारीवाल, ये दोनों माननीय सदस्य सन् ५७ के चुनावों से पहले लॉ कॉलेज में लेक्चरार थे और जैसे ही चुनाव आया दो-तीन दिन पहले उन्होंने अपना स्तीफा मन्जूर करवा लिया, जीत कर आये। मगर दोनों के हारने के दो दिन बाद फिर उनको लेक्चरार बना दिया...

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो चुनावों में हार जायें क्या वह अपनी रोटी-रोजी कमाने से भी महरूम रह जावें ? वे ५७ में चुनाव लड़ने से पहले भी लेक्चरार थे और बाद में भी लेक्चरार लिये गये। आप इस बात को तो स्वयं मानेंगे, आप भी एक काबिल वकील हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय राजा-महाराजाओं का जमाना था उस समय ऐसे कार्यों के लिए राजा-महाराजाओं को कोसा करते थे और आज आप ही उन अस्वस्थ परम्पराओं को अपना रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : धारीवालजी की प्रेक्टिस से कितनी इन्कम थी, यह तो मालूम है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन्डस्ट्रीज के लीगल एडवाइजर के अलावा कुछ नहीं थे। कॉलेज के लेक्चरार थे। मैं आपको नहीं बताना चाहता कि किस प्रकार की उनकी नोलेज है। मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जिसके अन्दर लाखों रुपये इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, वहां एम० एम० व्यास सरकार की तरफ से एडवोकेट पहले ही नियुक्त हैं, लेकिन आपने उनके साथ कान्ता खजूरिया को १५०) रु० रोज पर नियुक्त किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार फिजूल खर्च बढ़ाना कौनसी लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्परा है ?

आज इस प्रकार आप लोकतन्त्र की दुहाई देकर और हमारा पेट काट कर क्या हम पर बड़े-बड़े टेक्सेज लगा कर आप भाई-भतीजा-वाद फैलाना चाहते हैं। आज सारी स्थिति इसी प्रकार की दिखाई देती है। और लोकतन्त्र की महज दुहाई देते हैं लेकिन उसके सिद्धांतों को नहीं अपनाया जा रहा है। लोकतन्त्र के लिए जब आप विरोधी दल से आशा व्यक्त करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके सिद्धांतों का पालन करें। आज अगर कोई विरोधी पक्ष गलती करता है तो आप कानून के अधिकारों को उपयोग करते हैं और अगर कोई मन्त्री गलत काम करता है या किसी मन्त्री पर कीचड़ उछाया जाता है तो हो ना तो यह चाहिये कि उसके लिये कोई कार्यवाही की जाय मगर ऐसा नहीं होता। होता यही है कि उल्टा उस आदमी को पुलिस के द्वारा तंग करने की कोशिश की जाती है जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अवसर पर राजस्थान के भ्रष्ट मन्त्री, वित्त मन्त्री श्री बालकृष्ण कौल पर आरोप की एक पुस्तिका एक या दो हजार की संख्या में सारे कांग्रेस के पण्डाल

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में बांटी गई और उस किताब में ऐसी बातें थीं। उस किताब में लेखक का नाम है और दूसरी बातें जो भी हानी चाहिए सब मौजूद हैं। कल मुझे उस पुस्तक के लेखक, श्री कैलाशनाथ वर्णमाल, अचानक मिल गए। उन्होंने मुझे सारी बातें बताईं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि उसमें जो बातें हैं यदि वे सत्य हैं तो मैं समझता हूं कि यह मन्त्री महोदय के लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह गलत किया गया है और किसी कारण से उनको बदनाम करने के लिए किया गया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज उनके पास न्यायालयों के दरवाजे खुले हैं। उस पुस्तक में लेखक का नाम है, वे उसके खिलाफ दफा ५०० के खिलाफ इज्जत का इस्तगासा कर सकते हैं। मगर ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि यह जानकारी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उन्होंने यह रास्ता नहीं अपनाया मगर उन्होंने एक दूसरा ही रास्ता अपनाया और वह है उसको समाप्त करने का और वह रास्ता उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि वह व्यक्ति आज जयपुर में घूम रहा है, आज अजमेर में उसके घर पर पुलिस घूम रही है। आज से साल भर पहले एक चोरी के मामले को लेकर रिपोर्ट कराई। अजमेर पुलिस ने उस मामले को एफ. आई. आर. करके खत्म कर दिया। आज उसको एक साल से ज्यादा अर्सा हो गया है, लेकिन जब लेखक ने मन्त्रीजी के खिलाफ किताब निकाली तो दुबारा उसको उस केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसकी ओर से इन्चार्ज, सी. आई. डी. अपराध शाखा को एक पत्र लिखा जाता है।

"राष्ट्रवाणी, सरदार पटेल मार्ग, अजमेर १ मार्च १९६६।

प्रिय महोदय, आपके पत्र दिनांक २८ फरवरी, १९६६ द्वारा मांगी गई नम्बर १ से ५ तक के कागजातों के विषय में निवेदन है कि यह मई, १९६५ में जांच के लिए तत्कालीन इन्सपेक्टर श्री कंवरसेन जैन ले गए थे जो उन्हीं के पास है।"

यह उन्होंने उस पत्र का जवाब दिया जो उनको आई. जी. पी. के द्वारा भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि आपको उपरोक्त केस की तफतीश के सम्बन्ध में आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित कागजात-पत्र आदि तफतीश कुनिन्दा के सामने प्रस्तुत करें।

(१) वह सूची जिसमें १९६३ की बाल प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई वस्तुओं का विवरण दिया गया था तथा बाद को समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी से वापिस ली गईं। (२) पत्र व्यवहार की फाइल जो बाल प्रदर्शनी के लिये वस्तुएं संग्रहण करने के लिए किया गया था।"

इस प्रकार की ५ बातें लिखी गई थीं।

उसके उत्तर में उस संबन्धित व्यक्ति ने जो उस पुस्तक के लेखक हैं, जिन्होंने किताब बांटी, उन्होंने जवाब दिया कि इसका जवाब तो बहुत पहले दे चुका हूं। आज वह केस जो पहले जांच हो कर अदम सबूत में समाप्त हो चुका है, आज उसको दुबारा फिर से उठाया और उसको शोषण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज वित्त मंत्रीजी के लिये यह किया जा रहा है, वह कौन से लोकतन्त्र का ढांचा है और क्या इसी के आधार पर आप राजस्थान में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लोकतन्त्र के लिये विरोधी दल की इस आधार पर आशा करते हैं ? मैं यहां इतना ही कहूंगा कि विरोधी दल का जनसंघ हामी है, हम निराश नहीं होंगे। हम लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं। जनता की शक्ति में विश्वास रखते हैं। हम इस बहुमत में आने के लिये कोशिश करते हैं लेकिन यह नहीं हो सकता कि सत्तारूढ़ कांग्रेस को पलटने के लिये तानाशाही का रास्ता अपना लें। मैं यह कहूंगा कि जो आप यहां पर आचरण करते हैं उससे आज लोकतन्त्र खतरे में है। आपका लोकतन्त्र लड़खड़ा रहा है और आपके कार्यों से लोगों में आपसे आस्था उठती हुई चली जा रही है। जो इस प्रकार के वामपंथी समाजवादी हैं, उनको जन-भावनाओं को उखाड़ने का राजस्थान या हिन्दुस्तान में प्रयत्न करते हैं, उनको अवसर मिलता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप पर इसकी सबसे बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि लोकतन्त्र को जिन्दा रखने के लिये आप अच्छी तरह से प्रयत्न करें।

(१. ४८. म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

देश की सीमाओं पर हमारे बहादुर सैनिकों ने, और लोगों ने बहादुरी दिखाई उसकी तारीफ राज्यपाल महोदय ने की लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस सीमा के प्रश्न को लेकर राज्यपाल महोदय को भाषण से प्रारंभ होना चाहिये, उसके भाषण को समाप्त करने का कांग्रेस शासन ने प्रयत्न कया। मैं कांग्रेस शासन पर इस बात का आरोप लगाता हूं कि तीन दिन राज्यपाल महोदय के कन्डक्ट पर इस प्रकार की बहस चलाई।

आज सीमा का प्रश्न खड़ा है। जैसलमेर और बाड़मेर सेक्टर में जो कुछ हुआ उसके लिये जिम्मेवार कौन है ? जहां हमारे हिन्दुस्तान के सैनिकों ने बड़ी सेवाएं कीं, वहां अफसोस है कि यहां पर वे कुछ नहीं कर पाये और उनके कारण से हमारी सीमाओं में दुश्मन प्रवेश कर गये। इसके लिये राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार को समय समय पर इसके संबन्ध में बहुत कुछ कहा गया और आग्रह किया गया था कि सीमाओं पर लगातार मस्जिदें बनाते हैं, स्कूलों में पाकिस्तान की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। पंचमार्गीय सक्रिय हो रहे हैं और मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि जिस समय पाकिस्तान की सेनाओं ने हमला किया, लूटमार शुरू की, जो पाकिस्तानी रजाकारों ने, मुजाहिदों ने हमारी सीमाओं के अन्दर लूटमार की उसमें हमारे यहां के पंचमार्गी लोगों ने पाकिस्तान की सेनाओं का साथ दिया ? सभापति महोदया, मैं एक क्षेत्र में गया तो मैंने स्वयं ने देखा कि उन पाकिस्तानी मोर्चों पर जिन पर कि हमारी सेनाओं ने कब्जा कर लिया था, आर. ए. सी. ने कब्जा कर लिया था, वहां पाकिस्तानी फौजें खाटें छोड़ करके गईं ? ये खाटें कहां से आ गईं ? क्या पाकिस्तानी मुजाहिद, रजाकार खाटें लेकर मोर्चों पर लड़ने आये थे ? यह खाटें पाकिस्तानियों को हमारे यहां के पंचमार्गी लोग ये उन लोगों ने पहुँचाई थीं। उन पाकिस्तानियों के लिये पीने को पानी कहां से आया ? जब कि हमारे सैनिकों को मतीरों के पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ी, जबकि मतीरों के पानी के आधार पर हमारे वीर सैनिकों ने सारी दिनचर्या पूरी की ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आप कह रहे हैं खाटें कहां से आईं, आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तानी अफसर कई जगह खाटें साथ लेकर चलते थे ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं दाद देता हूं आपकी बुद्धि की...

(कुछ विरोधी दल के सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : खाटें लेकर लड़ने आये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपकी अक्ल के बाहर की बात है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : वहां मोर्चों के ऊपर औरतों के घाघरे कहां से आये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भ्रमात्मक प्रचार है..

श्री हरिप्रसाद शर्मा : औरतों के घाघरे लटके देखे मोर्चों पर; कह दो वे भी साथ लेकर चलते थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अरे! हमारे रिश्तेदार फौजों में नौकर हैं, तुम्हें पता नहीं,.....

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो हमारे देश में पंचमार्गी तत्व हैं उन्होंने उनको खाटें पहुंचाईं, पानी पहुंचाया, सहायता दी....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो बाद में पधारे थे देखने के लिये....

श्री श्रवणलाल : जयपुर भाग आये थे तुम तो, तुमने तो टी. ए., डी. ए. कमाया है।

श्री कृष्णकुमार गोयलः भूतपूर्व एम. एल. ए. हाजी साहब को गिरफ्तार किसने करवाया और छुड़वाया किसने ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार ने ही किया और सरकार ने ही छोड़ा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने छुड़वाया।

श्री ओंकारसिंह चौहान (गिरवा) : शर्म नहीं आती.....

(शोरगुल)

श्री कृष्णकुमार गोयल : डी. आई. आर. में पंचमार्गी तत्वों को पकड़ना चाहिये था उसका उपयोग राजनैतिक सत्ता के लिये अपनाया गया, बड़े बड़े लोगों को राजनैतिक आधार पर छोड़ दिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई राजनैतिक आधार पर नहीं छोड़ा गया, मेरिट्स पर ही पकड़ा गया और मेरिट्स पर ही छोड़ा गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कांग्रेस में घुसे हुए कांग्रेसी लोगों ने जो लोग कि राजस्थान में नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हैं, उन लोगों को बोनाफाइड राजस्थानी के फर्जी सर्टिफिकेट्स दिला कर हमारे यहां, राजस्थान में बाड़मेर सीमा पर जमीनें दिलाईं, ऐसे लोगों के खिलाफ ४२० में कार्यवाही की गई है, उस आदमी को हम देखते हैं कि कांग्रेस के मंच पर भाषण देता है तो हमें बड़ा दुख हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत इल्जाम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री अहमद बख्श सिन्धी जो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस ए. आई. सी. सी. का मेम्बर है, जिन्होंने पाकिस्तान पर्सनल्स को १० हजार एकड़ जमीन गलत तरीके से बाड़मेर बोर्डर पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिलाई, जिसको बाड़मेर के कलेक्टर ने वापिस लिया, वह कांग्रेस मंच पर बोले, उनको कांग्रेस से नहीं निकाला ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में जो हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, वह केस सबजुडिस है, आज नहीं कह सकते कि उसने ऐसा किया, इसलिये जब तक एक आदमी केस में इन्वोल्ड हो वह कहीं बैठ कर भाषण दे तो उसको रोका नहीं जा सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केस हुआ तो प्राइमाफेसी तो सही है, आप उसे गलत नहीं कह सकते । जो प्राइमाफेसी गलत हो ऐसे केसेज को राजस्थान सरकार रजिस्टर करती है, क्या आप यह कहना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न गलत कहता हूं, न सही कहता हूं । मैं यह कहता हूं कि आप सही मान लें, वे गलत है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : तो सभापति महोदया, मैं इस पर कहना चाहूंगा ।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना भाषण जल्दी वाइन्ड-अप कर लें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदया, मैं जहां विषय से दूर जाऊं आप मुझे फौरन फरमा दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इस वाद-विवाद के लिये दिनांक ३, ४ और ५–ये तीनों दिन तय किये हैं । इस हिसाब से करीब साढ़े सात घंटे विरोधी पक्ष के होते हैं । विरोधी दल में तीन पक्ष हैं, एक पक्ष सदन से बाहर जा चुका है, स्वतन्त्र पार्टी के चार, साढ़े चार घंटे मान लें तो भी हमारे जनसंघ के तीन घंटे बचते हैं । एक अखबार साहब बोले हैं और दूसरे स्पीकर ये हैं, हमारी पार्टी के समय में से बचेगा तो हम बोल लेंगे, घंटी का प्रश्न हमारे लिये खड़ा नहीं होता । हमारी पार्टी का टाइम है, उसमें हमारी पार्टी के मेम्बर जितना टाइम बोलें बोलने दिया जाये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदया, जहां डी. आई. आर. का उपयोग पंचमार्गी लोगों के दमन के लिये किया जाना चाहिये था वहां राजनैतिक स्तर पर फायदा उठाने के लिये उसका उपयोग किया गया । जहां तक सीमा पर आर. ए. सी. की बात है, जवानों के लिये मैं कह सकता हूं सीमा से लौट कर आये तो हमने एक ही धारणा बनाई थी और वह धारणा यह बनाई कि इन जवानों से हम लोग कभी उऋण नहीं हो सकते । अपने चमड़े की जूती बना कर इन जवानों को पहनायें तो भी हम इनसे उऋण नहीं हो सकते, पर आर. ए. सी. के इन बहादुर जवानों के लिये सरकार ने क्या किया ? क्या यह सही नहीं है कि बिल्कुल निहत्थे से बना कर इनको काल के मुंह में डाल दिया गया ? जिस समय ये चौकियों पर थे, युद्ध बन्द हो गया ? तब हम पहुंचे इन जवानों के पास, ३०३ राइफल के अलावा एल. आइ. जी. की मशीन थी, इनके पास एम. आइ. जी. नहीं थी, हैवी मशीन नहीं थी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदया, यह बिल्कुल गलत और निराधार समाचार है । फौजों और आर. ए. सी. के पास

Page No. 64

(श्री नाथूराम मिर्धा)

क्या शस्त्र थे; पहली बात तो यह है कि इनको जानकारी नहीं हो सकती, यह बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत और भ्रामक जानकारी देकर लोगों के मोरल को डाउन नहीं करना चाहिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, एम्यूनिशन के साधन तक पूरे इनको नहीं दिये गये ....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल निराधार और तथ्यहीन बात है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आर्म्स के मेन्टीनेन्स के लिये जो धागा, छोटी छोटी चीजें, तेल आदि जरूरी हैं वह तक इनको नहीं दी गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब पूरी मात्रा में उपलब्ध थीं ।

श्री श्रवणलाल : यह सब तो दूर रहा, अरे पीने के लिये पानी तक नहीं दे सके, तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिये ।

श्री जोर्धासिंह चौहान : आपको पता नहीं, केवल मतीरों का पानी पीकर लड़ते रहे हमारे जवान....

श्री श्रवणलाल : तीन-तीन दिन तक मतीरों के पानी से उन्होंने अपनी प्यास को बुझाया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने स्वयं ने नया तला चौकी पर देखा कि छोटा सा जख्म एक जवान के पैर में था । उसकी मरहम-पट्टी वहां नहीं हो सकी, उसे चौहटन लाया गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां अस्पताल और सारी चीजों की व्यवस्था थी, हो सकता है कि एक आदमी को किन्हीं कारणों से नहीं मिल सकी हो....

(शोरगुल)

श्री जोर्धासिंह चौहान : मैंने देखा उसे खाट पर चौहटन लेजाया गया, जीप तक नहीं पहुंचाने के लिये ।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदया, ऐसी तथ्यहीन चर्चाएं नहीं की जायें । इस तरह की तथ्यहीन बातें करके सदन का समय जाया न किया जाय ।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदया, जो कुछ ये बकवास करते हैं इनको नहीं बोलने दिया जाय ।

आपने तो पहले सदन को गुमराह किया, हमारी चौकियां पाकिस्तान के पास नहीं हैं ।

(शोरगुल-घंटी)

श्री जोर्धासिंह चौहान : आपको शर्म आनी चाहिए कि सीमा की रक्षा नहीं कर सकते ।

ण

जारी रखना चाहते हैं तो शांति रखिए ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): खाद्य मंत्री बीच बीच में बोलने लग जाते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धाः गलत बातों का खण्डन करना चाहिये ।

श्री जयनारायण व्यासोवियाः आप भी गलत कहेंगे तो हम भी खंडन करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयलः आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेटून्स के पास ट्रक्स और जीप्स भी नहीं थे। अगर समय पर भगवान न करे कोई बात हो जाय तो अपने सामान को लेकर भागने में भी वे समर्थ नहीं थे।

श्री नाथूराम मिर्धाः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की गलत चर्चाएं इस सदन में न उठाएं क्योंकि........

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): अभी तो जोधपुर के किस्से बताएंगे।

(अश्रव्य-घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धाः इस तरह से हम अपने डिफेन्स फोर्सेज और लोगों के मनोबल को घटायेंगे, इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं सदन में होना वांछनीय नहीं हैं। अगर हमारी बात सही नहीं है तो इस बारे में आप सम्बन्धित लोगों से मिल सकते हैं, बाकी यहां चर्चा करना ठीक नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अभी तो बाड़मेर आयेंगे, बीकानेर जायेंगे, जोधपुर आयेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब तक राजस्थान और हिन्दुस्तान पाकिस्तान के साथ जूझता रहा, युद्ध होता रहा हम अपने मुंह पर ताला लगाकर चुप रहे, एक शब्द भी सीमा की रक्षा के बारे में सदन में या बाहर नहीं कहा, लेकिन आज जब ताशकंद घोषणा हो गई, जिसकी दुहाई देकर शांति की बात करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों नजदीक आ रहे हैं; तो आज विरोधी दल के नाते हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम सदन के अन्दर उन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करें कि वह क्या कारण था जिसके कारण, राजस्थान सरकार की निकम्मेपन के कारण हमारे मस्तिष्क पर कलंक का टीका लगा। पहले तो आर० ए० सी० के जवानों को, युद्ध बंद होने तक, राशन भी अपने पास से खर्च करना पड़ा........

(२.म.प)

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सीमा की रक्षा के सिलसिले में जो कुछ भी खामी की बात कहना चाहते हैं, वह राज्य सरकार के समक्ष न रखें। आर० ए० सी० फोर्स जो है सीमा पर, जब किसी मुल्क के साथ जंग हो जाता है, तो वह डिफेन्स के लिए नहीं है। आर० ए० सी० बोर्डर पुलिस है और उसका काम सिर्फ बोर्डर पुलिस का जितना होता है उतना ही है। उनके पास क्या वेपन्स हैं या नहीं हैं वह भी एक शिड्यूल के हिसाब से भारत सरकार तय करती है, स्वयं राजस्थान सरकार को भी अधिकार नहीं है कि जो वेपन्स आप उनके हाथ में देना चाहें या हम चाहते हों वह हो, वे लेकर उनको नहीं दे सकते। सब जगह जितनी भी आम्ड कॉन्सटेबुलरीज हैं, उनके पास एक पैटर्न वेपन्स का होता है, वही हम दे सकते हैं। ऐसे बहुत से वेपन्स हैं जो दिए जा सकते हैं, मगर फिर भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि भारत सरकार की इजाजत नहीं है। इसलिए उन वेपन्स के बारे में कहना कि ये नहीं थे, वह मामला

(श्री मथुरादास माथुर)
डिफेंस से सम्बन्धित है । जो बात आप कहते हैं वह पार्लियामेंट में एजीटेट करने के लायक है ।

जहां तक राशन्स का सवाल है मैं तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि राशन का माकूल इंतजाम था राज्य सरकार की तरफ से आर० ए० सी० के लिए। डिफेन्स के साथ जो भी सहयोग की जरूरत थी वह किया गया । डिफेन्स के बड़े बड़े कमांडर्स थे उन्होंने राजस्थान सिविल एडमिन्स्ट्रेशन को एप्रीशिएट किया है । चाहे पानी हो या बिजली हो या विहिकल्स मांगे हों; चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, हमने उनके डिस्पोजल पर रखा । इस बारे में बाड़मेर और जैसलमेर में जितना उनको सहयोग मिला है उतना उन्होंने एप्रीशियेट किया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: मंत्री महोदय के इस इंटरप्रेशन के बारे में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमने महसूस किया, जो कुछ देखा उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यदि आपने कोई कमी महसूस की तो क्यों नहीं केन्द्र से कहा ?

श्री मथुरादास माथुर: इसको हमने महसूस किया, विरोधी दल के नेताओं ने महसूस किया, मुख्य मंत्री और विरोधी दल के नेता की बात-चीत हुई थी; जब मैं गृह मंत्री था तो चाइनीज एग्रेशन के सिलसिले में भी वहां पर कहा गया, सब कुछ बातें की गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): डी० आई० आर० के अन्तर्गत आदमी पकड़े गए उनको छुड़वा दिया गया, यह खिलवाड़ राजस्थान में क्यों हो रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर: कोई हमारी नीति नहीं बदली है । आप अपनी पार्टी के नेता से पूछें, वे भी मीटिंग में मौजूद थे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि इस मामले में क्या असर होता है, क्या पब्लिक इंटरेस्ट में है, मोरल उठाने के लिए इस बात का ध्यान करेंगे कि जो भी चीज है, चाहे इधर से या उधर से बैठने वाले हों–सही यह है कि सरकार और ये दोनों मिल कर इस सारे मामले पर विचार करें और इस चीज के अलावा इस चीज से क्या फायदा होगा, कितना पब्लिक इन्टरेस्ट है, इसका हमें वजन करना चाहिए; यह मेरा नम्र निवेदन है दोनों तरफ से ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के एक सीनियर मेम्बर ने कम से कम महसूस तो किया और इसी स्प्रिट में अगर मंत्रीगण महसूस करें तो वाद-विवाद का प्रश्न ही नहीं बन सकता । इस समय मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार जैसे आरंभ में सचेत नहीं रही, कहीं ऐसा न हो, फिर ताशकंद घोषणा के कारण भूलभुलैया में फंस कर जो सीमा क्षेत्र के प्रति सजगता होनी चाहिये, जैसे सड़कें बनाना, पानी की व्यवस्था, वह न करे । खास तौर से बाड़मेर सैक्टर के अन्दर जिस क्षेत्र से मैं घूमकर आया था उसके अन्दर जो १५–२० गांव खाली हो गए थे, एक भी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आदमी नहीं रहता था। आज इस बारे में सरकार से पूछना चाहता हूं कि वहां के जो लोग थे वे कहां गए, उनके बारे में सरकार को क्या सूचना है? वहां से आने के बाद सरकार को कब सूचित किया गया? आज जब ताशकंद घोषणा हो गई तो गांवों की क्या स्थिति है? सरकार को सजग रहना होगा। ऐसा न हो कि जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय भारत-पाकिस्तान गए हों और जब शांति का नारा लगाया जा रहा है वे पंचमार्गी तत्व राजस्थान की सीमा में वापिस आ जायें और पंचमार्गी कार्यवाहियां शुरू करें। आपके विदेश मन्त्री, श्री स्वर्णसिंह जो अभी रावलपिंडी से लौटे हैं उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान किसी प्रकार से समस्याओं का निवारण करने पर सीरियस नजर नहीं आता।

आज मीजो के अन्दर क्या हो रहा है, वहां जो कुछ कार्यवाहियां हो रही हैं उनमें किसका हाथ है? इसलिए केवल ताशकंद घोषणा के नाम पर, शान्ति की आड़ में सीमा के बारे में चुपचाप हो जायें, सरकार इस प्रश्न पर सजग रहे। मुख्य मंत्री और राजस्व मन्त्री की विशेष जिम्मेदारी है।

आज आपको पता है कि अपने प्रदेश से पंजाब प्रदेश लगता है जहां जब पंजाबी सूबे की मांग बढ़ती जा रही है उसके साथ-साथ हरियाणा प्रान्त की मांग की जा रही है। आज हरियाणा प्रान्त की बात भी वहां की जा रही है। आज राजस्थान सरकार के ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। जो क्षेत्र पंजाब सीमा से लगे हुए हैं, चाहे गंगानगर, बीकानेर क्षेत्र हों या दूसरे क्षेत्र हों, ऐसा न हो कि उन सम्प्रदायिक तत्वों के साथ हो जायें और उनकी हां में हां लगाये। राजस्थान एक रहे, उसकी सीमा में कोई खतरा न हो, उन सब के लिये सरकार को अधिक से अधिक सक्रिय होना चाहिये।

खाद्य समस्या को लेकर बातें कही गयी हैं। आज खाद्यान्न की कमी और अकाल के कारण जनता बहुत पीड़ित है। वर्षा कम हुई इस कारण भी अन्न की कमी है। इस पर जब प्रश्न चल रहा था तो खाद्य मन्त्री ने बताया कि ६–७ लाख टन की कमी है। मैं सोचता हूं कि यह इतनी कमी नहीं है जितना इसको भयंकर बना कर चल रहे हैं। यह कमी क्या महत्व रखती है? भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री ने देश को 'जय किसान' का नारा दिया था। पी. एल. ४८० आत्म-सम्मान खोकर लेने को ठुकराया। उस समय जो भावना हिन्दुस्तान में पैदा हुई थी, आत्म-निर्भर बनने के लिये जो भावना गांव-गांव में पैदा हुई थी, वह सारी की सारी आज साफ नजर आती है। जब प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री ने "जय किसान" का नारा दिया था उस समय रबी की फसल बोने का मौका नहीं आया था, यदि राजस्थान सरकार अपने समस्त साधन खेती की ओर बढ़ा देती तो कोई कारण नहीं था कि ६, ७ लाख टन के टार्गेट को पूरा न कर पाती। हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि खाद्य समस्या किसी देश और प्रदेश की नहीं है किन्तु यह सारे राष्ट्र की समस्या है। यदि हम तहसील, जिला और प्रदेश के लेवल पर सोचेंगे तो यह राष्ट्र की समस्या के प्रति नहीं सोचेंगे जब कि यह राष्ट्र की समस्या है। हमारी समस्या अन्न उत्पादन से है। यह प्रश्न केन्द्र से होना चाहिये। हमारी सरकारें प्रान्तीय मोह से

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

भरी हुई हैं। आज हम जोन समाप्त करने के लिये तैयार नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट समाप्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। हो सकता है कि अपने प्रान्त के लोगों को थोड़े समय के लिये अन्न सस्ता मुहैय्या करा दें। लेकिन हमारे ही राष्ट्र के दूसरे लोग अन्न मंहगा खायें और हम सस्ता खायें, यह कहां की राष्ट्रीयता है, और यह कहां तक हो सकता है? हमको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस समस्या को हल करना पड़ेगा।

आज किसान पर किसी प्रकार का अंकुश लगाना कि अमुक मात्रा में, अमुक कीमत में और अमुक संख्या में अनाज मुहैय्या करो, एक ओर किसान के साथ यह अत्याचार है और दूसरी ओर राष्ट्रीय समस्या के प्रति हम अपनी आंखें मूंद रहे हैं। आज इस समस्या को एक हऊआ बनाया जा रहा है। यह सत्य है कि अनाज मंहगा हुआ है। क्या अनाज ही केवल मंहगा हो गया है? अन्य कोई चीज मंहगी नहीं हुई है? क्या मंहगाई दूसरी चीजों पर नहीं है? आपको इस पर विचार करना होगा कि आज औसतन परिवार अपने परिवार में खर्च करते समय केवल अन्न पर बजट का कितना प्रतिशत खर्च करता है। केवल अन्न पर कितना प्रतिशत खर्च करता है? मुश्किल से १० से ५० प्रतिशत यह आंका जा सकता है। बाकी ७० से ५० प्रतिशत किसी दूसरी चीजों पर खर्च करता है। एक ओर हम यह नारा देते हैं कि हिन्दुस्तान में ७०, ८० प्रतिशत किसान हैं, वे खेती पर जिन्दा हैं। उन ७०, ८०, प्रतिशत खेती पर जिन्दा रहने वाले किसान को हम बांध देना चाहते हैं। किसके लिये? केवल २०–३० प्रतिशत के लिये! यदि किसान की जेब में पैसा होगा तो सारा हिन्दुस्तान मालदार बनेगा। सारे हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसलिये किसान को पहले मालदार बनाना है। चूंकि शहरों में रहने वाले २० प्रतिशत लोग मांग करते हैं, उनकी मांग को पूरा करने के लिए, चूंकि उनकी आवाज में जोर है, वे इकट्ठा होकर लड़ना जानते हैं, किसान बेचारा इकट्ठा नहीं हो सकता, उसमें शक्ति नहीं है सरकार को ललकारने की, उसकी कीमत पर शहर वालों का पेट भरना चाहते हैं; किसान पर बोझ डालना चाहते हैं, इसका परिणाम क्या होगा? अन्न के मामले में आत्म निर्भर होने की बात करते हैं; स्वावलम्बी होने की बात करते हैं आप, कभी नहीं हो सकते जब तक आप हमेशा के लिए पी. एल. ४८० को छोड़ नहीं देंगे और नहीं तो आपको आपकी इन नीतियों के कारण पी. एल. ४८० पर जिन्दा रहना पड़ेगा। आप अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, प्रदेश को पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं तो आप किसान को स्वावलम्बी बनायें ताकि वह अधिक से अधिक अन्न पैदा करे और वह यह तब ही करेगा जब उसको अच्छे भाव मिलेंगे। अमुक पाबन्दी लगाओ कि अमुक कीमत पर अनाज मुहैय्या करना पड़ेगा, यह किसान पर अत्याचार है।

इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा केवल कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ के किसान के साथ इस शासन ने राजनैतिक खेल खेला है। उस डिवीजन के किसान के साथ इस शासन ने आंख-मिचौनी खेली है। उस किसान की केवल गलती यही थी कि उसने गेहूं पैदा किया और रूई, कपास और गन्ना पैदा नहीं किया। वह भी उस क्षेत्र को

तो अच्छा पैसा मिल जाता। उसने बड़ी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

भारी भूल की कि उसने तन-मन-धन लगाकर अन्न पैदा किया। उसने आत्म निर्भर किया, उसकी क्षमता यह है कि दूसरे क्षेत्रों को भी आत्म-निर्भर बना सकता है कि गेहूं पैदा करना चाहिये। उसकी गेहूं पैदा करने की गलती के कारण आपने उस पर यह पाबन्दी लगा दी कि कहीं बूंदी, कोटा, झालावाड़ से अनाज लेकर भाग न जाय। वहां आज अनाज के भाव गिर रहे हैं। नयी फसल खड़ी है। चना खलिहान में है और आने वाला है। आखिर उस किसान का कुसूर क्या था? कोटा क्षेत्र में जनसंघ बहुमत में है। बूंदी और झालावाड़ में कांग्रेस बहुमत में है। क्या कारण है कि आपने उनके साथ भी आंख-मिचौनी की? सभापति महोदया, आपको अन्न के मामले में आत्म-निर्भरता के लिए भी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा, किसान को प्रेरित करना पड़ेगा कि खेत में अन्न पैदा करे और दूसरी चीजें पैदा न करे। उस बीच में मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत समिति में किसानों के खेतों में गन्ना खड़ा है और वह सूख रहा है। खादी बोर्ड से किसानों को खांडसारी फैक्टरी लगाने के लिए पैसा मिल चुका है लेकिन सरकार उनको लाइसेन्स देने के लिए तैयार नहीं है। उस क्षेत्र के किसान ने सब तरह से लुटकर, सब कुछ लगाकर गन्ना पैदा किया, पैसा लगाकर मशीन लाये, उनको लाइसैन्स न देकर बर्बाद किया जा रहा है। गन्ना खेत में खड़ा हुआ सूख रहा है। आप कोटा से हिण्डेरी तक पहुंच जायें आपको अन्न का नाम नहीं मिलेगा, गन्ना ही गन्ना खड़ा है। आखिर यह क्या दृष्टिकोण है? जनसंघ ने कुछ बिगाड़ा होगा, लेकिन अधिकतर किसान जनसंघ के नहीं हैं कांग्रेस के हैं, बहुमत उन क्षेत्रों में कांग्रेस का है, आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा है कि आप उनके साथ यह अत्याचार कर रहे हैं? जब हम यह मांग करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि हम व्यापारियों के दलाल हैं, उनके लिए बात करते हैं।

मैं आपको कह देना चाहता हूं कि व्यापारियों को आप बेईमान समझें, उनको आप फांसी पर लटका दें, उनकी मैं वकालत नहीं करता। लेकिन मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आपने एन. ओ. सी. के नाम पर, परमिट के नाम पर अपने कुछ भाइयों को ही आगे लाने का प्रयत्न किया, उन्हीं को आप आगे लाना चाहते हैं और उसकी आड़ में किसान को खत्म करना चाहते हैं।

सभापति महोदया, चने के प्रश्न को लेकर आपने क्या क्या नहीं किया आपने जिस प्रकार की खिलवाड़ राजस्थान की जनता के साथ की है उससे बड़ा भारी कलंक खाद्य मन्त्री जी आप पर और नहीं हो सकता। आपने आरम्भ के अन्दर जिस समय ग्राम एन्ड बारली एक्वीजीशन एक्ट लागू किया उसके अन्दर २३-१२-६४ को यह व्यवस्था की थी कि कोई व्यापारी सरकार को जितनी मात्रा के अन्दर भी चना तुलवायेगा उतनी ही मात्रा का उसको एन. ओ. सी. इश्यू कर दिया जायेगा और उतना ही वह निर्यात कर सकेगा। यह तथ्य है आपने उस चने को ४०.५० पैसे क्वीन्टल के भाव से खरीदा था जब कि वस्तुस्थिति यह थी कि उस समय चने का बाजार भाव यह नहीं था इससे करीब डेढ गुना ज्यादा था। व्यापारी ने लालच के अन्दर आपको चना दिया। इसमें किसान को फायदा मिलता है इससे भी इन्कार नहीं कर सकते। मंहगा चना

Page No. 70

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
खरीद कर यदि किसान को कुछ पैदा होता है तो खुशी है। लेकिन आरम्भ में आपने चना लेकर चना उतनी ही मात्रा में निर्यात करने के लिए एन. ओ. सी. दिये, उसके तुरन्त बाद ११ अगस्त को आपने प्रशासन की आज्ञा द्वारा उस निर्यात को बन्द कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि आपके पूर्व आदेश के अनुसार व्यापारियों ने नये स्टॉक कर लिये, उनका स्टॉक पड़ा है, यह आप स्वयं स्वीकार करते हैं। इससे हजारों मन चना एकत्रित हो गया। कुछ स्थानों पर आपकी यह जो ११ अगस्त की सूचना थी वह समय पर नहीं पहुँची इसलिए वहां के व्यापारियों ने उसका दो तीन दिन तक फायदा उठाया और अधिकारियों ने उनका माल खरीदना शुरू रखा। ऐसी परिस्थिति में कहीं-कहीं तो एन. ओ. सी. दे दिया गया और कहीं-कही पर रोक दिया गया। हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि सारे स्थानों पर एक साथ माल लेना रोक दिया हो लेकिन ऐसा न करके कुछ स्थानों पर एन. ओ. सी. दो-तीन दिन उसके बाद भी दिया गया दूसरी जगह के लोगों को नहीं दिया गया। उसके बाद कुछ व्यापारियों ने इस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। उस याचिका में उस आदेश को चेलेन्ज किया गया। सभापति महोदया, जनतन्त्र और लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं मैं व्यापारियों की वकालत नहीं करता, लेकिन जब किसी के अधिकारों का सवाल आता है, व्यापारी मुनाफा चाहे कमाये या नहीं कमाये, किन्तु किसान की कोस्ट पर व्यापारी को मुनाफा नहीं कमाने देना चाहिये। जहां तक संवैधानिक अधिकारों का सवाल है उन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की। आज इस लोकतन्त्र में वैधानिक अधिकारों का संरक्षक हाईकोर्ट है। वे अपने अधिकारो की रक्षा के लिए हाईकोर्ट में गये। सभापति महोदया, उन्होंने ११ अगस्त के ऑर्डर को चेलेन्ज किया। उसके बाद प्रशासन ने देखा कि उनका केस वीक है तो उन्होंने उस ऑर्डर को सस्पेन्ड कर दिया। उसके बाद भी उसमें कम्पलीकेशन्स पैदा हुये। एसेन्शियल कोमोडिटीज़ एक्ट के अन्तर्गत एक ऑर्डर निकलता है उसको डी० आई० आर० के तहत ससपेन्ड करते हैं, यह नहीं हो सकता। स्पेशल लॉ को जनरल लॉ से एमेन्ड नहीं किया जा सकता। डी० आई० आर० जनरल लॉ है। इस प्रकार जब सरकार ने अपनी कमजोर स्थिति देखी दूसरा संशोधन लाया गया। सभापति महोदया, एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत इस रेग्युलेशन को समाप्त कर दिया गया। वास्तव में यह स्थिति बन गई थी कि याचिका निरस्त होने योग्य थी। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। जो रिमार्क्स हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार पर कसे हैं मैं समझता हूं उससे अधिक अशोभनीय बात और नहीं हो सकती।

कल श्री सतीशजी ने बताया था, मैं उस सारी चीज को दोहराना नहीं चाहता। जो हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं उस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"While we don't find any substance in the arguments of the lear-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ned counsel for petitioners, we cannot help saying that the petitioners have been subjected to a harsh treatment by the Government officers, and they were not justified in imposing a ban in August, 1965 without the semblence of any authority under the law to do so. The problem could have been tackled administratively with some imagination. While the Govt. should be anxious to carry out the policy underlying Essential Commodities Act or for the matter under the Defence of India Act, it should at the same time see that the legitimate grievances of the individual citizens are remedied."

Further they have said, "We express the hope that the Govt. will still consider the matter properly and see if it is possible to mitigate the petitioners' genuine hardship."

इस प्रकार के आपको रिमार्क्स दिये हैं। हम तो केवल यह चाहते हैं कि खाद्य के मामले में हमारी नीति स्पष्ट रूप से किसान को अधिक से अधिक पैसा मिल सके ऐसी होनी चाहिये। उसके अलावा जो कुछ कमी अनाज की हमारे यहां है उसको हम इम्पोर्टेड व्हीट से पूरी करें और वितरण-व्यवस्था सुधार कर सकते हैं। हमारे यहां अकाल की छाया होगी, सूखे की छाया होगी लेकिन इतना परेशान होने की और घबराहट की बात नहीं है, अगर राजस्थान सरकार हर निश्चय को राजनैतिक आधार पर न करे और अपनी एक नीति पर कायम रहे। आपने इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट पर रोक लगाई, यह मैं आपको कहना चाहता हूं, यह आपको कल तोड़ना होगा लेकिन इसमें सौदेबाजी होगी; लेकिन आप याद रखिये यह सौदेबाजी हम नहीं होने देंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कोटा डिवीज़न के काश्तकारों के साथ आप खिलवाड़ मत करिये। आपने मेग्ज़ीमम कीमत जो कायम कर रखी है उसको हटाइये, किसान अपना माल जितनी भी कीमत पर हो बेच सके उसको सुविधा दीजिये।

सभापति महोदया, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी इस प्रकार की ढिलमिल नीति से आप खाद्य-समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

अब मैं सभापति महोदया, आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। जिन माननीय सदस्य ने यह धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया उन्होंने हमारी सब बातों से इन्कार कर दिया लेकिन उन्होंने भी एक बात को स्वीकार किया था और रोष प्रकट किया था कि शासन के अन्दर भ्रष्टाचार है, शासन भ्रष्ट हो चुका है। उन्होंने सवाल पूछा कि हम इसे समाप्त कैसे करें? मैं उनको धन्यवाद इस बात का देता हूं कि उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि शासन के अन्दर भ्रष्टाचार है। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार रखता हूं। जब आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो हमें इसकी गहराइयों में जाना होगा। आज जिस प्रकार का सारे देश का वातावरण बन चुका है आज सारा देश भौतिकवाद के पीछे चला जा रहा है। आज पैसे का महत्व भौतिक

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

बाद में बढ़ा दिया है, इससे बाप-बेटे को पैसे के आगे कुछ नहीं समझता, बेटा बाप, को बिना पैसे कुछ नहीं मानता। यह सारा जो दृष्टिकोण है वह पैसा ही पैसा है। आज पैसे को माई-बाप मानकर चला जाता है। यह जो भौतिकवाद है वह पश्चिमी देशों की तरफ से आया है। उसका हमारे देश में अन्धानुकरण होता जा रहा है। पैसे की कीमत है, पैसा कीमत रखता है लेकिन जो पैसे को मां-बाप मानकर चलते हैं उनका यह दृष्टिकोण गलत है।

सरकार देश में ऐसा वातावरण बनावे जिससे लोग पैसे को इतना महत्व न दें आपको इसके लिये देश को आध्यात्मवाद की ओर ले जाना होगा।

दूसरा भ्रष्टाचार सब से बड़ा कारण चुनाव है। जिस समय चुनाव होते है उस समय चपरासी से लेकर पटवारी, कानूनगो तहसीलदार, एस० डी० ओ०, थानेदार, कलेक्टर, एस० पी०, डीवाई० एस० पी० सारे के सारे विधान सभा क्षेत्र में जो उनके मर्जी के पात्र होते हैं उनको लगाने की चेष्टा आपके द्वारा की जाती है। जो आपको चुनाव में सहयोग दे सकें, आपको वोट दिला पायें उनको आप अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगाना शुरू चुनाव से साल भर पहले ही करने लग जाते हैं। ऐसे आदमियों को आप रखना पसन्द करते हैं जो झूठे मुकदमे बना सकें और उनको बिगाड़ भी सके। फिर आप ऐसी हालत में यह चाहते हैं कि चुनाव स्वतन्त्र रूप से हो। हम अखबारों में रात दिन पढ़ते हैं, देखते हैं मंत्री-गण अपने लोगों का काम करवाने के लिये टेलीफोन किया करते हैं कि यह मेरा वोटर है, यह मेरा भाई है, यह साला है. इनका काम करना पड़ेगा। सेक्रेटेरियेट लेवल पर, कलेक्टोरेट लेवल पर उनके टेलीफोनों से काम होते हैं। आप इस समय इसको मान्य नहीं करेंगे लेकिन आप भी यह जानते हैं कि यह होता है। आप जब भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो इन बातों की ओर आपको ध्यान देना होगा। आज भ्रष्टाचार की जड़ें राजस्थान के प्रशासन में घर कर चुकी हैं। मैं एक किस्से की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदया, ५६–५७ के अन्दर कोटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपने यहां पर मंडी बनाने के लिये वर्कशॉप बनाने के लिये एक भूमि को अवाप्त किया उसको एक्वायर कर लिया गया। जब वह सारी भूमि अवाप्त कर ली गई उसके बाद मंडी कमेटी ने उस सारी भूमि के प्लॉट बना कर बेचना शुरू कर दिया। उसके अन्दर रेट आई डेढ़ रुपया स्क्वायर फिट के हिसाब की। उसका असर यह हुआ कि जो भूमि मंडी के लिये और वर्कशॉप के लिये एक्वायर की गई थी उस पर कोटा की जनता ने देखा कि न तो यहां पर कोई वर्कशॉप बना, न कुछ कारखाना बना, पर एक पेट्रोल पम्प खड़ा हो गया। अब यह किसका पम्प खड़ा हो गया? यह किसका? यह पेट्रोल पम्प जो बना हुआ है यह १६ बीघा जमीन पर है। इसमें से १० बीघा सरकार ने अवाप्त कर ली थी। उस पर यह प्लॉट बना हुआ है, यह पम्प बना हुआ है। इस पम्प को बनाने की इजाजत किसने दी? जब वह अवाप्त कर ली गई तो यह पम्प वाले साहब कहां से चले आये? जब इस पम्प के पास दूसरे पम्प की जमीन १।।) स्क्वायर फीट बिकी है तो यह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

बिना बिके पैट्रोल पम्प के लिये जमीन कहां से आ गई, किस की स्वीकृति से आ गई ? अभी तक भी यह जमीन जिसका पम्प बना हुआ है, उनके नाम ट्रान्सफर नहीं हुई है । जो एक खातेदार है, उसके नाम से यह चली आ रही है । और इस सबका कारण क्या है ?

दस बीघा जमीन १।।) स्क्वायर फीट की कीमत से कितने की बनती है ? उसको सरकार अवाप्त कर चुकी है । पर यह सब कुछ हुआ । पैट्रोल पम्प की इजाजत भी हुई, बस भी वह रहा है और आज यह पम्प इण्डियन आॅयल कम्पनी को ३७५) रुपया माहवार पर दे दिया गया है जिन्होंने पहले यह पम्प लगाया था वह उसे नहीं चला पाये । उनका धन्धा नहीं था या कभी उन्होंने ऐसे धन्धे नहीं किये थे । इस वास्ते नुकसान उठाया । अब इसे इण्डियन आॅयल कम्पनी को ३७५) रु० माहवार किराये पर दे दिया है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : On a point of clarification, Sir, यह पैट्रोल पम्प लगाया किसने ? नाम तो बताओ ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसको इजाजत कैसे मिल गई ? वह मजदूर था या किसान था, या समाजवाद का हामी था जिसका सरकार हमेशा नारा देती है । यह सरकार का वह व्यक्ति था जिस पर सरकार उंगली भी नहीं उठा सकती । उनका नाम है श्रीमती रक्षा देवी । कौन रक्षा देवी ? पत्नी, पंडित बृजसुन्दरजी । क्योंकि बृजसुन्दरजी की पत्नि रक्षा देवी पेट्रोल पम्प के अन्दर पार्टनर थी........

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह बात ठीक नहीं है, सही नहीं है यह ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस चेलेन्ज को तो पंडितजी बृजसुन्दरजी स्वयं स्वीकार कर लें तो अच्छा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इनको भी जानकारी हो सकती है, ऐसी क्या बात है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अगर एक महिला के नाम से उनको सहानुभूति है तो यह मुझे भी है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह सही नहीं है । सच कहती हूँ ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दस-दस बीघा जमीन अवाप्त होने पर भी पड़ी रहे । सरकार उस पर कब्जा न करे । लाखों रुपया नहीं कमावे । यह सब किसके आधार पर ? सरकारी मशीनरी के आधार पर । जिस सरकार की मशीनरी से मन्त्री लोग ऐसे काम करवाते हैं तो उस मशीनरी के लिये यह कैसे आशा की जा सकती है कि वह स्वस्थ होगी, स्वच्छ होगी । बेईमानी उसके द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।

तो मैं इन सारी बातों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोकतन्त्र से इन लोगों के इन कारनामों को देख कर जनता की आस्था हटती जा रही है ।

मजदूरों की हामी बनने का यह सरकार दम भरती है । यह सरकार मजदूरों की बात करती है ! केवल एक दृष्टिकोण आपके सामने आया स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी का । फैक्टरी मालिक ने मजदूरों को खत्म करने के लिये तालाबन्दी कर दी, इल्लीगल नोटिस दिया । सरकार के सामने, मांग की जाती है । सरकार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के अधिकारी उन पर चुप्पी लगाये बैठे हैं। विधान सभा में स्थगन-प्रस्ताव आता है, सरकार कानूनी कार्यवाही की बात कहती है। मजदूरों को समाप्त करने के लिये, हमेशा दबाये रखने के लिये गिरफ्तारियां की जाती हैं। छः-छः मजदूर एक साथ गिरफ्तार किये जाते हैं। पांच-छः हजार का जुलूस कोटा शहर से निकलता है तो टीयर गैस छोड़ी जाती है। उनको समाप्त करने की कोशिश की जाती है, मजदूरों की हामी की डींग हांकने वाली, इस सरकार के द्वारा। यह दिमाग, मैं पूछता हूं, आपका कब तक चलेगा?

अब उद्योग मन्त्रीजी को मैं डी० सी० एम० की तरफ लाना चाहूंगा। इसको आपने तीन पैसा यूनिट बिजली दी। आपकी नॉलेज पर अलग होगी। इसमें जाना नहीं चाहता। इस डी. सी. एम. का गन्दे नाले से पानी निकलता है, कोटा के किसान जो गन्दे नाले के किनारे पर रहते हैं उनके हजारों मवेशी पानी पीते ही खत्म हो गये। सरकार कुछ नहीं कर सकी। मिल-मालिक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। यह कौन है? यह मालिक वही है जिसने दस लाख का चन्दा पाकिस्तान को दिया।

यह मिल मालिक कौन है? जिसने कि मजदूरों का शोषण किया है। सभापति महोदया, स्पष्टतया कहना चाहिये कि जब कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्री लालबहादुरजी शास्त्री की मृत्यु पर देश-प्रदेश में शोक मनाया जा रहा था, दो दिन की छुट्टी दी जा रही थी, पर इस डी. सी. एम. ने केवल आधा दिन की छुट्टी दी। १।। दिन तक मजदूर काम पर गए, काम करते रहे, काम उनसे करवाया गया, छुट्टी नहीं दी गई और इसके बाद शास्त्रीजी की भस्मी पुष्कर में प्रवाह करने को आई जो उस भस्मी का कलश आप लेकर आये राजस्थान को मान देने के लिये, सब जगह छुट्टी हुई, पर उस वक्त भी यहां छुट्टी नहीं दी गई। और इसके बाद सरकार कोई कानूनी कार्यवाही करे वह बात तो अलग है; पर इसके अलावा आज वह मिल का अखबार निकलता है। आप देखिये कि वहां अखबार सरकार की ताड़ना किन शब्दों में करता है। यह 'रामपुर पत्रिका' है। इसका प्रकाशन इस मिल के द्वारा किया जाता है।

इसका हैडिंग दिया है: "शोक बनाम छुट्टी।"

हमारे देश के किसी प्रतिष्ठित नेता की मृत्यु पर सरकार दफ्तरों, दूकानों, कारखानों में छुट्टी होने का आम रिवाज सा हो गया है।

"हमें खुशी है कि देश में ऐसा भी वर्ग है जो इस प्रकार की प्रथा को न्याय संगत नहीं समझता और इस प्रकार की मांग को अशोभनीय व अव्यवहारिक भी मानता है। इन छुट्टियों के विरोध में रोष भी प्रकट किया है और इसके बाद ऐसी हालत में हमारे जैसे गरीब देश में छुट्टियों की इतनी लालसा रखना, जिस पर विदेशी तक टीका-टिप्पणी करते हैं आश्चर्य की बात है और दुख की भी।" "सम्मान प्रकट करने के लिए काम बंद कर देना कोई श्रद्धांजली नहीं है।" आज इस प्रकार से इस भाषा का प्रयोग यह उद्योगपति करता है जो पाकिस्तान को दस लाख का चन्दा देता है डिफेन्स के नाम से। आज हिन्दुस्तान के मजदूर का शोषण करने के लिये इस तरह की कार्यवाही करता है। समझ में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नहीं आता, यह समाजवादी सरकार इसके बारे में क्या सोचती है ?

आज यह स्थिति सारे देश की बन चुकी है और इस स्थिति पर इस स्थिति से उत्पन्न समस्याओं पर काबू पाने में असफल रही है यह सरकार। इस सरकार ने काबू पाने के स्थान पर इन समस्याओं का समाधान हमेशा राजनैतिक पहलू लेकर किया है।

दुःख तो यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में हमें इस प्रकार की कोई चर्चा नजर नहीं आई जिससे हम यह महसूस कर सकें कि राजस्थान की जनता की इसकी चिन्ता है सरकार को।

इस कारण से मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में अपने को विवश पाता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : On a point of clarification, Sir, यहां पर अभी पैट्रोल पम्प की चर्चा हुई। इसके लिए मैं यह बताऊं कि १९६० में या ५९ में श्री लक्ष्मीनारायण सनाढ्य और मेरी पत्नी ने ८०००) रुपये में एक जमीन १४ बीघा कोटा में पूनमचन्द मदनलाल जो कि उसके खातेदार थे उनसे खरीदी। उसके अन्दर करीब एक बीघा आबादी की जमीन थी। उस आबादी की जमीन पर पैट्रोल पम्प बनाया गया। आज उसी को किराये पर दिया गया है। उस लैंड की न तो एक्वीज़ीशन हुई है और न वह कोलोनाइजेशन से जमीन खरीदी है। प्राइवेट आदमी से ली गई है और वह अभी भी जमीन वैसे ही है और खेती हो रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदया, इस प्रश्न पर खुशी इस बात की है कि बड़ी हिम्मत के साथ कम से कम माननीय मंत्री महोदय ने इसको स्वीकार तो किया, लेकिन प्रश्न केवल यह है कि वह एक्वायर हुई या नहीं ? मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि जितनी भूमि के लिए नोटीफिकेशन किया गया था, जितनी भूमि एक्वायर की गई थी, उसके सम्बन्धित कागजात यहां पर मंगा लिये जायं और यह मालूम कर लिया जाये कि इस रकबे का क्षेत्र भी उसमें सम्मिलित है या नहीं और उसको रिलीज़ करने के लिए, उसके ट्रांसफर करने के बारे में कितनी कितनी और कहां कहां पर टांगे लगी हैं। वह फाइल कोलोनाइजेशन विभाग के अन्दर चली है, वह मन्डी कमेटी के अन्दर चली है और आज तक वह फाइल चल रही है। वह फाइल मंगा ली जाये और देख लिया जाये; दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। मैं आपको बता दूं कि यह सारी की सारी जमीन अवाप्त की गई और आप अगर कोटा से झालावाड़ रोड़ पर जायें, तो जब आप एरोड्रोम चले जायें तो पहला पैट्रोल पम्प आयेगा; फिदाहुसैन वलीभाई और यह पैट्रोल पम्प बिल्कुल इससे लगा हुआ है। उनको यह जो जमीन बेची गई है पैट्रोल पम्प के लिए यह मण्डी कमेटी ने १।। रुपया स्क्वायर फुट से बेची है और यह जो पैट्रोल पम्प है यह जमीन भी सरकार के द्वारा अवाप्त की गई थी। मैं इसको चेलेन्ज के साथ स्वीकार करता हूं। इसके कागजात मंगाये जायें और जांच की जाय; दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे ख्याल से जब तक पूरी इन्फोर्मेशन नहीं हो, इस तरह से नहीं कहते····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इनको तो पूरी है, लेकिन आप नहीं बता रहे हैं। आपको घर का ही पता नहीं कौन क्या करता फिरता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस जमीन का एक्वीजीशन नोटिस निकला है वह दूसरी है, वह यह नहीं है और इसके बारे में जब पी० डब्ल्यू० डी० वालों ने रोड बनाने का तय किया तो इसके लिए इन्जेक्शन लाया गया और जब इन्जेक्शन ऑर्डर को ओबे नहीं किया तो कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ और सिविल कोर्ट्स में अब भी यह चल रहा है जिसको अभी तक एक्वायर नहीं किया गया है वह यह नहीं है। अगर जमीन एक्वायर हुई है तो उसका पैसा किसने लिया ? किसी को पैसा नहीं दिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह मिसल कहां आज तक है, उसका पता नहीं है। इसके बाद सन् १९६२ में मन्डी कमेटी ने कार्यवाही की।

श्री मोहनराज (बाली) : Point of Order. जब माननीय सदस्य का भाषण हो रहा था, उसके दौरान उन्होंने माननीय सदस्य के मुताल्लिक अपने कुछ विचार पेश किये और जिनके ऊपर माननीय मंत्री महोदय ने खड़े होकर अपना स्पष्टीकरण पेश किया। मेरा ख्याल है कि उनका स्पष्टीकरण होने के बाद और ज्यादा वाद-विवाद उस पर नहीं चलाया जाये, वर्ना व्यवस्था में खामी हो जायगी।...........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और मामला उलझ जायगा।

श्री मोहनराज : जब पर्सनल क्लेरीफिकेशन हो गया तो वाद-विवाद खत्म हो जाना चाहिये था। अगर माननीय सदस्य ज्यादा जानकारी करना चाहते हैं तो बाद में जानकारी हासिल कर सकते हैं या कोई और मौके ढूंढ सकते हैं.....

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपका मतलब समझ गई। आपको जो बोलना है वह बोलें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं सभानेत्री महोदया, इतना कहना चाहता हूं कि सदन के सामने एक गम्भीर प्रश्न आया है और उसके लिए मैंने चार्ज लगाया है; अगर वह चार्ज झूंठा है तो उसकी जांच कराई जाये और विधान सभा के सामने कागजात पेश किये जाएं, सब पता चल जायगा।

श्री मोतीलाल चोधरी (डीडवाना) : झूंठा हुआ तो ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने मित्र के यहां ही जाकर फाइल देख लें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मुझे याद है कि फाइलें कैसे गायब हुई हैं ? यह तथ्य है कि यह जमीन अवाप्त की गई थी और आज तक रिलीज नहीं की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्या यह कहते हैं कि यह जमीन कभी अवाप्त नहीं हुई ?

श्री मोतीलाल चौधरी : नहीं हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बोल रहे हैं जिनके पड़ोस में लोग अंधेरे में पकड़े जाते हैं, पुलिस को रिपोर्ट नहीं दर्ज कराने वाले आप बोलते हैं । आप कह दें, आपने कोई गाड़ी नहीं पकड़ी ? आप कह दें गाड़ी में नहीं पकड़ा ।

श्री मोतीलाल चौधरी : कोई नही पकड़ा बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कह दें, कोई ए० डी० सी० नहीं था ।

श्री मोतीलाल चौधरी : किसी को नहीं पकड़ा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कह दीजिये कि आपको कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं तो वहां पर रहता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जानकारी तो है, लेकिन कहना नहीं चाहते हैं । आप सच कह दें, किसी को नही पकड़ा ।

श्री मोतीलाल चौधरी : किसी को नहीं पकड़ा ।

श्री मोहनराज : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण सदन में दिया है उस सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में गत वर्षों में राज्य द्वारा किये गये कार्यों का विवरण दिया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, गलत कह रहे हैं । इनको धर्म से पूछा जाये कि गवर्नर के ए० डी० सी० को पकड़ा या नहीं ?

श्री मोतीलाल चौधरी : किसी को नहीं पकड़ा ।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : Order please !

श्री मोहनराज : राज्यपाल महोदय ने जो यहां आकर कृपापूर्वक हमें भाषण दिया, इसके लिए सारा सदन उनका आभार मानता है ।

एक चीज जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उन्होंने एक ओर इशारा किया है कि हमारी यह सरकार समाजवादी समाज व्यवस्था को कायम करने के लिए कृत संकल्प है; लेकिन मुझे अत्यन्त अफसोस के साथ यह जाहिर करना पड़ता है कि उस समाजवादी समाज की व्यवस्था की ओर बढ़ाने के मुतल्लिक उन्होंने अपने अभिभाषण के अन्दर किसी कानून, नियम अथवा निश्चय की ओर इशारा नहीं किया; न सरकार को ही आदेश दिये, न सरकार के किसी काम की ओर संकेत किया कि जिससे हम अपने उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और प्रगति कर सकें । मैं इसलिए यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, प्रस्ताव पास कर लेते हैं और भाषणों में बार बार उन शब्दों को दोहरा देते हैं कि हम समाजवाद की स्थापना करने जा रहे हैं । लेकिन हमारे उन निश्चयों के आधार पर जितने भी कार्यकलाप होते हैं, हमारी रीतियां नीतियां होती हैं उसके अन्दर और हम इस तरह के काम नहीं करते कि जिससे समाजवादी

(श्री मोहनराज)

समाज की स्थापना हो सके। मैं एक मोटा सा उदाहरण देकर अपनी इस बात को समाप्त करूंगा। हमारे यहां राजस्थान में लाखों भूमिहीन किसानों की भलाई के लिए सीलिंग का कानून हमने पास किया कि हम सीलिंग व्यवस्था लागू करके, उन लाखों भूमिहीन किसानों के अन्दर ज़मीनों का वितरण करेंगे, जिससे वे अपने अपने काम पर लग सकें। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ स्वीकार करना पड़ता है, आज हमारी घोषणाएं, कई बार कहे गए सुधार कार्यान्वित नहीं हो पाये। आज भी हमारे यहां के लाखों भूमिहीन किसान दूसरों की दया पर गुजर बसर करते हैं। कृषि पर और अन्न उत्पादन के मसले पर इस समय मैं नहीं जाऊंगा लेकिन इस समय मैं यह कहूंगा कि हर योजना में हमने यह लक्ष्य बनाया और हर बार इस उद्देश्य को दोहराया कि सीलिंग का कानून लागू किया जाएगा, लाखों बीघा जमीन राजस्थान में गरीब किसानों में बंटेगी, लेकिन आज हो क्या रहा है-? हमारी घोषणाएं शब्दों में रह गई हैं काम में नहीं आई हैं। हमने उन घोषणाओं को लेकर, हमारे यहां पर बने हुये कानूनों का सहारा लेकर गांवों में, जनता में ऐलान किया कि आप महंगे दामों पर जमीनें मत खरीदो। जो जमीनें सीलिंग कानून के द्वारा सरकार से प्राप्त होने वाली हैं वह जमीनें भूमिहीन किसानों में, गरीब लोगों में वितरित की जायेंगी और हमारे ऐसा कहने से लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मैं अपनी बाली तहसील का ही उदाहरण देना चाहता हूं कि बाली तहसील के अन्दर एक गए साल में ही पन्द्रह लाख रुपयों की जमीन जागीरदारों ने जिनके पास बड़े-बड़े फार्म थे, बड़े २ जोड़ थे, उन लोगों ने पन्द्रह लाख रुपये की जमीन राजस्थान के बाहर के व्यापारियों को बेची है और हमारे यहां के गरीब किसानों के गले पर छुरी फेरी है। और मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी, बड़े २ खुशहाल पटेल नाम के लोग हमारे उस इलाके में, बाली तहसील में हजारों की संख्या में आए हैं और इस साल भर के अन्दर जो भी उपजाऊ जमीन जागीरदारों के पास थी, जागीरदारों के बड़े २ फार्मों में थी, जैसा कि मैंने अर्ज किया, बहुत ऊंची ऊंची कीमत पर खरीद कर ली और अपने २ फार्म बना लिये।

आज हमारा भूमिहीन किसान, हमारे आश्वासनों पर, हमारे निश्चयों पर और हमारे बनाये हुए कानूनों से मिलने वाली राहत पर आश्रित था और उसके भरोसे पर था, आज उनकी क्या स्थिति हो गई है। मैंने इस सम्बन्ध में हमारे राजस्व मन्त्री का ध्यान भी एक पत्र लिख कर आकर्षित किया था। हालांकि मुझे उस पत्र का जवाब अभी तक नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि राजस्व मन्त्री महोदय जब जवाब देंगे तो इस बात का सफाया जरूर करेंगे और इस प्रकार का संकेत जरूर करेंगे कि वे इस समस्या का किस प्रकार से समाधान करते हैं और जो हमने आश्वासन जनता को दिए हैं वे कैसे पूरे किये जावेंगे।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की समाज व्यवस्था हम करना चाहते हैं, उसके मुताल्लिक वास्तव में कितना कदम आगे बढ़ा सके हैं। मुश्किल यह है कि हम जो बातें कहते हैं उनके ऊपर

(श्री मोहनराज)

चलने के अन्दर बहुत पीछे रह जाते हैं। इस बारे में मुझे एक शेर याद आता है :

"ले ले के खुदा का नाम हम चिल्लाते हैं;
मगर असर दुआ में नहीं पाते हैं।
करते हैं परहेज, खाते हैं हराम लुकमा,
करते नहीं परहेज दवा खाते हैं।"

मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि हम लोग जो अल्फाज मुंह से निकालते हैं, जो बातें कहते हैं उनके अनुसार चलते नहीं है। हम जोरों से नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमारी दुआ में असर नहीं होता। इसी प्रकार हम जोरों से प्रस्ताव पास करते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता। हम दवा जरूर करते हैं लेकिन परहेज नहीं करते और इसीलिए यह होता है कि हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे जितने वायदे हैं, हमारे जितने भी निश्चय हैं, जितने भी प्रस्ताव हम पास करते हैं, जितने भी कानून बनाते हैं हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए और तभी उद्धार हो सकता है। हम जब गरीब लोगों की भलाई के लिए तरह २ के कानून बनाते हैं लेकिन आज वास्तव में हमारे कानून गरीबों की गरीबी मिटाने में कितने आगे बढ़ रहे हैं, यह सोचें तो सरलता से सारी बात समझ में आ जाएगी। इस सम्बन्ध में मुझे प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक ओलिवर गोल्ड स्मिथ का छोटा सा वाक्य याद आता है जिसमें यह लिखा है, कानून निर्धनों पर शासन करता है और धनवान कानून पर शासन करते हैं।

आज हमारी स्थिति ऐसी है। जो हम कानून निर्धनों की भलाई के लिए बनाते हैं और कानूनों का शासन भी निर्धनों पर होता है लेकिन उन कानूनों पर आज कौन शासन कर रहा है, कानूनों पर धनिक वर्ग शासन कर रहे हैं और इसीलिए उन कानूनों के द्वारा जो मदद गरीबों को पहुँचनी चाहिए वह सिर्फ शब्दों में रह जाती है, उन तक नहीं पहुँचती। अगर हम इस ओर गम्भीरता से नहीं सोचेंगे तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर वह चीज होकर रहेगी कि जिसको दूर रखने के लिए हम सब इन सुधारों की बात करते हैं।

हमारे राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने एक भाषण में कहा था "Thoroughness of evolution brings revolution" अगर हम इसी धीमी रफ्तार से चलते रहे, अगर यही करते रहे कि कहते कुछ रहें और करते कुछ रहें, इसी ढंग से चलते रहे तो हमारे यहां पर वही क्रांति होगी, जिस क्रांति के दर्शन हमने दूसरे देशों में किए हैं और उससे भयभीत हुए हैं। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें जिस ढंग से हम चल रहे हैं, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उसको बदलना होगा और जो अमीर-गरीब के बीच में फर्क बढ़ता जा रहा है उस फर्क को मिटाना होगा। आज कई समस्यायें हमारे राजस्थान के सामने हैं और जो आए दिन हमारे सामने आती हैं। हमारे यहां पर एक साल अकाल पड़ता है तो जहां हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर होने की बात करते थे वहां हमारी हालत बिगड़ जाती है। हम इस सिलसिले में भी कामयाब नहीं हुए हैं और यह इसीलिए कि हमारे काम करने का जो ढंग है वह ठीक नहीं है, जो काम जिस समय पर होना चाहिए वह होता नहीं है।

आज हम अन्न का उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं तो जो हमारे यहां सामान उप-

(श्री मोहनराज)

लब्ध हैं, जो साधन उपलब्ध हैं, जो सिंचाई के साधन हैं, दवाइयाँ चाहिए; कीड़ों को मारने के लिए खाद चाहिए तो किसानों को ये सब चीजें वक्त पर पहुंचें, इसके लिए हम पूरा प्रयास नहीं करते। सारे निश्चय कर लिए जाते हैं, कागजों में सारी बातें हो जाती हैं, हम उन चीजों की आवश्यकता का अनुभव करते हैं लेकिन वे किसानों के पास समय पर नहीं पहुँचती। मैं ऐसा महसूस करता हूं और मेरी मान्यता है कि जो आज हम हजारों और करोड़ों रुपयों का अनाज बाहर से मंगा कर देश को ऋणी बना रहे हैं, अगर उस रुपये का कुछ हिस्सा भी हम किसानों के पास वक्त पर सामान पहुंचाने के लिए, किसानों को साधन उपलब्ध कराने पर खर्च करें तो हमारा सारा का सारा धन बच सकता है और जो हम पर देश को ऋणी करने का चार्ज लगाया जाता है वह खत्म हो सकता है। मैं मानता हूं कि आज बहुत सारी फसलें बीमारियों से नष्ट हो जाती हैं। आज इन्सान की बीमारी दूर करने के लिए जगह जगह औषधालय और दवाखाने है, जगह जगह डाक्टर बैठे हैं, तो जब अन्न उत्पादन बढ़ाना हमारे लिए एक बड़ा भारी गम्भीर प्रश्न है, अन्न का उत्पादन बढ़ाना हमारे राष्ट्र के लिए जीवन और मरण का सवाल है, उस समय हमें जो ऐसी दवाइयां हैं जिनसे अनाज की रक्षा हो सकती है फसल की रक्षा हो सकती है। तो गांव गांव में इसके लिए इन्तजाम करना चाहिये और इसके लिए जितना भी खर्चा ही करना चाहिए और अगर इसके लिए चलते-फिरते अस्पताल की व्यवस्था भी गांवों में कर सकें तो हमें करना चाहिये।

कहा जाता है कि हमारी पंचायत समिति के ग्राम सेवक हैं, उनके पास दवाइयां रहती हैं। मैं जानता हूं कि ग्राम सेवक के पास क्या दवाइयां रहती हैं और कितनी दवाइयां रहती हैं। आपके यहां पर डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर के दफ्तर से मालूम करें, कितनी पंचायत समिति की मांग आती है और उसका कितना हिस्सा पूरा होता है। अभी कल-परसों ही हमारे यहां पर प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया गया कि किस प्रकार हजारों बीघा जमीन के अन्दर गन्ने में कीड़ा लग गया और वहां वक्त पर दवा नहीं पहुँची, बाद में हवाई जहाज के द्वारा दवाई छिड़कवाई गई। तो जब हवाई जहाज से दवाई छिड़कवाने पर हजारों लाखों रुपए खर्च किये जाते है, उसकी जगह अगर विभाग के द्वारा समय पर तैयार रखा जावे तो बाद में अधिक नुकसान न हो। अगर वक्त पर बीमारी को रोकने की व्यवस्था हो तो हजारों लाखों रुपये के नुकसान से बचाया जा सकता है।

इसी सम्बन्ध में, मैं अब बिजली के लिए अर्ज करूंगा। यह कहा जाता है कि कोटा के किसी एक बहुत बड़े कारखाने को हमारे यहां जो बिजली का उत्पादन होता है उसका आधा हिस्सा मिलता है और सदस्यों ने मांग की कि यही बिजली अगर कृषि कार्य के लिए दी जाय तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जवाब में कहा गया कि चूंकि वह फैक्ट्री ऐसा माल पैदा करती है जिससे हमारी फौरन एक्सचेंज आती है और फौरन एक्सचेंज को हम नहीं गंवा सकते हैं। आज एक और थोड़े से रुपये की फोरन एक्सचेंज है। जिसका फायदा मल्टीमेटली उद्योगपति को मिलता है उसका इतना ख्याल रखते हैं। अगर इतना ही ख्याल हमारे किसानों का रखें, कुओं पर जो बिजली चाहिए वह उनको मिलती रहे तो इससे अन्न का अधिक उत्पादन हो सकता है

(श्री मोहनराज)

और करोड़ों रुपया बच सकता है और बाहर से जो अनाज मंगाकर खर्च करना पड़ता है वह नहीं होगा। और हम हजारों लाखों लोगों को फायदा पहुँचा पायेंगे। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि यह जो सारी चीजें हैं उनके बारे में सोचकर जितने काम हैं उनको और आगे बढ़ाना चाहिए।

(३ म. प.)

एक मिनट में, मैं और अर्ज करना चाहता हूं। हमारा राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल महोदय ने भाषण के शुरूआत में इस ओर इशारा किया, हमारे भारत पाक की लड़ाई में हमारे बहादुर जवानों ने शौर्य के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और जवानों ने देश की शान रखी। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि लड़ाई में किसी भी देश का शौर्य आगे आता है और कमजोरियां भी उभर कर आगे आती हैं। इस लड़ाई में जवानों का शौर्य बताया, दुश्मनों के दांत खट्टे किये लेकिन हमारी कमजोरियां भी सामने आई हैं। इसको नहीं भूलना चाहिए कि लड़ाई के बाद ताशकंद समझौते के बाद विचार करने लगे हैं तो हमारे राजस्थान के बोर्डर पर हमारी कमजोरियों और कुछ कारणों को लेकर हमारे यहां मुश्किलात पैदा हुई और सिच्युएशन नहीं संभल पाई। सेना का सवाल तो भारत सरकार से सम्बन्ध रखता है लेकिन राजस्थान की जनता के लिए यह जीवन मरण का प्रश्न है यह हमारे देश की बात है, हम जानते हैं कि हमें हमारे पिछले अनुभव से लाभ उठाना चाहिए, जिससे कि दुबारा इस प्रकार की स्थिति न पैदा हो। यह काम हम नहीं कर सकते, तो हमें यह चीज भारत सरकार जिनके हाथ में यह काम है उन तक पहुँचानी चाहिए ताकि बाद में किसी को यह कहने का मौका न मिले कि हम सजग नहीं थे। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कमजोरियों की ओर हमें सजग रहना चाहिये, घबराना नहीं चाहिये और कमजोरियों को दूर करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिये। यदि हम इस कदर काम करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम राजस्थान को आगे ले जा पायेंगे, नहीं तो जिस प्रकार पहले, हम पिछड़े हुए कहलाते थे उसी तरह से और कहलायेंगे।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : सभापति महोदया, आज दो दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो रहा है, मैं भी इसके समर्थन में चन्द शब्द कहना चाहती हूं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के शुरू में जो वीर गति प्राप्त सैनिक हैं उनको रियायत देने का संकेत दिया है। ये रियायतें वैसे देखने में बड़ी उपयोगी व भली मालूम होती हो लेकिन सभापति महोदया, वे रियायतें वास्तव में उनको मिलती हैं या नहीं, यह देखने की बात है। मुझसे पहले श्रीमती सुमित्राजी ने इस पर काफी प्रकाश डाला है इसलिए मैं उनको दुबारा न दोहराकर केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिकों के आश्रितों और घायल सैनिकों को जो सहायता नकद के रूप में मिलती है वे तो मिल जाती हैं लेकिन नहरी क्षेत्र में जो भूमि देने का प्रश्न है उसकी गति बहुत धीमी है।

Page No. 82

(श्रीमती गौरी पूनिया)

या यों कहूं कि जितनी गति होनी चाहिये उतनी नहीं है तो भी. बेजा नहीं होगा। इन सुविधाओं के बारे में एक उदाहरण पेश करना चाहती हूं ऊमर नाम का बूंदी में एक गांव है वहां पर सैनिकों के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल है। उस स्कूल को मिडल स्कूल में अप ग्रेड करने के लिए दस वर्ष से प्रयत्न चल रहा है। लेकिन अभी भी वह प्राइमरी स्कूल ही पड़ा हुआ है इसके लिए २० एम. एल. एज. ने प्रयत्न किये हैं और डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड ने भी प्रयत्न किये हैं, लेकिन अभी भी वह प्राइमरी स्कूल ही पड़ा हुआ है। मै आपके द्वारा राज्य सरकार से कहना चाहूंगी कि जो रियायतें बताई गई हैं उनको भी इस प्रकार की हालत में न रखें। वैसे देखा जाये तो ये रियायतें उन वीरों के त्याग के मुकाबले में तुच्छ हैं लेकिन फिर भी सैनिकों के पीछे उनके आश्रित मर नहीं सकते और उनके जीने के लिए सुविधायें जरूरी हैं और ये सब सुविधायें और रियायतें उपलब्ध करना राज्य सरकार का पुनीत कर्तव्य है। इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ये रियायतें केवल कागजों पर ही न रह जायें। ये रियायतें ठीक समय पर सही लोगों को मिल जायें ताकि मातृ-भूमि पर हुए शहीदों की आत्मा को शान्ति मिल सकें।

इसके साथ-साथ जो इस साल बहुत ही भयंकर अकाल राजस्थान में पड़ा है उसकी ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सन् १९६३ में भी अकाल पड़ा था लेकिन इस साल का अकाल बहुत ही भीषण है और बहुत से लोग और बहुत से जिले अभावग्रस्त हुए हैं। १९६३ में जब अकाल पड़ा था तब राज्य-सरकार ने बहुत ही सुन्दर और सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था की थी। उस समय जगह जगह सड़कें खोल दी गई थीं, जहां पर आदमी और औरतें काम करती थीं और गांव-गांव में तालाब भी खोल दिये गये थे जहां पर बुड्ढों व बच्चों को भी मजदूरी मिल गई थी। सस्ते अनाज की दूकानें खोलकर अच्छी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस साल उससे कई गुना भयंकर अकाल होते हुए भी राहत कार्य की गति बहुत ही धीमी हैं और चर्चाओं से यहां तक मालूम हुआ है कि गंवाई तालाबों के लिये कोई रुपया नहीं रखा गया है और इस बात को राज्य की पॉलिसी बताया जा रहा है। इसके साथ-साथ प्लान का चक्कर डाला है कि प्लान के अन्दर यह होगा और वह होगा, तब राहत कार्य चालू होंगे।

सभापति महोदया, इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहती हूं कि नियम और कानून या नीतियां ये सब चीजें जनता के हित के लिये बनाई जाती हैं न कि अहित के लिये। इस प्रकार का भीषण अकाल का मुकाबला करने के लिये ये नीति और पॉलिसी के प्रश्नों को हटा कर जनता के हित के लिये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे राहत-कार्य शीघ्र खोलने चाहिये, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूरी मिल सके और राजस्थान में भूख या प्यास से कोई आदमी मरे नहीं, वर्ना इससे राजस्थान कलंकित होगा।

और बातों व समस्याओं पर मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार के साथ अपने विचार व्यक्त किये हैं

(श्रीमती गौरी पूनिया)
मैं केवल परिवार नियोजन की योजना पर कुछ बोलूंगी। अगर हम राजस्थान में बेरोजगारी और बेकारी को मिटाना चाहते हैं और खाद्य समस्या का स्थायी हल चाहते हैं तो हमें परिवार नियोजन को युद्ध स्तर पर लाकर चलाना होगा। न जाने इस पर किसी माननीय सदस्य का ध्यान क्यों नहीं जाता है? इस समस्या का समाधान योजनाओं पर ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवाने मात्र से नहीं हो सकता है। हम सब मिल कर इस पर ध्यान दें और इसके लिये जन मानस बनायें और इसका खास तौर से प्रचार गांवों में करना है वह करना चाहिये, तब भी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते है।

अन्त में, मैं अपना एक सुझाव देना चाहती हूं। इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को भ्रष्टाचार रूपी रोग का काफी दुख है। ऐसा नहीं कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को उसकी शिकायत नहीं है लेकिन हम उन लोगों की तरह तिल को ताड़ बनाना नहीं जानते हैं।

फिर भी मैं मानती हूँ कि भ्रष्टाचार रूपी रोग सब जगह व्याप्त है और उसको दूर करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगी। इस विज्ञान के युग में सब कुछ सम्भव है। जब हर विकार को नापने का यंत्र बन सकता है, जब शरीर का हर विकार नापने का यंत्र है, जब लोग चांद तक जाने को तैयार हैं, और जब दिल के, दिमाग के विकार को नापने का यंत्र बन सकता है तो आदमी की आत्मा को नापने का यंत्र क्यों नहीं बना लिया जाय, जिससे उधर बैठने वाले और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की भ्रष्टाचार वाली सब समस्या हल हो जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऐसा कोई यंत्र निकला है क्या?

श्रीमती गौरी पूनिया : मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि इस तरह का यंत्र बनाने के लिए हर तरह अपनी पूरी शक्ति लगा दें। साथ ही मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगी कि इस प्रकार का कोई आविष्कार जल्दी से जल्दी प्रगट करे, ताकि इस समस्या का हल हो सके।

श्री गंगासिंह परिहार (हिण्डोली) : माननीय सभापति जी,....

श्रीमती सभानेत्री : श्री रावतराम।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : ये तो दो-दो मिनट ही बोल रहे हैं। आपको तो दस-दस मिनट मिल रहे हैं।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : सभापति महोदया, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर विवाद चल रहा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं....

एक माननीय सदस्य : हमारा भी नम्बर आना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : मैंने नम्बर चार्ट अपने सामने रख रखा है, उसके अनुसार ही नम्बर आयेगा। आपका भी नम्बर आ जायेगा उस चार्ट के अनुसार।

श्री रावतराम : राज्यपाल ने सबसे पहले अपने भाषण में पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ में जो हमारा युद्ध हुआ और उस

(श्री रावतराम)

युद्ध में हमारे देश के जवानों ने जो शूरवीरता दिखाई और जिस बहादुरी का परिचय दिया, उसके लिए उन्होंने उनकी सराहना की। यह एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपने देश के जवानों का स्वागत करें और उनका अभिनन्दन करें कि उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन पीछे नहीं हटे।

सभापति महोदया, मेरे को इस सम्बन्ध में खास तौर से एक बात कहनी चाहिए। इस बात का कई जगह जिक्र आया है और हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं ने यह बात कही है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में यह बात साबित कर दी है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी समाज का हो, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, वह देश के लिए लड़ सकता है, देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है। यह बात इस पिछली लड़ाई ने साबित की। मेरा इस संबंध में हो सकता है यह राज्य सरकार का विषय नहीं हो, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी की बात है और मैं आपके जरिये राज्य सरकार को यह निवेदन के रूप में बताना चाहता हूं कि इस लड़ाई के बाद जहां भी फौज की भर्ती हुई है उस फौज की भर्ती में हरेक जाति के लोग भर्ती होने के लिए बड़ी उत्सुकता से गये लेकिन यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो भी आके भर्ती करने वाले ऑफिसर, जिनको रिक्रूटिंग ऑफिसर कहते हैं, आये और उनका जो भर्ती करने का तरीका था, उससे हमें बड़ा दुःख हुआ। जो भी आये, अपने हिसाब से उनका सोचना था और तरीका था–मैं कौन हूं, किस जाति का हूं और मेरे को किनको ज्यादा भर्ती करना है–इन तरह के राजस्थान में उदाहरण है। मैं खास तौर से आपको बताऊं कि इस बार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अनेक जवान भी बहुत ज्यादा संख्या में फौज में भर्ती होने के लिए वहां गये लेकिन उन्होंने पांच पर्सेन्ट भी उनको भर्ती नहीं किया होगा। यह भी हमारे लिए एक शर्म की बात है कि जो जवान जायं और उनको भर्ती न करें और इसलिए न करें कि आप लड़ नहीं सकते, आप लड़े हुए नहीं हो, वहां फलां बात है, धिकड़ी बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। खैर, यह मैंने पहले ही कह दिया कि यह राज्य सरकार का विषय नहीं है लेकिन फिर भी राज्य सरकार को सुझाव देना चाहिए, डिफेन्स मिनिस्ट्री को यह सुझाव भेजना चाहिए कि फौज की जो भर्ती होती है, उसमें हर तरह के लोग, जो भर्ती होने के लिए व फौज में जाने के लिए उत्सुक हैं, को फौज में जाने देना चाहिए, उनकी भर्ती करनी चाहिए और उनको बराबर का मौका देना चाहिए।

इसके अलावा सभापति महोदया, दूसरी बात मैं एक यह कहनी थी कि अभी जनसंघ के माननीय सदस्य बोल रहे थे और बड़े जोर शोर से बोल रहे थे कि बाड़मेर के बोर्डर पर या फलां जगह फौजों के पास कारतूस नहीं थे, राइफल साफ करने वाला तेल नहीं था, जीप नहीं थी। इस तरह की बात से लोगों को, मुझे ऐसा लगा, वह गुमराह कर रहे हैं। इस तरह की बात कहना मैं उचित नहीं समझता और वह इसलिए कि यह एक प्रश्न हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है और इस तरह मजाक करना उचित नहीं है........

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन–सु.): वह क्या कह रहे थे? जो देखा था वही कह रहे थे।

(श्री श्रवणलाल)
आप तो शहर छोड़ कर गांव में भाग जाने की सोच रहे थे ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! आप इन्टरप्ट न करें और बोलने दें ।

श्री रावतराम: मैं यह कहने जा रहा था कि मुझे याद आ गई एक बात । मेरे खुद के गांव में एक डोकरी रहती थी । वह कभी रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ी हुई थी, रेलगाड़ी कभी देखी नहीं थी किसी ने उसे बताया कि तुझे तीर्थयात्रा पुष्कर की करने जाना चाहिए । उसके बाद उसको समझ में आ गई और पुष्कर जाने की तैयारी कर ली । तो वह किसी के साथ चलकर जयपुर में आई और जयपुर से पुष्कर आई और फिर लौट कर जब गांव में गई तो उसके बाद में बोलने ही न दे बिल्कुल । जहां भी सवाल आता है तो कहती है, मैं पुष्कर जाकर आई हूं, तुम ने पुष्कर देखा नहीं है । इसी तरह जनसंघ के सदस्य बाड़मेर क्या हो आये, बाड़मेर नहीं चोहटन गये थे तो हमारी गांव वाली डोकरी जैसे बात हो गई......

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदया, जो श्रीमान सदस्य बोल रहे थे वे जब बोर्डर पर लड़ाई हो रही थी उस वक्त सोच रहे थे कि गांव में रहना चाहिए और शहर को छोड़ देना चाहिए । इनको, बोर्डर पर क्या हुआ, इसका क्या पता !

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! आप इन्टरप्ट न करें, मैं कहती हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा: यह तो छोटा सा नुस्खा था ।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : बोर्डर पर होकर आये है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिन्दगी में एक बार जाने का मौका मिला होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : डोकरी वाली बात होगई ।

श्री रावतराम : मेरे को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कारतूस इनकी दुकान से जाते थे या राइफल साफ करने का जो तेल है उसकी कोई जैसे दुकान चला रखी हो, जिससे इन्हें यह पता है । मेरे को ताज्जुब हुआ कि इन्हें पता कैसे है कि कारतूस नहीं थे......

श्री श्रवणलाल : बोर्डर पर होकर आये हैं, इसलिए पता है ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : बोर्डर पर देख कर आये हैं कि क्या स्थिति है ।

श्री रावतराम : अरे ! हम कहां गये. आप कहां गये–यह हमें मालूम है ।

श्री श्रवणलाल : भाषण देने उद्घाटन करने या चाटन करने के लिये हम नहीं जाते । असलियत देखने जाते हैं कि क्या चीज है ।

श्री रावतराम : जनसंघ के एक-दो सदस्य होकर आये हैं, लेकिन बाड़मेर में हजारों आदमी बसते हैं । कौनसे हज्ज करके आ गये ! बाड़मेर दिन में दो बार आते-जाते हैं ।

श्री मानसिंह महार (आमेर): इनके नेता को श्री परसराम मदेरणा मोटर में ले गये यह आपको मालूम होना चाहिए ।

श्री रावतराम : मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं ।

श्री मानसिंह महार : मैं बता रहा हूं कि इनके नेता को आप परसरामजी मोटर में ले गये थे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो नेता जी खुद कह देंगे ।

श्री जोधसिंह चौहान : किसी की मोटर में नहीं बैठकर जाते हैं । अपने पैसे से गये हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये क्योंकि और लोगों को भी समय देना है । (श्री रावतराम से) आप जल्दी अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री श्रवणलाल : जब आरोप लगाया जायेगा तो हम कहेंगे उसके लिए ।

श्रीमती सभानेत्री : आरोप लगाने का सवाल नहीं है ।

श्री रावतराम : हम दाद देते है कि आप बाड़मेर गये । आपको नाराजगी है तो छोड़ देता हूं । कोई बात नहीं ।

श्री श्रवणलाल : कहिये, कहिये खूब कहिये ।

श्री रावतराम : दूसरी बात मेरे को कहनी है अकाल के सिलसिले में ।

अकाल के सिलसिले में राज्यपाल ने एक बात कही है :

'तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अकाल सहायता कार्य पर हम ६४८.२४ लाख रुपये खर्च कर चुके होंगे ।

'और अब जो बाकी है वह खर्च करेंगे ।'

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना समय ले चुके हैं । समाप्त करें ।

श्री रावतराम : मेरा सरकार को एक ही सुझाव है कि हम लाखों और करोड़ों रुपये हर साल गरीबों को राहत देने के लिये खर्च करते हैं और मैं समझता हूं कि यह हमारा फर्ज है कि हम को यह रुपया उनके लिये खर्च करना चाहिये । लेकिन कई ऐसे जिले हैं; चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जालौर आदि डेजर्ट एरिया हैं उसमें आये साल अकाल पड़ता है इसलिए हमें उनके लिए कोई न कोई योजना बनानी चाहिये जिससे उन लोगों को जो यहां गांवों में रहते हैं उनको इस योग्य बनाया जाये कि १० या १५ वर्षों में अपना जीवन-निर्वाह अच्छी तरह से कर सकें । मेरा ख्याल यह है कि यहां पर पशु-पालन का धन्धा है । वहां पर खेती नहीं हो सकती और पशुपालन भी मुश्किल है क्योंकि यहां पर पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह बताना चाहता हूं कि कई ऐसे गांव हैं जहां अगर एक बार उनका पानी पिया जावे तो लोग मर जाते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप मुझे पांच मिनट और दे दें ।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे खेद है कि मैं पांच मिनट नहीं दे सकती । आपको १० मिनिट दिये गये थे, आप ११ मिनट बोल चुके हैं ।

(विराम)

दो मिनट ।

श्री रावतराम : दूसरी स्कीम यह है कि खेतों में कुएं बनाने की व्यवस्था की जावे और लोगों को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोन देकर कुएं बनाने चाहिए। मैं यह कहूंगा कि जिन गांवों को बिजली दी गई है उन गांवों में ज्यादा से ज्यादा कुएं खेतों में बनाये जा सकें। पानी पीने की समस्या है उसका हल इससे हो सकता है और फूड प्रोडक्शन का काम भी होगा। जहां पर बिजली की व्यवस्था है वहां पर कुओं के लिए आपने लोन नहीं दिये और जहां पर कूओं के लिए लोन दिये हैं वहां पर बिजली नहीं देते। इसलिए मेरा बिजली मंत्री और वित्त मंत्री को यही निवेदन करना है कि आपकी लाइन जहां पर आई हुई हो वहां आपको ज्यादा से ज्यादा कुएं बनाने चाहिए और वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन देकर कुएं खुदवाएं और अच्छे बीज देकर वहां की पैदावार बढ़ावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

आज समाज कल्याण विभाग से हम समझते थे कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। छात्रावास और छात्रवृत्ति मिलती है मगर हम देखते है कि छात्रावास की हालत बहुत खराब है। तीन वर्षों से हम उनके लिए कहते आ रहे हैं कि ये छात्रावास हैं या कोई कबाड़ा है? समझ में नहीं आता कि वहां पर ठीक तरह से न खाने को, न पहिनने की व्यवस्था है। मौजूदा समाज कल्याण मंत्री के आने से हम आशा करते थे कि उनके आने के बाद में वे कुछ अपने हाथ-पैर फैलावेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक ही निवेदन करके बैठ जाता हूं कि उनको कॉलेज होस्टलों में जगह मिलनी चाहिए। यही हमारी भावना है।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर मेरा भी प्रस्ताव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस युद्ध के समय में हमारे बहादुर जवानों और साहसी भाइयों ने सीमा पर जो साहस दिखाया और हौसले के साथ कार्य किया है वह सराहनीय है और जो इस कार्य में बहादुर वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उसके साथ-साथ जैसा कि अभी एक माननीय सदस्या ने कहा कि जो लोग वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनकी बेवाओं और बाल-बच्चों के लिए जिन-जिन सुविधाओं के लिए निवेदन किया उसके लिए आप विचार करें।

इसके बाद में स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री के निधन से देश को जो हानि हुई उस पर मैं ज्यादा न कह कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ यही कहूंगा कि हमारा यह विश्वास है कि हमारा देश उनकी विदेश नीति, उनके सिद्धान्तों और अन्य नीतियों पर चलता रहेगा और हम उनकी नीतियों को भुलायेंगे नहीं और उन पर हमेशा अमल करते रहेंगे और इस सम्बन्ध में जो कुछ हमारे गवर्नर महोदय ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

अब मैं अकाल की जो स्थिति है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश

(श्री चौसरसिंह बावेल)

में हमारे राज्य के २४ जिलों में अकाल की स्थिति है और इस बात को हमारी राजस्थान सरकार स्वयं मानती है; लेकिन बड़े-बड़े नगरों में; जैसे जयपुर, उदयपुर, अजमेर आदि में तो सरकार ने राशनिंग का इन्तजाम किया है और इसके अलावा जो बहुत से बड़े-बड़े कस्बे हैं उनमें भी राशन के लिए प्रबन्ध किया है, लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गांवों में जहां हमारी ज्यादा जनता रहती है वहां पर किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं किया। जब हमारी सरकार २४ जिलों में अकाल की स्थिति मानती है। तो सरकार को वहां पर इन्तजाम करना चाहिए। इसके अलावा सरकार की खाद्य नीति जो है वह दोष पूर्ण है। आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में १५ लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य बनाया गया था उसमें भी आप नाकामयाब रहे और अन्न की पैदावार कम रही और उसके बारे में अब जहां आपका ११ लाख ३४ हजार की पैदावार का टार्गेट है उसके लिए भी राज्यपाल महोदय ने उतना अन्न उपलब्ध नहीं होने का जिक्र किया है। मेरा यह निवेदन है कि गांवों में जो लोग भूखों मर रहे हैं और मालदार लोगों ने अन्न को इकट्ठा करके रखा है और व्यापारी लोग गरीब लोगों को भूखों मार रहे हैं। सरकार उन लोगों के पास से अनाज को बाहर निकालने में असफल रही है। मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी जगह पर धान व्यापारियों के पास पड़ा-पड़ा सड़ रहा है, मगर सरकार उनसे धान को बाहर निकलवाने के लिए ध्यान नहीं देती।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विधि मंत्री ने पहले बताया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५ हजार से ऊपर की आबादी के कस्बों में बिजली लगा दी जावेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि बेगूं की आबादी ७ हजार की है, लेकिन सरकार ने अभी तक वहां पर बिजली लगाने का प्रबन्ध नहीं किया और बजट में कोई भी उसका जिक्र नहीं। सदन में उसके लिए ध्यान आकर्षित किया गया मगर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और मनमाने ढंग से दूसरी तरफ से बिजली ले जाने का प्रयत्न किया और वहां की जनता को बिजली नहीं मिली। वहां की जनता को लगातार तीन वर्षों से आश्वासन दिए जा रहे हैं, मगर अभी तक उनको बिजली नहीं दी गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह यह नीति अच्छी नीति नहीं है। इतना ही नहीं, वहां के लोगों ने एंजिन लगा कर बिजली का प्रबन्ध किया तो वहां पर भी आपकी पंचायत होने से उसे भी बन्द कर दिया और आज वहां पर अन्धेरा हो गया है।

मेरा यह भी निवेदन है कि आपको चुनावों की पद्धति ठीक नहीं है। चित्तौड़ में वोटिंग को गिनती के बारे में न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि विभिन्न अधिकारियों ने अनियमितताएं की हैं और गड़बड़ियां की हैं। चुनाव कैंसल किये जाते हैं, लेकिन अब तक न तो वहां के चुनाव वापिस हुए हैं, न अब तक उन लोगों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन ही लिया गया है जिन्होंने इस प्रकार की अनियमितताएं कीं। हाल ही में जब प्रधान मंत्री के सामने गये तो हमने इस मामले को भी उनके सामने रखा कि इस तरह से गड़बड़ घोटाले सरकार करती है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उसमें भाग लेते हैं जिसका न्यायालय में

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

निर्णय हुआ है। उन्होंने भी फरमाया कि लोकतन्त्र में चुनाव तो नेक-नीयत से होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वे भी इस पर विचार करेंगे। उनके यहां यह नोट हुआ था। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब न्यायालय से फैसला हो गया तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन अवश्य लिया जाना चाहिए था, अभी मेरे पास फैसले की नकल मौजूद नहीं है, मैं उसकी नकल पेश करूंगा। मगर सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस संबन्ध में कलेक्टर से पूछ सकते हैं कि इस प्रकार का फैसला हुआ है या नहीं ? और जब फैसला हुआ है तो चुनावों में सरकार के कर्मचारियों को इस तरह से भाग लेना साबित हुआ है।

फिजूल खर्चों के बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार बहुत फिजूलखर्ची कर रही है, फिजूलखर्ची के बारे में हमने अधिवेशन में देखा कि शाही दरबार लगा था, सैकड़ों-हजारों आदमी काम कर रहे थे। अधिवेशन होना चाहिये, अधिवेशन के बिना देश का काम कैसे चल सकता है, पर सरकारी मशीनरी इस प्रकार के अधिवेशनों में काम नहीं करे तो अच्छा होगा।

स्वर्गीय भवानीशंकरजी नंदवाना को राजकीय सम्मान के साथ ले जाया गया, मैं इसका विरोध नहीं करता; मैं आपके लिये नहीं कहता, भगवान आपको अमर करे, मैंने वहां देखा कि ५०० जवान पुलिस के थे। मैंने श्री लालबहादुर शास्त्री की शवयात्रा को भी देखा है, पर इस प्रकार पांच–पांच सौ जवानों को इकट्ठा करना, इतना खर्चा करना कहां तक समुचित है, होना चाहिये पर लिमिट कायम कीजिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): आपका भी सम्मान कर देंगे ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : और भी ज्यादा करेंगे आपका।

श्री चौसरसिंह बाबेल : मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि राजकीय सम्मान नहीं किया जाय, पर इतनी बड़ी तादाद में खर्चा करना कहां तक उचित है, यह देखना चाहिये।

तो आप गरीबों की दशा पर ध्यान दें, उनके लिये अनाज का इन्तजाम करें, १८ वर्षों के राज्य में आज आप कहां हैं यह देखें। क्या-क्या वायदे आपने जनता के साथ में किये थे, आज जनता को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लकड़ी, झाड़, गवाड़ी, चरस के लिये उनको कोई चीज नहीं मिलती . . .

एक माननीय सदस्य : क्या बेगूं के जंगल में लकड़ियां खत्म होगई हैं ?

श्री चौसरसिंह बाबेल : बेगूं के जंगल से लोग चोरी से लकड़ियां काट कर ले गये हैं, २० हजार का नुकसान सरकार को हुआ है। पर गरीब किसानों की कोई नहीं सुनता, आठ आना, एक रुपया की चिट्ठी के लिये उसको दो-तीन दिन खराब करने पड़ते हैं। कोई गरीब की सुनने वाला नहीं है। शासन चलाने के लिये उनसे काम लेने का तजुर्बा आपको होना चाहिये, पर आपके कामों से ऐसा लगता है कि आपको तजुर्बा नहीं है

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

पुलिस के बारे में गवर्नर महोदय ने कहा कि डकैती कम हुई है। पर कत्ल कितने हुए ? मेरे यहां कत्ल हुए, चित्तौड़ में कत्ल हुए; पर पता एक का भी नहीं लगा । कल जिक्र आया था कि पुलिस वाले चोरियों की कीमत में कमी कर देते हैं। सवा लाख रुपये की चोरी कनेड़ा में श्री नाथूलाल महाजन के हुई, उसको पुलिस वालों ने ६० हजार का ही कर दिया। आप इसकी जांच करे, आप रास्ता निकालें किसी को भेज कर। अगर आपको पता चल जाय कि इस सब–इन्सपेक्टर ने हजारों रुपया खाया है तो उसको निकालें। मेरे साथ चलें, मैं आपको बताऊं कि आपके सी० आई० डी० और दूसरे डिपार्टमेंट नाम मात्र के हैं, रिश्वतखोरी दिनों-दिन बढ़ रही है। मैं तो चाहता हूँ सरकार का दर्जा बढ़े, आप बने रहें, हम तो विरोध करने के लिए आये हैं; आपसे यही कहेंगे कि ध्यान दो, लोगों के साथ अन्याय मत करो, भ्रष्टाचार को कम करो। आपके बड़े–बड़े बंगले बने हुए हैं, गरीबों के झोंपड़ियां हैं, उनको भी छीन रहे हैं, इस तरह के अत्याचार मत होने दीजिये । बांसवाड़ा में कल एक भाई ने बताया, लोग घास खा रहे है; अनाज की कमी है। घण्टों तक लोग कतारों में खड़े रहते हैं, उसके लिए इन्तजाम कीजिये, एक आदमी इन्द्राज नहीं कर सकता तो दो आदमी रखिये। इस व्यवस्था को अच्छा बनाइये। आज ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है पुलिस की कि हमारे यहां चित्तौड़ में कोई किसी का माथा फोड़ कर चला जाय तो कोई सुनने वाला नहीं है । वहां सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस वृद्ध हो चुके हैं, पांच–छः साल से वहीं हैं। आप कबूतर खाने की तरह लोगों को पाल रहे हैं । ऐसे कबूतर खानों को न पाल कर वाजिब तरीके से काम करें; जो आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो उसका सदुपयोग करोगे तो अच्छा रहेगा ।

मैं यही प्रार्थना करता हूँ सरकार से कि वह अपने रवैये में सुधार करे ? मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : राजस्व मन्त्रीजी बोलेंगे ।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदया, धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । इस भाषण के सम्बन्ध में विपक्ष के सदस्यों द्वारा, कुछ, ऐसे आरोप जो मन घड़न्त और अनर्गल थे, कह गये हैं। मैं उन सब के बारे में तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन कुछ के बारे में जो सरकार के राजस्व विभाग की व्यवहारिक और नीतियों के सम्बन्ध की बाते हैं उनके बारे में कहने की कोशिश करूंगा और उन्हीं के द्वारा मैं सदस्यों से मांग करूंगा कि वे उन पर विचार करने के बाद, उन बातों को और इनको देखें कि सत्य क्या है। बोलने के लिए तो इस हाउस में कितनी छूट है इतनी दुनियां में कहीं नहीं, इसलिए जो चाहें सो बोलें, किसी को कोई ऐतराज करने का हक नहीं है, लेकिन हमको उन्हीं बातों के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कटिबद्ध रहना चाहिए जो जनता से, प्रान्त से सम्बन्ध रखती हैं और छोटी और व्यक्तिगत बातों और मामलों में हमें नहीं जाना चाहिए । मैं राजस्व विभाग के साथ इस अकाल सहायता की कुछ बातें कह दूं । जिसके बारे मे एक सदस्य महोदय जो

(श्री कुम्भाराम आर्य)
बीकानेर से आए हैं उन्होंने बहुत जोर से कहा कि भूख की वजह से लोग अब मरने भी लगे हैं। मैं उतना जोर से तो उसका उत्तर देना पसन्द नहीं करूंगा. लेकिन मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि जिस आदमी का नाम भूख से मरने के लिए कहा जाता है उसकी जांच कराई गई तो उसके समाचार इस बात के बिल्कुल विपरीत मिले। वह कलकत्ते में रहता था, वह वहां बीमार हो गया। बीमारी की हालत में रिश्तेदारों के साथ देशनोक आया। कुछ दिन बीमार रहने के बाद बीमारी की वजह से उसका देहांत हो गया और यहां उसके लिए कह दिया गया कि अकाल की वजह से भूख से परेशान होकर अन्न नही मिलने से मर गया। यह अतिशयोक्ति कहें या कहें कि असत्य की पराकाष्ठाओं को लांघ जाने वाली झूठ। इस तरह के भाषण देना ठीक नहीं क्योंकि जिन लोगों को असलियत का पता नहीं वे ऐसी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। लोगों को गुमराह करना उचित नहीं। सच बात के स्थान पर दूसरी बात कह कर गलतफहमियां फैलाने से बड़े गलत कारण बन जाते हैं और उन गलत कारणों के द्वारा गलतफहमी के जरिए अगर हमने सोचा कि हम इस समाज का नेतृत्व करेंगे तो उनके द्वारा गलतफहमियों में हमें नेता मानने वाली जनता न हमारा भला कर सकेगी, न अपना खुद का भला कर सकेगी। इसमें किसी की भलाई नहीं इसलिए हमें तथ्यों के आधार पर संयम के साथ बात को रखना चाहिए और उस बात के सत्य तक पहुँचने में दोनों ओर से कोशिश करनी चाहिए।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): सभापति महोदया....

श्री कुम्भाराम आर्य: मैं बोललूं तो फिर भी आपको छूट रहेगी। आप पहले भी पर्याप्त बोल चुके हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उसके बाद भी आवश्यकता रह जाय तो आप मेरे दफ्तर में आने का कष्ट करेंगे तो मैं आभारी........

श्री मानसिंह महार (आमेर): दफ्तर में नहीं, इस सदन से जो रिमार्क्स करेंगे उनका जवाब सदन में दिया जाय, दफ्तर में भीख मांगने नहीं आयेंगे। आपने कहा कि सदस्यों ने अनर्गल बातें कहीं, उसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने शब्द वापिस लीजिए, वर्ना सभापति महोदया मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदस्यों के लिए इस प्रकार की बातें कहना कि वे अनर्गल बातें इस सदन में कहते हैं ये शब्द एक्सपंज किये जाएं।

श्री जोधसिंह चौहान: कौन–कौन सी अनर्गल बातें कहीं ?

श्री मानसिंह महार: उन सदस्यों के नाम तो लिए जाएं।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री): बीकानेर के सदस्य के लिए कहा है।

श्री मानसिंह महार: आपने यहां कहा कि सदस्य अनर्गल बातें कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: ये शब्द अनपार्लिया-मेंट्री नहीं है; किसी विशेष आदमी के लिए कहा। उन्होंने स्पेसिफिक इन्स्टांसेज दिए हैं।

श्री मानसिंह महार: मेरा पॉइन्ट यह है कि जो उन्होंने बीकानेर सदस्य के लिए अकाल की कोई बात कही है आज वे सदन में नहीं

(श्री मानसिंह महार)

हैं, आगे जो कुछ सफाई होगी वह देंगे। आपने एक जनरल रिर्माक कसा है।

श्रीमती सभानेत्री : आपकी बात मैं समझ गई। मन्त्री महोदय आप अपना भाषण प्रारम्भ रखें। अनपार्लियामेंट्री शब्द होगा तो मैं खुद कहूंगी।

श्री कुंभाराम आर्य : मुझे थोड़ा सा महसूस होता है कि हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते।

श्री जोर्धासह चौहान : तैयार हैं।

श्री मानसिंह महार : फरमाइए।

श्री कुम्भाराम आर्य : हमने आपको कितना-कितना सुना है, उसको थोड़ा सा याद करके रहम खाइये।

अकाल के बारे में कह रहा था कि अकाल के कारण मृत्यु हो जाने वाली बात सही नहीं है। इसके बाद वे सदस्य जो यहीं हैं उपस्थित नहीं हैं। उदयपुर डिविजन के बांसवाड़ा क्षेत्र से या डूंगरपुर क्षेत्र से कहीं से आए हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस अकाल के बारे में हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई, इसलिए राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में हमें रोष प्रकट करना पड़ा। सुनवाई के लिए अनेक चिट्ठियां लिखी बतलाईं और अनेक तार दिए बतलाए; लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास न कभी मौखिक, न कभी लिखित, न कभी फोन से यह जिक्र किया कि उनके क्षेत्र में कहीं अकाल पड़ा हुआ है जिसकी वजह से संकट आया हुआ है। मुझे किसी तरह की सूचना नहीं दी जो मैं उस विभाग का इन्चार्ज हूं, फिर मुझे नहीं कह कर राज्यपाल महोदय को बराबर तार देते रहना, उनको बराबर मेमोरेंडम भेजते रहना, यह सारी बात बताती है कि यह कोई योजनाबद्ध उनकी कार्यवाही थी। मैं नहीं कहना चाहता कि उस योजनाबद्ध कार्यवाही में कितने और सम्मिलित थे और किस तरह से उन्होंने यह योजना बनाई होगी। जो सदस्य महोदय सब के सामने बोल कर कहते है कि हमारे यहां भारी संकट आया था, विभाग अथवा राज्य के अन्दर कहीं सुनवाई नहीं हुई, इसलिए राज्यपाल महोदय तक फरियाद लेकर गए, चिट्ठी भेजी, तार भेजे, वहां भी जब सुनवाई नहीं हुई तब 'मरता क्या नहीं करता' वाली बात पर हमने रोष प्रकट करने के लिए यह सारा अप्रिय दृश्य प्रदर्शित करना पड़ा। उस बात के लिए मैंने इतना निवेदन किया कि उस विभाग का इन्चार्ज मैं हूं। इतनी तो मैं सदस्यों से आशा रखता हूं कि ऐसी कोई बात होगी तो वे जानकारी देने का कष्ट तो अवश्य करेंगे। पर इस मामले में मेरे को जानकारी दिये बिना इतना बड़ा कांड कर लिया, इस पर फिर कहना कि सुनवाई नहीं हुई, इसलिए ऐसा करना पड़ा, यह सही और व्यवहार-संगत नहीं लगता। यह अलग बात है कि उनका अपना प्रोग्राम था और उसके अनुसार उन्होंने जो उनको ठीक लगा वह किया।

उसके साथ में अकाल के बारे में इतना और कह देना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान में अब की बार अकाल दूसरे सालों के बजाय अधिक है, पिछले साल से दुगुना, ढाई गुना और कहने के लिए तिगुना भी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अकाल की भयंकरता और उसकी गंभीरता हमें महसूस करनी

(श्री कुम्भाराम आर्य)

चाहिए। इस संकटकाल में जनता की रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता के लिए दोनों पक्षों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। जो सदस्य पहाड़ी इलाके से आए हैं और जिनके बारे में मैंने जो कहा है, उन्होंने मुझे कभी चिट्ठी लिखी, न तार दिया, न जुबानी कहा, न कोई फोन किया और सदन में आने के बाद मेरे सामने न कोई बात हुई। इसके उपरान्त सदन के भीतर उनका जो व्यवहार राज्यपाल महोदय के प्रति रहा उसे एक योजनाबद्ध कार्य कैसे नहीं कहें? अगर आप अनुचित न समझें तो मैं सामने बैठने वाले पक्ष के प्रत्येक सदस्य से कह सकता हूं कि कोई मेरे पास इस काम को लेकर आया हो तो हां करें। जब एक भी सदस्य अकाल की बात लेकर मुझ तक नहीं आया और उसके बाद राज्यपाल महोदय के सामने प्रदर्शन करने के लिए खड़े हो जायें, तो यह एक प्लान ही कहा जायगा। अभद्र-व्यवहार करने वाले सदस्य चाहें कुछ कहें वस्तुस्थिति वह नहीं है, असलियत वह नहीं है। यह सब बात मैंने इसलिए कहीं है कि विपक्ष कुछ महसूस करे कि राज्यपाल महोदय जो न वादी हैं, न प्रतिवादी उनके सम्मान को ठेस पहुंचना ठीक नहीं; अपन हां और नां पक्ष के लोग हैं, अपने कुछ के लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकती हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय का कोई संबंध नहीं था: उनको इस तरह से घसीटा गया, यह सही बात नहीं थी, बहुत गलत बात बन गई है; इसलिए मैंने निवेदन किया है।

जहां तक अकाल का संबंध है हर एक जिलाधीश को पाबंद कर दिया गया है कि अकाल-क्षेत्र के लोगों को काम दिया जाय, उनके लिए अन्न की व्यवस्था की जाए। जहां अन्न की और काम की व्यवस्था की जाए वहां के मवेशियों को चारा मिले, इसकी भी व्यवस्था की जाए। जहां अकाल पड़ा हुआ है और पानी का अभाव है वहां पानी की व्यवस्था करने के लिए जिलाधीशों को पाबंद कर दिया गया है और पैसा भी उनके पास भेज दिया गया है। अकाल-क्षेत्र के लोगों के लिए काम भी स्वीकार करके भेज दिये गये हैं। मैं सामने बैठने वाले सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको कहीं भी कोई त्रुटि दीखती हो तो संबंधित अधिकारियों से मिलना चाहिए और वहां से संतोष न हो तो मुझ तक कम से कम वह बात पहुँचा दें, मैं उसके लिए कृतज्ञता अवश्य प्रकट करूंगा और वह बात पहुंचाए बिना यदि आप इस सदन में जोर से बोलेंगे उतना ही मनघड़ंत बोलेंगे उससे हवा तो बनेगी, लेकिन न जनता का लाभ होगा और न कोई देश के अन्दर कोई बड़ा काम हो सकेगा। अकाल अब शुरू हुआ ही है और आगे भयंकर अकाल आने वाला है। ऐसी हालत में हम एक-दूसरे से सहयोग के साथ न चलें तो कितना एक दूसरे की वाणी से एक दूसरे का नाम बदनाम होगा, अलग बात है, किन्तु जनता को जितनी राहत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल सकेगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर): पॉइंट ऑफ इन्फोमेशन, आपने कहा कि आगे भयकर अकाल आने वाला है। इससे मतलब दो-तीन महीने में या अगले वर्ष में।

श्रीमती सभानेत्री: यह कॉमन सेन्स की बात है, आने वाले अप्रेल-मई में।

श्री मानसिंह महार: मंत्रीजी बताएं तो अच्छा रहेगा क्योंकि वे एक सर्मन प्रीच कर रहे हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : सभापति महोदया, यह कोई कहने की बात नहीं होती है। ज्यों-ज्यों गर्मी आती है अकाल की छाया बढ़ती जाती है। जून की लू खतरनाक होती है। अकाल की लपटों से ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ेगी उसकी भयंकरता में से हमें गुजरना पड़ेगा। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लपटों से जनता को निकाल सकें, इसके लिये हमें विचार करना चाहिये।

श्री मानसिंह महार : इन्तजाम बता दीजिये कि यह किया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : अकाल के लिये जितने कामों का मैंने जिक्र किया उसको ध्यान मे रख कर काम करेंगे तो जनता का बहुत कुछ हित करने में सफल हो सकेंगे।

श्री मानसिंह महार : यह तो बता दीजिये कि आपने क्या इन्तजाम किया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मैंने आपसे निवेदन किया कि हमने जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं कि जो लोग काम पर लगना चाहें उनको मजदूरी पर लगाया जाय, जहां गांवों में पानी नहीं है उसकी व्यवस्था की जाय....

श्री मानसिंह महार : कितनी मजदूरी देंगे ? क्या रेट है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : जहां चारे की जरूरत है वहां चारा भेजा जाय। आप जोर से बोलेंगे तो क्या होगा ? यह आपके सोचने के लिये है। आप ठीक से किसी को बोलने देना पसन्द करेंगे, इसमें दूसरा कोई क्या करे ? यह मेरी पसन्द पर नहीं है।

मैं अब थोड़ा उस बात पर आना चाहता हूं जो 'ना' पक्ष के नेता ने कही थी। सरकार की राजस्व की नीतियों और व्यवहार से जनता बड़ी अस्थिर अवस्था में पहुंच गयी है और बड़ी दुविधा में पड़ गयी है। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन आप पर यह बात छोड़ दूंगा कि स्थिरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं या अस्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं, यह फैसला आप कर सकेंगे। राजस्व विभाग ने किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये, उनकी जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिये पिछले टाइम में, जो एक साल का है, उसमें जो काम किये हैं वह मैं बतलाना चाहता हूं। एक तो छोटा सा काम यह है कि राजस्थान में जितने कुए थे और जिन पर किसानों का अधिकार नहीं था, और ऐसे कुए एक नहीं सैकड़ों और हजारों हैं, उन सारे कुओं की समस्या सरकार ने यह करके करदी है कि ऐसे कुए जिन लोगों के कब्जे में हैं और जिन लोगों ने उनको बनाया है उनको स्थानीय राजस्व अधिकारी निश्चित पैसा लेकर उनके नाम कर दें। इससे बहुत बड़ी, पूरे राजस्थान में किसानों को राहत मिली है और इसके अलावा भूमि के जो टुकड़े चले आ रहे हैं किसी के खेत के अन्दर आ गया है, किसी के खेत के पड़ोस में पड़ता है, ऐसे सभी टुकड़ों पर किसान खेती कर लेता है, इससे नाजायज कब्जा हो जाने से उस पर मुकदमे बन जाते हैं। इस तरह के असंख्य मामले किसानों पर चल रहे थे, इसको तय करने के लिये........

श्री चोखरसिंह बाबेल (बेगूं) : तहसीलदार और पटवारी हजारों रुपये खा गये।

श्री कुम्भाराम आर्य : जिस किसान के खेत में, पड़ोस में ऐसे टुकड़े पड़ते हों ऐसे टुकड़े उन किसानों को दे दिये जायें और उन

(श्री कुम्भाराम आर्य)

पर उनके खातेदारी हक कायम कर दिये जायें, ये आदेश दे दिये गये हैं।

इतना ही नहीं। नये-नये डेवलपमेन्ट्स में से राजस्थान गुजर रहा है। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा जागीरदारी में था। और जागीरदारी में होने की वजह से किसानों को किसी तरह के हक नहीं थे जमीन पर; न काश्त करने के थे, न आबाद होने के थे। इससे किसानों को अपने खेतों में मकान बनाने के लिये एक कठिनाई चली आ रही थी, उस कठिनाई में वे बहुत परेशान थे, उसको हल करने के लिये दो हजार से कम आबादी वाले गांवों के किसानों को छूट दे दी गयी कि वे अपने खेत में जहां अच्छा लगे अपने रहने के लिये मकान बना सकते हैं।

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : दफा ९१ के तहत किसानों पर मुकदमे चल रहे हैं। तहसीलदार को फुरसत मिलती नहीं। १० हजार मुकदमे तो मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में हैं, वे अभी अभी तक नहीं सिमट सके हैं, जैसा लड्ढा साहब ने कहा कि सिमटा देंगे। उनको फुरसत नहीं मिलती क्योंकि अकाल का काम उनके सामने आ गया है। इसलिये एडीशनल तहसीलदार मुकर्रर कर दें तो उनको सिमटा सकें।

श्री कुम्भाराम आर्य : यह सब बाद में बात करेंगे।

एक बड़ी शिकायत की बात यह चल रही थी जो आज भी चली थी कि भूमि अवाप्ति के मामले सही नहीं बन पाये। लाखों की जमीन ले ली जाती है और पूरा मुआवजा नहीं मिलता और उसके कारण लोग बड़े परेशान रहते हैं। इसके लिये भी सरकार ने फैसला किया है कि आयन्दा के लिये किसी किसान की जमीन बिना मुआवजा अदा किये नहीं ली जावेगी और जो पहले के मामले चल रहे हैं उनके लिये हिदायत की गयी है कि जल्दी से जल्दी निपटाया जाय।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : इस हुक्म के बाद भी ऐसे केसेज हैं कि मुआवजा न देकर जमीन ली हो?

श्री कुम्भाराम आर्य : ऐसे मामले ध्यान में लावेंगे तो उस अफसर को सजा मिलेगी जो ऐसा करता है।

किसान के लिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान पिछड़ा हुआ है आर्थिक तौर से और सामाजिक तौर से। आर्थिक तौर से इस पर कर्जा और ऋण रहता है। राज्य की बकाया रह जाती है और वह वसूल नहीं होती है और इस वसूली के लिये उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता है। हिन्दुस्तान भर में राजस्थान को ही यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि अब यहां पर किसान की जमीन बकाया में नीलाम नहीं की जा सकती।

मैं ये छोटी २ बातें कह रहा हूं जो सामने आ गयी हैं। आप बड़ी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको सब ध्यान में आ जावेगा। जिसकी व्याकुलता है वह बात मुझे कह देनी चाहिये।

इसी प्रकार चरागाह की बात है। चरागाह राजस्थान में करीब करीब कहीं नहीं थे। आज इस स्थिति में है कि करीब २ सब गांवों में चरागाह मिलेगा। जहां चरागाह नहीं है

(श्री कुम्भाराम आर्य)

चरागाह कायम करने की कार्यवाही हो रही है इस प्रकार सब जगह चरागाह कायम कर दिये जावेंगे। इन्तकाल के मामलों की शिकायत चलती थी कि इन्तकाल लम्बे समय तक नहीं होते हैं इसलिये किसान को बहुत परेशानी होती है। इसके लिये सरकार ने फैसला किया कि बीस दिन के अन्दर अन्दर इन्तकाल हो जाना चाहिये। यह गांव के सरपंच को दिया है, सरकार ने अपने पास नहीं रखा है। पंच और सरपंच गलती करेगा तो सरकार को बदनामी मिल जाय, मुझे पता नहीं, वरना इस काम में कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री जयनारायण सालौदिया (निवाई): इन्तिकाल शब्द क्या है?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): आप समझते नहीं हैं क्या?

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, सिंचाई): सरपंच नहीं करेगा तो सस्पेन्ड होगा।

श्री मानसिंह महार: आपका आ रहा है सस्पेन्शन, घबराओ मत।

(४ म० प०)

श्री कुम्भाराम आर्य: किसानों के बारे में यह भी कहा गया कि किसानों में स्थिरता नहीं आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि २ लाख ३१ हजार १४८ भूमिहीनों को भूमि दी गई है। आप इस बारे में सारे हिन्दुस्तान के आंकड़ों का टोटल लगा लीजिये, राजस्थान का मुकाबला नहीं हो सकता। इसके बाद भी हम आपकी भर्त्सना के भागी हैं।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): इसमें कितनी एकड़ काबिल काश्त है।

श्री कुम्भाराम आर्य: भूमिहीन काश्तकारों में से जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, ऐसे लोगों की संख्या मैं बताना चाहता हूं जो धारा १५ और १६ के नीचे जिन लोगों को खातेदारी के राइट दिये हैं उन लोगों की संख्या बनती है ६ लाख ८८ हजार ३६४। आप पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े इकट्ठे कर लें, इससे एक चौथाई भी आंकड़े बन जाय तो आप मुझे कहना। इस, पर भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं मेहरबानी करके आप धन्यवाद मत दीजिये पर कम से कम भर्त्सना तो मत कीजिये।

श्री मानसिंह महार (आमेर): ऐसी बेकार जमीन और हिन्दुस्तान में है ही कहां?

एक माननीय सदस्य: तो ऐसी बेकार जमीन में आप बसते ही क्यों है?

श्री कुंभाराम आर्य: मैं अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग हूं, इसलिये मैं कहना चाहता हूं, इस हाउस में आजाने के बाद पता नहीं माननीय सदस्यों को क्या हो जाता है कि यहां दूसरी भाषा में बोलते हैं बाहर दूसरी भाषा बोली जाती हैं। मैं इस बारे में एक उदाहरण देना पसन्द करूंगा।

हमने एक राजस्थान राजस्व विधि आयोग की स्थापना की थी उसके अन्दर जो सदस्य थे उनके नाम मैं आपके सामने रखता हूं; श्री बाढ़दारजी, श्री मथुरेशजी, श्री रामानन्दजी, श्री मानिकचन्द जी सुराणा; ये तो उधर के हैं। हम इधर बैठने वालों के नाम छोड़ देता हूं। उस आयोग का फतवा है वह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि विधि आयोग ने कहा है कि राजस्थान में लागू किये गये भूमि-सुधार

(श्री कुम्भाराम आर्य)

बहुत प्रगतिशील हैं और काश्तकारों में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। इस फतवे के बाद भी यह कहा जाय कि किसानों को उजाड़ देने वाली सरकार है, इस जगह का असर है, इसमें सदस्यों का कोई कुसूर नहीं है।

सभापति महोदया, मेरे पास कहने के लिये तो बहुत कुछ है लेकिन मैं समझता हूँ, इतना ही कह देना पर्याप्त रहेगा क्योंकि सभी माननीय सदस्य समझदार हैं, अतः मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और इसको सर्व-सम्मति से पास करेंगे।

श्री श्रवणलाल : भूमिहीनों की जो संख्या सरकार द्वारा बतायी गई है, क्या उसमें उसी प्रकार के भूमिहीन हैं जैसे श्री कृष्णकुमार गोयल ने बताये थे, श्री बृजसुन्दरजी शर्मा की पत्नी की तरह के?

श्री दिग्विजयसिंह : आपने फर्माया कि काश्तकारों की जमीन लेने के बाद उसको मुआवजा तुरन्त दिया जायगा........,

श्री कुम्भाराम आर्य : मैंने विधि आयोग की बात पढ़ कर सुनाई है।

(४.०५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई क्वेश्चन अवर नहीं है। अभी तो काम की बातें कर लें, सवालों के समय सवाल उठा लें।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने यह कहा कि काश्तकारों को तुरन्त मुआवजा दिया जायगा तो सीलिंग के अन्दर जिनकी जमीन ली जायगी क्या उनको भी तुरन्त मुआवजा दिया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा!

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर इस सदन में बहस चल रही है, मैं भी उसमें अपने आपको शरीक करना चाहता हूं; खास तौर से राजस्थान में इस साल अकाल की स्थिति है, उसके बारे में राजस्व मन्त्री महोदय ने अभी जो कुछ बयान दिया, उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी समस्या है। वास्तव में यह विकट समस्या है इसके साथ ही खाद्य का उत्पादन और उसका वितरण, इन समस्याओं के बारे में सदन में बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। आज जो समस्या हमारे प्रान्त के कंज्यूमर्स के सामने है, व्यापारियों के सामने है और हमारे किसानों के सामने है उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ हमने खाद्यान्न के बारे में नीतियों को अपनाया उसके बारे में समय-समय पर सदन में चर्चायें करते रहे हैं। उन सारी पुरानी बातों में न जाकर आज जो समस्यायें हैं उन पर ही मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इस सदन में बार-बार यह प्रश्न चर्चा का विषय रहा है कि आज राजस्थान में गेहूं हमको, सिवाय कुछ इलाकों को छोड़ कर, दूसरे इलाकों में जो कीमतों पर पाबन्दी लगी हुई है उसकी वजह से गेहूं उन कीमतों पर बाजारों में उपलब्ध नहीं होता और यदि गेहूं मिलता भी है तो निर्धारित कीमत से काफी बड़ी और ऊंची कीमत पर प्राप्त होता है। मैंने इस बारे में जो माननीय सदस्यों ने बातें कहीं उनको ध्यानपूर्वक

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सुना। मैं सोचता हूं इस साल राज्य में रबी की फसल आने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत मिल सके और कन्ज्यूमर्स को गेहूं खाने को मिल सकें, हो सकता है कुछ कमी हो तो उसको इम्पोर्टेड व्हीट से पूरा किया जा सकता है, चाहे उसकी कीमत ऊंची ही क्यों न हो, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, मैं समझता हूं सरकार ने जो निर्णय लिया है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार ने निश्चय किया है कि गेहूं के जो मेग्जीमम भाव निश्चित कर रखे हैं उनको निरस्त कर दिया जावे। इस बारे में राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है, उसके बारे मे आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या मेग्जीमम प्राइस बिल्कुल हटा दिये गये है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेग्जीमम प्राइस निरस्त कर दिये गये है। यह ठीक अवसर है; इसलिए ठीक अवसर है कि जो कुछ इलाकाबन्दी दूसरे दृष्टिकोण से स्टॉक बनाने के लिए, जो इलाकेबन्दी कर रखी है वहां पर भी उसके कारण जो कुछ प्रश्न पैदा हुए हैं और आने वाले वक्त के अन्दर और भी प्रश्न पैदा हो सकते हैं, और रबी के धान को प्रोक्योर करने के लिए गंगानगर जिले को हमने कोर्डन आॅफ कर रखा है। अगर हम मेग्जीमम प्राइस कन्ट्रोल के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में सरकार गेहूं का कुछ स्टॉक जहां पर सरप्लस प्रोड्यूस एरिया है, जहां फसल की हालत अच्छी है, और भी कुछ जिले हो सकते हैं, जहां व्हीट और जौ का अच्छा उत्पादन होगा, उनमें हम इस प्रकार का प्रतिबन्ध राज्य सरकार को और गेहूं खरीदने का मौका मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वह व्यवस्था कहां हो, कैसे हो, इसके बारे में सरकार आने वाले थोड़े ही दिनों में अपना निर्णय करेगी।

मैं समझता हूं कि इस निर्णय के कारण आज जो कुछ भी गेहूं किसानों के पास या व्यापारियों के पास, जहां कहीं भी कन्ट्रोल की वजह से पीछे रह गया होगा, वह सब बाहर आवेगा। ऐसी आशा करके मैं चलता हूं।

खास तौर से जिन इलाकों में अभी गेहूं है और जहां से हदबन्दी के कारण दूसरे इलाकों में, दूसरे जिलों में जा नहीं रहा था वहां अगर रेट नीचे जाती है और हम समझते हैं कि सरकार को वहां से गेहूं खरीदना चाहिए तो उन इलाकों में भी हम यह करेंगे कि फूड कॉर्पोरेशन को भेजेंगे, जो वहां से गेहूं खरीदकर एक रीजनेबल रेट पर और दूसरे इलाकों में भेजने की व्यवस्था करेगा। 'खास तौर से कोटा, बूंदी और झालावाड़ में, जहां गेहूं आज भी निर्धारित रेट से कम में या उसके बराबर में बिक रहा था वहां और ज्यादा स्टॉक बाहर निकलता है तो फूड कोर्पोरेशन की मार्फत उसे खरीद कर डिफरेन्ट इलाकों में भेजने की व्यवस्था करेंगे।

आज अन्य जो समस्याएं हैं मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा।

इस सदन को जानकारी होगी कि हम ने चावल की पूर्ति के बारे में इस बार ख्याल रख कर निर्णय लिया था कि जो खास

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तौर से कोटा, बूंदी, झालावाड़, गंगानगर और कई दूसरे इलाकों में पिछले वर्ष में चावल की एकरेज में वृद्धि हुई है वहां पर जो हमने फैसला किया है एक लेवी कानून के जरिये, किसान अपनी पैडी क्रॉप को मिलों पर ले जाकर मिलिंग करवायेगा तो ५० परसेन्ट पैडी मिल को हमें लेवी के रूप में देनी पड़ेगी । इस व्यवस्था के नीचे अभी तक किसान के पास में कुछ पैडी, जिसको वह रोके बैठा है, जिसको वह प्रोसेसिंग करवा कर साफ नहीं करा रहा है, जिसकी वजह से आज प्रोसेसिंग का काम मिल में बन्द पड़ा है; इसलिए हमने इसमें सुधार के दृष्टिकोण से यह पसन्द किया है कि चावल जहां कहीं भी किसान के पास पड़ा है पैडी के रूप में, उसको हमारा फूड कोर्पोरेशन किसान से सीधे या व्यापारियों से सीधे सौदा करके, कीमतें तय करके उस रेट पर धान और चावल को खरीद सकता है जिसको हम पैडी कहते हैं, जिसके ऊपर छिलका लगा है । इस प्रकार से खरीदा हुआ पैडी, जो कोर्पोरेशन के पास आवेगा वह कोर्पोरेशन मिल को बेच सकता है अपना रीजनेबल मार्जिन रख कर और वे मिलें जो उसका प्रोसेस करेंगी उन लाइसेन्स्ड मिलों को प्रोसेस करने के बाद ५० परसेन्ट सरकार को लेवी के रूप में देना पड़ेगा और पचास परसेन्ट जो उनके पास बचेगा उसको वे राजस्थान के किसी इलाके में, जहां स्वयं बेचना चाहें बेच सकेंगी, और अगर स्वयं बेचने में असमर्थता प्रकट करती हो तो वापिस उस चावल को फूड कोर्पोरेशन को बेच सकते हैं और वह उसको जो लेवी के हिसाब से आया है, चाहे खरीद के रास्ते से आया हो, राजस्थान के किसी भी इलाके में बिना किसी रोक-टोक के फूड कॉर्पोरेशन को बेच सकती हैं।

ऐसा करने से कोटा, बूंदी और झालावाड़ के किसानों को आज जो फूड की प्रोब्लम हो रही है, इस व्यवस्था के बाद उनको इस प्रकार की प्रोब्लम नहीं रहेगी और उससे मिलें भी चलने लगेंगी और उचित मूल्य भी फूड कोर्पोरेशन के जरिये, चाहे व्यापारियों के पास हो, चाहे किसानों के पास हो, उनको इस प्रकार से सौदा करके काम की व्यवस्था को चलाने में लाभ होगा और राज्य सरकार को भी कुछ चावल प्राप्त हो सकेगा । यह चावल की नीति के बारे में घोषणा करना चाहता हूं ।

इसके साथ-साथ खास तौर से चने के प्रश्न को लेकर सदन में कई बार कई प्रकार के विवाद चले हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि लगातार खाद्यान्नों के अन्दर जो हमारी स्थितियां इन पिछले दो सालों में बदलती रही हैं और चूंकि राजस्थान में पिछले पांच वर्ष के योजना-काल में तीन साल अकाल के वर्ष रहे हैं और इस साल भी सबसे ज्यादा अकाल की विभीषिका का हमें सामना करना पड़ रहा है इसकी वजह से सरकार की नीतियों पर, जैसा आपने कहा कि शुरू शुरू में जब ६४-६५ के वर्ष में हमारी पैदावार राजस्थान में सभी धान्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छी थी, पैदावार के आंकड़े भी जैसा आपको पता है करीब हमने ५०-५१ लाख टन खाद्यान्न पैदा किया था, पल्सेज आदि को छोड़ दीजिये । इन सारी स्थितियों में चना साढ़े सात लाख टन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के लगभग पैदा हुआ था। सवा लाख टन का स्टॉक सरकार ने बनाया। इतना ही भाग चने के रूप में लेवी के आधार पर आया, इस नीति को लागू करने के बाद यकायक अकाल की परिस्थितियां डेवलप होने लगी। जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उस नीति में आपने यकायक रोक दिया बाहर जाना, तो इसलिए हमने अपनी नीती बदली।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कोई मोरल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट व्यापारियों के साथ करना चाहती हो। यह कोई सरकार की नीति नहीं है। पर हमारे सामने ऐसे प्रश्न खड़े थे। जब एक तरफ पाकिस्तान की युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तनावपूर्ण स्थिति थी, फौजें युद्ध के मोर्चे पर एक दूसरे के सामने आ गई थीं, दूसरी तरफ जो विदेशी सहायता हमें मिलती है उसके रूप में किसी प्रकार की आगे, भविष्य में रुक जावेगी यह, जब वह परिस्थिति हमारे सामने नहीं थी, अकाल की गम्भीरता थी। निश्चित तौर से राजस्थान की जनता के हित को ध्यान में रखकर सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि यह जो पचास परसेन्ट के बेसिस पर चना जा रहा है, उस पर रोक लगाना जरूरी है। उन परिस्थितियों को ख्याल में रखकर जो माल बाहर जा रहा था या सरकार खरीद रही थी, उसको रोक दिया गया।

रोकने के बाद में आपने कहा कि जो चना एन. ओ. सी. के नीचे बाहर जाना चाहिये था वह नहीं रुका। एन. ओ. सी. का प्रोसेस था। १५ दिन की मियाद में बाहर भेजना पड़ता था। पर वैगन नहीं मिलने से और दूसरी ऐसी ही मजबूरियों से अगर माल बाहर नहीं जाता था तो १५ दिन का जो ऑब्जेक्शन सर्टीफिकेट वेलीडेट करने की भी प्रथा थी और जब तक यह सारी कार्यवाही नीति के रूप में नहीं रह गई तब तक यह कार्यवाही चलती रही। पर एक दिन तो आना था। जब ये परिस्थितियां बन गई तो निर्यात पर रोक लगाई और जैसा पहले भी निवेदन कर चुका हूं, कि सिवाय पांच मामलों के गंगानगर के और दो-तीन और जगहों के, जिनके बारे में निश्चित तौर से अफसर लेवल पर लॉ डिपार्टमेन्ट की राय लेकर इस बात का फैसला करना पड़ा कि इसके सिवाय रास्ता नहीं है कि यह चना तो बाहर जावेगा। इस तरह के पांच-सात केसों को छोड़ कर किसी भी आदमी को कोई चना बाहर नहीं ले जाने दिया गया और एन. ओ.-सी. के सारे मामले को कैबिनेट में अलग-अलग, २७–२८ हजार क्विन्टल की तादाद बनती है, ११ से १९, ये तीन दिन के गैप का तथ्य ऐसा था कि हाकिमों को पूरी जानकारी नहीं मिली, व्यापारियों को भी यह चिन्ता लगी कि इस मौके पर जितना कमाया जावे, कोशिश करें। यहां तक कि सरकार को माल तुलवाना था तो किसी अफसर से बात करके इन लोगों ने दौड़-भाग में अपना माल तुलवा दिया, केवल एन. ओ. सी. का माल स्टॉक में नहीं था। तो इस तरह से मिल-जुल कर कार्यवाहियां की गई। जब हालत गुजरने लगी तो मैंने स्वयं ने डिप्टी डाइरेक्टर और दूसरे अफसरों को मौके पर भेजा। उनके गोडाउन सील किये गये। कागज हाथ में लिये गये। एन्क्वायरी की गई और कई अधिकारियों को सस्पेण्ड भी किया गया। जांच और चार्ज-शीट का काम चल रहा है। तो इन दो-तीन दिनों की परिस्थितियों को छोड़ दीजिये और सात-आठ उनको छोड़ दीजिए।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रिट याचिकाएं की थीं और जो कुछ सर्मन हाई कोर्ट ने दिये पढ़कर सुनाये गये। मुझे उनकी जानकारी पहले से थी।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन व्यापारियों के साथ अन्याय करने की मन्शा नहीं थी और हुआ क्या है ? जो मुश्किलात हैं उनको भी मैं समझता हूं। जो व्यापारी चने का एक्सपोर्ट कर रहे थे उनका वह माल यदि वे चाहते तो जल्दी भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रोसेस बना लिया जिससे धीरे-धीरे माल निकालते जायें और वे यह सोचते थे कि यह व्यवस्था हमेशा चालू रहेगी। कई नये-नये मुल्ला, जिन्होंने कभी चने का व्यापार नहीं किया, उन्होंने भी कुछ सौदा कर लिया, उन लोगों की बड़ी हार्डशिप है इस कानून के लगने के बाद और आज राजस्थान में जो चना है वह २ लाख टन के लगभग है और यह वह है कि जो वक्त के ऊपर नहीं उपयोग किया गया; तो आज जो भाव इन लोगों ने काफी मंहगे भाव से खरीदा था और जिसको आसानी से बेचने की नीयत नहीं है, बल्कि व्यापारी लोग यह आशा लगा कर बैठे हैं कि हमें यह फिर बाहर भेजने का मौका मिलेगा और वे इस बात का इन्तजार कर रहे हैं, लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हम राजस्थान के बाहर भेज कर खुला कर दें और जिसके बारे में माननीय विरोधी पक्ष के नेता कह रहे थे कि गुजरात में और महाराष्ट्र में इतने भाव हो रहे हैं, गुजरात में १००–११० रुपये क्विन्टल चने का भाव है और महाराष्ट्र में १२५-१३० रुपये क्विन्टल के लगभग चने का भाव है। क्योंकि ये दोनों स्टेट्स चने के मामले में डेफिसिट स्टेट्स हैं। तो हमारे पड़ोस के स्टेट्स में ५४-५५ रुपये क्विन्टल, पंजाब के अन्दर चने के भाव हैं और मध्यप्रदेश में ५७-५८ रुपये क्विन्टल के हैं। ये दोनों ही सरप्लस स्टेट्स हैं, तो ये हमारे पड़ोस के स्टेट के भाव हैं और जो डेफिसिट स्टेट्स हैं गुजरात और महाराष्ट्र, वहां जो भाव हैं, उनको मैंने अभी पहले अर्ज कर दिया है। यू. पी. में चने के भाव ६०-६५ के बीच में चल रहे हैं जबकि वह न ज्यादा सरप्लस और न डेफिसिट स्टेट हैं चने के मामले में। क्योंकि वह बहुत बड़ी पोपुलेशन का प्रान्त है इसलिए वहां के भाव इस प्रकार से चल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने जो चना बाहर भेजा था उसकी एवज में क्या मंगाया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने नहीं भेजा। हमने बहुत कम गुजरात और महाराष्ट्र को दिया था और ४७–४८ के भाव पर दिया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रोफिट ऑफ बार्गेन पर जो आपने चना दिया.....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह भाव मैंने आपको इसलिए बताये कि आगे जो कुछ बात मैं कहने जा रहा हूं वह इससे संबंधित है। इसलिए पहले आप मेरी बात सुन लीजिए और फिर बोलिये।

मैं आगे कहना चाहता था कि राजस्थान सरकार उन व्यापारियों को नुकसान की नीयत के साथ उनके साथ कुछ नहीं करना चाहती थी और न ही चाहती थी कि उनको नुकसान पहुँचे। राजस्थान सरकार इसको

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं चाहती। राजस्थान के अन्दर जो पुराना चना पड़ा है उसको घुनने न दिया जाये, खराब नहीं होने दिया जाये, वह प्रान्त के बाहर किसी इलाके में काम आ सकता है तो उसको उनके काम नहीं आने दिया जाये, यह भी सरकार नहीं करना चाहती। लेकिन हम दूसरे तरीके से उसको करना चाहते हैं। हमने फूड कोर्पोरेशन को इसकी आज्ञा जारी कर दी है कि राजस्थान में किसी भी इलाके में जो पुराना चना, जैसा भी किसी के पास है, जिसको कोई बेचना चाहे वह फूड कोर्पोरेशन को ३१ मार्च के पहले पहले ५५ रुपये की रेट तक, जैसी-जैसी उस माल की क्वालिटी है, वह फूड कोर्पोरेशन उनसे खरीद ले और जो लोग बेचना चाहते हैं वे बेच दें। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के बाद राजस्थान के किसी भी किसान को या व्यापारी को जिसके पास पुराना चना है और जो भाव मैंने पंजाब और मध्यप्रदेश के बताये, ५५ रुपये की लिमिट पर राजस्थान के अन्दर पुराने चने को फूड कोर्पोरेशन को इसकी व्यवस्था करने का मैं अवसर दे देता हूं तो मैं समझता हूं कि जिन व्यापारियों के मोरल दृष्टिकोण की बात अभी कह रहे थे उनके लिए भी कोई प्रश्न बाकी नहीं रह जाता है।

इसी तरह से दाल के बारे में खास तौर से कुछ मिलों की समस्यायें हैं। जिन लोगों ने पुराने चने को लेकर दाल बनाई है उनके लिए फूड कोर्पोरेशन को कह दिया है कि फूड कोर्पोरेशन दाल मिल से या और लोगों से, जिनके पास चने की दाल है, क्योंकि चने और दाल के बीच में थोड़ा मार्जिन रहता है वह ६१ रुपये क्विन्टल तक चने की दाल राजस्थान के दाल मिल से या किसी भी व्यापारी से क्वालिटी के अनुसार उसको खरीद ले और फूड कोर्पोरेशन में खरीदा हुआ चना और दाल को भारत सरकार के कहने के अनुसार, जितनी जरूरत राजस्थान को है उतना रख लें और इसके बाद में जितना अधिक माल होगा, बिना ज्यादा मार्जिन के, हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे इलकों में जहां डेफिसिट इलाका है, जहां भाव ऊंचे हैं, उनको हम रीजनेबल रेट्स के ऊपर उस माल को उनके पास पहुँचा दें। इस व्यवस्था को हम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि आम तौर से गेहूं के बारे में, चने के बारे में, चावल के बारे में जो भी प्रश्न हमारे यहां पर इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों के सामने, व्यापारियों के सामने थे उनको मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था हमने की है और जिसकी मैंने अभी घोषणा की है, वह सबको सहूलियत देगी।

आखिर में मैं उस प्रश्न पर आता हूं जो कि नीति का है। खास तौर से कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ और इन तीनों के साथ साथ प्रतापगढ़ जो कि चित्तौड़ जिले में है, हालांकि उसके लिए चित्तौड़ से आने वाले किसी माननीय सदस्य ने कहा नहीं लेकिन वह भी इससे जुड़ा है, राजस्थान सरकार ने जो नाकेबन्दी की है और वहां के किसानों को जानबूझ कर राजनैतिक दृष्टिकोण में डालने की कोशिश की है, ऐसी राज्य की नीति हो यह सही नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस खाद्य के प्रश्न को राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखें। मैं इसी पहलू से इसको हमेशा देखने की कोशिश करता हूं। यह ठीक है कि मक्का खरीदने की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दृष्टि से जहां स्टॉक बनाने की बात का प्रोमिज़ मैंने किया था और मैंने पिछले सत्र में कहा था कि हम करीब १।। लाख टन का स्टॉक बनाना चाहते हैं और इसमें से लाख टन के करीब तो ऐसा धान हो जायगा जो कि लेवी के रूप में वसूल होगा और ५० हजार टन सरकार ओपिन मार्केट से खरीदेगी।

जैसा माननीय सदस्यों को पता है और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में ११ हजार गावों में अकाल है और धान की पैदावार बहुत से इलाकों में नहीं हुई है और जहां थोड़ी–बहुत हुई वहां के लिए सोचा था कि लेवी की व्यवस्था लागू करेंगे क्योंकि हम बरसात अच्छी होने के आसार मानकर चलते थे, लेकिन जब हालत बदल गई तो हमने उस कानून को बन्द कर दिया। इससे राजस्थान के किसानों को बहुत राहत मिली। अगर उस कानून को चालू रखते तो हमारे और किसानों के सामने काफी दिक्कतें होती। फिर जिस इलाके से हम ले सकते थे, तो भी राजस्थान सरकार के पास २०-२५ हजार टन आने वाला था जहां कि हमने १।। लाख टन का स्टॉक बनाने की बात सोची थी। यदि हम ऐसा फिर भी करते तो किसानों में हलचल मच जाती। इसलिए उस कानून को स्थगित कर दिया और उस कानून को कैंसिल कर दिया और उसके बाद में जो स्टॉक ५० हजार टन का ओपन मार्केट से खरीदने की बात को कहा था उसके लक्ष्य के अन्दर भी उत्पादन सारे राजस्थान में कम हुआ तो वह स्टॉक हमको कहां से मिल सकता था? जो राजस्थान के सरप्लस पोकेट्स नजर आये उनके ऊपर हमारी निगाहें गईं और वे सरप्लस पोकेट्स–कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़ जिले का प्रतापगढ़। इन जगहों पर रीज़नेबल भाव में किसानों को जहां मिनिमम प्राइसेज़ पहले से प्रेस्क्राइब कर रखी हैं, उन भावों को ध्यान में रखते हुए किसानों को पिछले तीन सालों में औसत से जो कीमतें बाजार में हैं उनको ध्यान में रखते हुए, हमने निश्चय किया कि ४४, ४५ और ४३ के ऊपर ज्वार और अलग-अलग रेट्स हैं जिनके ऊपर डिटेल में मैं कहना चाहूंगा क्योंकि रेट्स के बारे में भी माननीय सदस्यों को कुछ शिकायतें थीं जिनका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। पर जो मक्का और ज्वार खरीदने का निश्चय किया और जो मक्का ४२-४३ और ४६ रुपये क्विन्टल, जिसको हम लेकर के राजस्थान के अलावा दूसरे जिलों में सरकार के जरिये पहुंचा रहे हैं जो कि आगे जाकर ५५, ५६, ५४ और ५३ रुपये क्विन्टल दूसरे इलाके में पड़ता है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्टॉक ३० हजार टन का हमने रखा है। यह १० हजार टन का स्टॉक इन तीन इलाकों से–कोटा, बूंदी और झालावाड़ से बनाना पड़ता है। उसके बाद में इस व्यवस्था पर हम और सोचने का विचार कर सकते हैं जब तक कि और दूसरी चीजें हमारे सामने नहीं हों। फिर आने वाली रबी की प्रोक्योरमेन्ट में जो गंगानगर और उदयपुर के पांच-चार जिले हैं इनका एक जोन बना कर, इन जिलों के पास जो ज्यादा है, जो सरप्लस है, उसको लेकर डेफिसिट एरियाज़ में भेजने की व्यवस्था करनी है। इसमें न कोई जनसंघ जी राजनीति का सवाल है, न कांग्रेस की राजनीति का सवाल है और न ही किसानों को घाटा देने की बात है। क्योंकि आपके पड़ोस में ही जो मध्य प्रदेश का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इलाका है और जहां पर किसानों को जो दाम ज्वार और मक्का के मिल रहे हैं उससे कोई रुपया-दो रुपया कम मिलता हो तो उस बात को छोड़ दीजिए। मुझे पूरी जानकारी है कि जो कुछ दाम हम किसानों को कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़ के इलाके के अन्दर दिला रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ा अन्तर पड़ौस के जमाने को देखते हुए नहीं है........

श्री कृष्णकुमार गोयल : राजस्थान के और इलाकों में क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान के और इलाकों की बात आप छोड़ दीजिए क्योंकि दूसरे इलाके अभाव-ग्रस्त हैं, वहां पर इतनी कमी है कि जिसकी वजह से उनका मुकाबला कोटा, बूंदी, झालावाड़ के इलाके से नहीं किया जा सकता। उनके पड़ोस में जो मध्य प्रदेश का इलाका है उससे आप मुकाबला कर सकते हैं। यह बात समझ में आ सकती है कि पिछले तीन साल के अन्दर किसानों को जो कीमत मिली हैं उसका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के डेफिसिट इलाकों से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अभी इम्पोर्टेड व्हीट की स्थिति भी देश में सुधरी है और इस सुधरी हुई स्थिति का लाभ राजस्थान को भी मिलने वाला है। इम्पोर्टेड व्हीट और इम्पोर्टेड माइलो की वजह से ही, हमारे पास पूअर स्टॉक होते हुए भी हम आने वाली कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकेंगे, यह विश्वास हमको बनता है। इसी विश्वास के साथ हम काम कर भी रहे हैं और इसी विश्वास के साथ किसान भी काम कर रहे है। और कभी ये किसान उनकी मदद करते हैं और कभी वे, इनकी मदद करते हैं, यही भावना हमको रख कर चलना होगा और इसी से जो समस्यायें हैं देश के अन्दर, अन्न की समस्या है, उसको हल करना है, इन बिगड़े हुए हालात को पार करना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें सवाल यह है कि जो आपने कोटा, बूंदी, झालावाड़ और प्रतापगढ़ के लिए मिनिमम भाव बांध रखे हैं तो उसके मुकाबले में जो मिनिमम भाव आपने और जगहों पर फिक्स कर रखे हैं उन्हीं के मुकाबले यहां के भाव भी ऊंचे करने की कोशिश करेंगे ताकि मिनिमम वाजेज जो और जगह के किसानों को मिलते हैं वे ही यहां के किसानों को मिल सकें। क्या सरकार यहां के भावों को ऊंचा करने को तैयार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मिनिमम बढ़ाने का तो सवाल कहां है ? मैंने कहा कि मिनिमम प्राइसेज़ का प्रश्न तो तभी खड़ा होगा जब नेक्स्ट खरीफ की फसल आएगी। आने वाली बरसात और जमाने को देखकर इस प्रश्न पर निर्णय किया जायेगा। जो हमारे देश में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन काम करता है, जो सरकार से सलाह करके मिनिमम प्राइसेज़ तय करता है, वह करेगा नई फसल के आसार देखकर और नई बरसात की हालत को देखकर। जिस समय इस बारे में फैसला करेंगे तो उसी समय कोटा, बून्दी, झालावाड़ का ही प्रश्न नहीं है, बाड़मेर, जालौर, के इलाके हैं इनके बारे में भी फैसला होगा। इन सब को अलग–अलग मानकर चलने का सवाल नहीं है, अलग-अलग फैसले का सवाल नहीं है, राजस्थान को एक भाग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मान कर नई मौसम पर गौर करने के बाद जिस समय भाव फिक्स करने का सवाल खड़ा होगा, उस समय किया जायेगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न यह है कि आप कहते हैं कि किसानों को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं । किसानों को उचित मूल्य मिले—कोटा, बून्दी, झालावाड़ में भी तो जो आपने घोषणा की है उससे भी कोटा, बूंदी, झालावाड़ से अनाज बाहर जाने वाला नहीं है । आपने यह तो रख दिया है कि राजस्थान के किसी भी हिस्से में मेक्जिमम भाव नहीं है लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है उससे भी व्हीट बाहर आए, यह सम्भव नजर नहीं आता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि व्हीट वहां पर जो सरप्लस होगा उसको हम खरीदेंगे और फूड कोर्पोरेशन की मार्फत खरीद कर व्हीट को बाहर लायेंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या कीमत देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको तो फूड कोर्पोरेशन निगोशियेट करेगी, मार्केट में दूसरी जगह जो भाव होंगे उनको देखकर फूड कोर्पोरेशन ट्रांजेक्शन करेगा । आज कैसे फिक्स कर सकता हूं ? जहां तक व्हीट का सवाल है, चावल का सवाल है मैं समझता हूं कि जो घोषणायें मैंने अभी की हैं आप उन पर गम्भीरता से सोचेंगे तो आपको फिर आगे सोचने की गुंजाइश कम हो जायेगी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि जो खास तौर से इन इलाकों की दूसरी समस्या है व्यापारियों के सामने और हमारे सामने, वह यह है कि वहां पर कुछ पुरानी ज्वार है, कुछ पुरानी मक्का है और उस पुराने ज्वार और मक्का को वहां के व्यापारी बाहर ले जा नहीं सकते क्योंकि हमने पाबन्दी लगा रखी है, अब हमें उस माल को खराब होने से बचाना है और वह कैसे काम में आ सके इसके लिए हमने फूड कोर्पोरेशन को आदेश दे दिए हैं कि उस पुराने ज्वार और मक्का को रीजनेबल प्राइस पर वहां के व्यापारियों से खरीद कर राजस्थान के और किसी इलाके में लाकर बेच दें और अपना मार्जिन जो एक-दो परसैन्ट पड़ता हो वह लगा कर डेफिसिट इलाके में बेच दें । वहां पर जो पुरानी ज्वार और पुरानी मक्का है उसके भाव वहां के व्यापारियों से मिल कर तय कर लें और उस भाव पर खरीद कर दूसरी जगह ले जाकर बेच दें । मैं समझता हूं कि इतनी व्यवस्था हमने की है और जो ये सारी व्यवस्थायें हम करने जा रहे हैं उसके बाद राजस्थान के आम लोगों की, खास तौर से व्यापारियों की, कंज्यूमर्स की और प्रोड्यूसर्स की जो समस्याएं हैं मैं समझता हूं कि इसके बाद उनको कम से कम शिकायत रहेगी और उनको शिकायत करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी ।

खाद्यान्न के वितरण के सवाल पर कहने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय सदन का खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बन्ध में कहने के लिए लेना चाहूंगा । देश के अन्दर खाद्यान्न की कमी है । इस खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए चौथी योजना के ऊपर जैसा भारत सरकार ने कहा है हमें सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन की तरफ ध्यान देना है । चौथी योजना के अन्दर राज्य सरकार ने यह व्यवस्था रखी है कि खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से जिन योजनाओं को टाइमली हाथ में लिया जा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकता है, उनको हाथ में लिया जाना चाहिये।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि स्वर्गीय शास्त्रीजी की अपील के बाद देश के किसानों के अन्दर एक नई प्रकार की जान आई है और सरकार ने भी काफी तेजी से उस दिशा में किसानों के साथ मिलकर कदम बढ़ाने की कोशिश की है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में रबी की फसल में जो कुछ प्रयत्न सरकार और किसानों के द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने और खराब हालत को सुधारने की कोशिश की गई है जो कुछ प्रयत्न इन इलाकों में किए गए हैं अगर आपके सामने और सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखूं तो उनको सुनकर आपको खुशी होगी। खास तौर से मैं कुछ जिलों की जो पर्फोर्मेन्सेज हैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। सिंचाई विभाग ने अपनी पूरी कोशिश करके पंचायत समितियों से, जिला परिषदों से जो वहां की पंचायतें हैं और किसानों से इस बात का सहयोग करके जो कुछ इलाके नालों में, खालों में, दरड़ों में और ऐसी जगहों में जहां पर पानी बेकार पड़ा रहता था उस पानी को लिफ्ट के जरिये उठा कर बारह हजार एकड़ के अन्दर इस प्रकार नई सिंचाई की व्यवस्था की है जो आज तक राजस्थान में नहीं किया गया था। बारह हजार एकड़ के अन्दर खेती की गई है। अगर आप यह मानें कि एक एकड़ में पन्द्रह या बीस मन अनाज का प्रोडक्शन होता है तो इस तरह से कितना प्रोडक्शन हुआ है, यह आप देखिए। यह सब पंचायत समितियों के और इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के प्रयत्नों से हुआ है। आपको, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी जानकर खुशी होगी और सदन के माननीय सदस्यों को भी कि खास तौर से सीकर और झुंझुनू जिले में किसानों ने बहुत की है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं इसके लिए। सरकार ने भी जहां तक हो सका सहयोग किया और इसकी वजह से सीकर और झुंझुनू जिले में एक हजार कुए जो आज तक कभी नहीं चले थे उन पर किसानों ने इस साल मेहनत करके इन कुओं को चालू किया है; कहीं पर बिजली से और कहीं पर पुराने मेयड़ से। उनके इस कार्य से २१ हजार एकड़ जमीन खास तौर से सीकर और झुंझुनू जिले में गेहूं और धान के उत्पादन के लिए खेती के नीचे आई है। मैं यहां पर खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं जालोर जिले के किसानों का। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया। पिछले साल एक लाख बीस हजार की लागत से एक डेम रेत का बनाया था। इसकी वजह से पिछले साल बरसात के बाद करीब १२ हजार एकड़ में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। इस साल करीब १७ हजार एकड़ में पैदा होगा, सिर्फ १ लाख के खर्चे में........

एक माननीय सदस्य : फिर भी बाजार में गेहूं बिकता नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अक्लमन्द हैं।

वही माननीय सदस्य : आंकड़ों के जाल में डालना चाहते हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको अक्लमन्द का खिताब दे दिया, और क्या चाहते हो?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : गई साल भी आपने आंकड़े बताये थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आंकड़े नहीं बताऊं तो क्या सो जाऊं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जालौर जिले में इस साल स्पेशियली सरकार, पंचायत समितियों और किसानों के प्रयत्न से जो काम किया गया है वह इतिहास का प्रकरण है वहां पर ४० हजार एकड़ एडीशनल व्हीट-क्रॉप पैदा की गई है इस साल जो आज से पहले किसी भी साल में आंकड़े थे उससे ४० हजार एडीशनल एकरेज बढ़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में, खास तौर से जैसलमेर जिले में, जहां पर खास तौर से ट्यूब वेल चान्दन और ११।१२ दूसरे थे उनके अलावा जो ३० ट्यूब वेल हैं जिनमें पम्प लगाकर अगले साल शुरू करना चाहते हैं, जहां पर २५०-३०० एकड़ में नई फसल पैदा करेंगे। जालौर डिस्ट्रिक्ट में १८० खडील टूटे हुए पड़े थे उनको सिंचाई विभाग ने हाथ में लेकर ठीक करवाया है, उनमें से ३० बड़े बड़े थे जिनमें से एक एक पर एक एक हजार और पांच पांच सौ एकड़ जमीन का इरिगेशन अच्छी ३ इंच बरसात हो तो दो क्रॉप्स तैयार हो सकती हैं, उनको पिछले ६ महीनों में तैयार कर दिया है और आने वाली बरसात तक १८० खडील में से एक भी खडील को बाकी नहीं रखना चाहते हैं जिनको पहले रोक दिया था। बड़े पैमाने पर लिफ्ट इरिगेशन के जरिये छोटे-मोटे इरिगेशन वर्क्स को जोड़ कर एडीशनल एरिया अंडर कल्टीवेशन लाना चाहते हैं। इसको एचीव करने का काम, वार पैमाने पर हो रहा है....

श्री जोधसिंह चौहान : एक तरफ आप यह कह रहे हैं और दूसरी तरफ जयसमंद झील, जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है और पानी से भरी पड़ी है जिससे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है उसको रोकने के कारण हजारों एकड़ में फसल सूख रही है, सूख जायगी। सरकार ने वहां पर लिफ्ट इरिगेशन नहं किया है, इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसका जवाब दे दूंगा।

श्री जोधसिंह चौहान : यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, वहां पानी भरा है....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मुझे क्या नया ज्ञान दे रहे हैं....

श्री जोधसिंह चौहान : वहां पर बिना पिलाये गेहूं सूख जायेगा, सरकार ने इरिगेशन का इन्तजाम नहीं किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सिंचाई तालाबों के जरिये, नये कुए बना कर, पुरानों की मरम्मत करके....

श्री जोधसिंह चौहान : भारत सरकार से निवेदन किया है, आपसे कहना चाहता हूं, आप भी वहां पर पहुंचे नहीं हैं...

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पहुंच जाऊंगा, देख लूंगा, लिफ्ट भी करवाऊंगा, सब होगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि प्रोडक्शन बढ़ाने के दृष्टिकोण से नये कुए बना कर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पुरानों की मरम्मत करवा कर हर तरह से प्रयत्न किया है। फेमिन के बारे में एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि राजस्थान में फेमिन फ्रीक्वेन्टली पड़ता है; कोई इलाज ऐसा हो जिससे हर दूसरे-तीसरे साल पड़ने वाले फेमिन के कारण दिक्कत न हो....

एक माननीय सदस्य : पानी भरा है जयसमंद में, उसको उपयोग में कब लोगे ?

श्री जोधसिंह चौहान : सबसे बड़ी लेक है, पानी से भरी है, हजारों बीघा जमीन इसके नीचे है, जिसका आधा गेहूं पानी बिना पिलाये सूख जायेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझता हूं, जोर से कहने से सिंचाई नहीं हो जायेगी। मैं आपकी बात को समझता हूं, भावना को समझता हूं। जोर से हल्ला करने से क्या होगा ?

श्री जोधसिंह चौहान : आपके कान बहरे हैं। क्या करूं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे कान खुले हैं, आप जितने जोर से बोलते हैं उतने बहरे हो जाते हैं।

मैं निवेदन कर रहा था, फेमिन के बारे में एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने ऑलरेडी फैसला किया है फेमिन के लिये आने वाले दस साल के लिए योजना बनाई जाये ताकि जो फेमिन रिलीफ का काम चलता है वह योजना का एक अंग बने। वरना अब भी फेमिन पड़ता है तुरन्त बात सोचते हैं, किसी गांव को किसी सड़क से जोड़ते हैं, पुराने तालाब की मरम्मत करवाते हैं, नया बनवाते हैं; इसके बजाय ऐसा कदम उठाया जाये जिससे जो भी पैसा लगाया जाये, जो भी काम शुरू करें वह परमानेन्ट बने और उसका लाभ किसानों को मिले। इस बात को ध्यान में रख कर आने वाले दस सालों के लिये फेमिन प्लान या ब्लूप्रिन्ट तैयार करने का निर्णय लिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : शास्त्रीजी के काल के पश्चात् राजस्थान गवर्नमेन्ट ने एग्रीकल्चर विभाग के लिये डाइरेक्टली और पंचायत के माध्यम से कितना एडीशनल फंड अलॉट किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके बाद १ करोड़ रुपया अलॉट किया है, शास्त्रीजी की अपील के बाद एडीशनल प्रोडक्शन के काम में लगाया जा चुका है।

रावल श्री अमरसिंह (पचपदरा) : मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं........

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बात अवश्य सुनूंगा, जज साहब।

रावल श्री अमरसिंह : यह जो आपने फरमाया वह अच्छी चीज है, योजनाबद्ध फेमिन के लिये काम करेंगे, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि वह काम कौनसी एजेन्सी के सुपुर्द किया जायेगा और यह योजना कब शुरू होगी और जहां इस साल फेमिन है उस क्षेत्र में किस रूप में होगी; इस पर प्रकाश डालेंगे तो आभारी होऊंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि मैंने अर्ज किया था आने वाले १० साल के लिये फेमिन के लिये योजना या ब्लूप्रिन्ट तैयार करवाने के लिये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सैक्रेटेरियट लेवल पर अलग अलग विभाग जो इससे संबंधित हैं, उनकी एक कमेटी निर्माण करने का सोचा है और नेक्स्ट केबिनेट को मीटिंग में इसको फाइनेलाइज करने जा रहे हैं। ऑफिशियल लेवल पर कमेटी के जरिये खास तौर से फेमिन के जिन कामों को प्रायोरिटी देकर चलाते हैं जिनका चित्र मैंने सामने रखा, नये कुए बनाना, पुराने कुओं की मरम्मत करवाना. पुराने टेन्क्स को ठीक करवाना. नये टेन्क्स जहां पर बनवाये जा सकते हैं वहां बनवाना, छोटे वर्क्स शुरू करना आदि ये इरिगेशन के प्रायोरिटी वर्क्स हैं। एग्रीकल्चर का जहां तक संबंध है सोइल कंजर्वेशन का काम, कंटूरबंदी, रोटेशन ऑफ क्रॉप, ग्रेजिंग जिसमें पाश्चरलैंड का डेवलपमेन्ट उसमें शामिल होता है, इन सारी चीजों में सोइल कंजर्वेशन का प्रोग्राम, कुए बनवाने का प्रोग्राम, टेन्क्स बनवाने का प्रोग्राम और दूसरे वर्क्स हैं जिनको प्लान के साथ जोड़ा जा सकता है, उनको टोप प्रायोरिटी देकर आने वाले १० सालों में कहीं पर फेमिन हो तो योजना के अलावा उनको लेकर प्रोडक्शन के काम में ज्यादा से ज्यादा पर्मानेन्ट उपयोग मिल सके; इस तरह से योजना बना रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पुराने टेन्कों को ठीक करवाने के लिये अजमेर जिले में पैसा भेज दिया क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास अलग अलग जिलों को इन्फोर्मेशन नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बरसात के पहले पहुंच जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बरसात से पहले जाने में ही फायदा है यह मुझे क्या सिखा रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, काम जिनको हाथ में लिया है, ले रहे हैं, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब बरसात कम होती है तब कुओं में पानी कम होता है उनको बोर करने के लिये या चट्टानों को ब्लास्ट करने के लिये किसानों की काफी बड़ी, अलग-अलग इलाकों में, मांग है उसको पूरा करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको मार्फत माननीय सदस्यों से कि ५० कम्प्रेशर्स इमिडियेटली खरीदे हैं और आ चुके हैं। इसके लिये मर्सिडीज ट्रक्स रिलीज मिलिटरी से होते हैं ऐसे १५-१६ ट्रक्स आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उनको अलग अलग जिलों में जहां माननीय सदस्यों की मांग है, कुओं में पानी कम है वहां अलॉट किया जाय, गर्मी में किसान कुओं को ब्लास्ट करने के बाद ज्यादा गहरा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसकी अहमियत को समझ कर हमने इसके लिये व्यवस्था की है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०): बोरिंग की रेट्स क्या होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मुझे बताइये, कौन सी रेट वहां लगी हुई है रेट्स लगी हुई हैं, नई रेट्स लगाने नहीं जा रहे हैं। आप सारी बात जानते हैं; नहीं जानते हैं तो यह मौका नहीं है हर बात पूछने का। मैं यहां रोज बैठा रहता हूं, मुझसे आकर पूछ लें। लेकिन आप पूछते हैं ऐसे मौके पर जब मैं कोई सीरियस बात कह रहा हूं, तब आप रेट्स के बारे में पूछें। मैं रोज यहां बैठा रहता हूं, आपको रेट्स बता दूंगा अगर आपको जानकारी नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था कि आज किसान

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की ये जरूरतें हैं कि उनके लिए ट्यूबवेल्स बनाये जायें, कुछ इलाकों में जहां वेल्स हैं, उन वेल्स का बोरिंग किया जाये। इसके लिए खुशी है कि फोरिन एक्सचेन्ज की डिफिकल्ट पोजीशन होते हुए भी राज्य सरकार ने भारत सरकार का सहयोग प्राप्त कर बारह नये रिंग ट्यूबवेल्स के लिए पोलिश गवर्नमेंट से खरीदने का फैसला कर लिया है। वह फैसला अब इम्प्लीमेंट होने वाला है। वह मशीनरी हमें रुपी करेन्सी के अन्दर आने वाले दो तीन महीने में प्राप्त हो जायेगी। मैं आपको निवेदन करूं कि एक रिंग करीब तीन लाख का है, आज फोरिन एक्सचेन्ज की, विदेशी मुद्रा की स्थिति खराब है फिर भी रुपी करेन्सी में पोलिश सरकार ने हमें देना स्वीकार किया है। तो अब बारह नये रिंग आने वाले हैं और ११ पुराने रिंग हमारे पास हैं, चालीस-पचास पुराने कम्प्रेसर हमारे पास हैं और चालीस-पचास नये कम्प्रेसर आने वाले दो तीन महीनों में मैदान में उतरेंगे। ऐसी स्थिति में राजस्थान के किसानों के कुए गहरे करने और रॉक ब्लास्ट करने की समस्या है वह हल होने में इन सब चीजों का सहयोग प्राप्त होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगली साल में और ज्यादा नये कम्प्रेशर्स हों क्योंकि आज जो किसानों की कुओं की मांग जितनी है उसका दस प्रतिशत भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। किसानों को इतनी कुओं को गहरा कराने की मांग है, इतनी राक ब्लास्ट करने की मांग है—और इधर देश में टोप प्रायोरिटी हमारे प्रोडक्शन प्रोग्राम को देने का सवाल है इसलिये आने वाले दो-तीन महीनों में चालीस-पचास नये कम्प्रेशर्स जल्दी खरीदने की और उनको मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश है कि किसानों की जमीन को पानी दे सकें, ज्यादा पानी दे सकें ताकि ज्यादा रकबे में काश्त करें।

उसके बाद, जैसा सदन के माननीय सदस्य जानते हैं, आज देश में फर्टीलाइज़र की कमी है। आज देश में, जैसा कि कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे, यह जरूरत है कि दवाइयों का उपयोग ज्यादा हो। मैं निवेदन करूं कि पैकेज डिस्ट्रिक्ट पाली के किसानों ने दवाई पर्पज और फायदे को जितना समझा है उतना दूसरे इलाके के किसानों ने नहीं समझा है इसलिए वे दवाई की मांग कर रहे थे। हमारे देश में जितनी कीट-नाशक दवाइयों की कमी है, जितनी फर्टीलाइज़र की कमी है इस स्थिति में जितनी कीट-नाशक दवाई और फर्टीलाइज़र हमको मिलेगा वह बाटेंगे और किसानों को देंगे।

इसी प्रकार क्रोप्स के लिए जितना आने वाले वक्त में होगा अच्छे बीज देंगे, खास तौर से हाइ-ब्रीड बाजरे के लिए राजस्थान के इलाकों में और खास तौर से राजस्थान नहर के इलाकों में हाइ-ब्रीड बाजरे के जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, करीब सौ एक्सपेरीमेंट ले आउट किये गये। उसके जो परिणाम हुए वह माननीय सदस्यों को मालूम होंगे। करीब एक एकड़ में ३५ मन पैदावार हुई है। इसी प्रकार से मैक्जिमम ४८ मन तक पैदावार हुई है। उस बीज को हम ज्यादा जमीन पर राजस्थान में दे सकें इसलिए हम प्रयत्नशील हैं और हमने पांच सौ मन के लिए मांग की है। मुझे पता नहीं कि कितना मिलेगा क्योंकि हमारे देश में कमी है। इस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रकार से गेहूं का जो मेक्सिको बीज है, जिसकी हमें अपने यहां ट्रायल करनी होगी। वह राजस्थान में बहुत थोड़ा आया था, लेकिन उसके रिजल्ट जो कुछ मैंने देखे हैं वे अच्छे हैं लेकिन असल रिज़ल्ट तो हार्वेस्ट के टाइम में मालूम होंगे। ३० आर. डी. एस. राजस्थान की सबसे अच्छी वेराइटी है जिसके मुकाबले में मेक्सिको ब्रीड से करीब दुगुनी या ढ़ाई गुनी पैदावार होगी। साथ ही उसमें पानी की जरूरत कम होती है और उसको साइज़ इतनी कम है, और उसमें फर्टीलाइज़र और लोगिंग की कैपेसिटी मौजूद है। तो मेक्सिको गेहूं के बीज के, हाई ब्रीड बाजरे की पैदावार के ८० एक्सपेरीमेन्ट हमारे यहां हुए हैं और उसका एक एकड़ का प्रोडक्शन है वह पचास मन तक आया है। यह बीज, जो बहुत रेअर है मैं नहीं कहता कि राजस्थान में हम बहुत बड़े पैमाने पर दे सकेंगे लेकिन हम कोशिश कर रहे है इस बात की कि ज्यादा से ज्यादा दे सकें। इसी प्रकार अच्छी ब्रीड और हाई ब्रीड मेज की हो, जो हमारी रणजीत वेराइटी थी उससे अच्छी वेराइटी हो, जिसके लिए कम पानी की जरुरत हो और जो जल्दी पकती हो–हमारी रणजीत ब्रीड वेराइटी देरी में पकती है इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। इन तीनों वेराइटीज को करने के बाद जितना मात्रा में अच्छा बीज आये उसको बांटें, जितना फर्टीलाइज़र हमारे पास है वह दें और पानी की सिंचाई के लिए व्यवस्था की जा सके, अकाल के जो प्रोग्राम हैं उनको करें और जो एक्सपेरीमेंट्स के लिए प्रोग्राम है उनको एक्सटेंसिव तौर पर करें और उत्पादन के बारे में देश में कान्समनेस हो और उसमें और तेजी होनी चाहिए इन सब बातों को ध्यान में रख कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यह सरकार और सदन के अन्दर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं जिनमें से आम तौर पर बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं, किसान हैं किसानों में दिलचस्पी रखते हैं, किसानों की जरूरत की इन चीजों में जो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं-वे इन सब बातों का प्रचार करें और जो धन पंचायत समितियों में दिया जाय उसके लिए देखें कि उसका सदुपयोग हो और ऐसा वातावरण हम बनाना चाहते हैं जिसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली इन चीजों का उपयोग करके हम कन्धे से कन्धा मिला कर काम कर सकें। इससे, मैं समझता हूं कि राजस्थान का उत्पादन बढ़ेगा और देश का उत्पादन भी बढ़ेगा।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल: भूमि सुधार के बारे में बता दें, उसमें क्या कर रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा: भूमि सुधार के बारे में जब चौधरी साहब ने कहा था तब आप कहां थे?

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल: आप भी कुछ बता दें भूमि सुधार के बारे में।

श्री नाथु राम मिर्धा: मैं सब छोटी छोटी बातें आपको बताऊं। मेरा अकेले का ठेका तो है नहीं।

एक माननीय सदस्य: कूओं के बारे में बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा: बहुत बताया है माननीय सदस्यों को भूमि सुधार के बारे में और कितना बताऊँ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मैं यह जानना चाहता हूं . . .

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं समझता हूं, सदन का दो-चार मिनट का टाइम रह गया है, इतने में मैं अपनी बात कन्क्लूड करना चाहता हूं। भूमि सुधार की बात आगे करेंगे।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : भूमि सुधार की बात में पूछ रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि अगले भाषण में बताऊंगा। आप भूमि सुधार की बात भी पूछ लेना। अभी बहुत भाषण होंगे, यह अन्तिम भाषण नहीं दे रहा हूं आज।

मैं निवेदन कर रहा था कि एग्रीकल्चरिस्ट उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हम सब लोगों का काम है कि किसानों में बहुत बड़ी जागरूकता हो। मैं समझता हूं कि प्रचार का काम केवल टेक्निकल ऑफिसर्स का नहीं है। इसलिए हम यहां पर सिर्फ पोलिटिक्स की बात नहीं करें कि यह भ्रष्टाचार हो गया, यह रिश्वतखोरी हो गई, और यह सारा शासन बिगड़ गया। ये घिसी पिटी बातें रोज रोज कहें कि ये कमर तोड़ टैक्स हैं, रोज रोज यह कहें कि बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, इन सब बातों को छोड़ दें। हां, एक हद तक जब कहने का मौका आये तो कह दें। लेकिन किसानों को कहें कि अच्छी खेती करो, अच्छा काम करो, खेती के तरीकों में सुधार हो, इसके लिए काम करें, बिजली गांव में पहुंची है उसका अच्छा उपयोग किसी तरह से हो यह किसानों को सिखायें। इसके अलावा किसानों को बहुत सी बातों कि जानकारी नहीं है आप यह मान कर चलते हैं कि बहुत सी जानकारी किसानों को नहीं है इस लिए हम उनको सारी बातें बतायें और किसानों को हम सारी सही जानकारी दें। बाकी जो आपके पास पोलिटिकल नारे हैं चार-पांच, वह आपको कहने चाहिए वह नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या, उनको जरूर कहें, सभाओं में कहें, जनता में कहें, टैक्स लगा, दिया कमर तोड़ टैक्स लगा दिया है, यह जरूर कहें। मुझे उसमें ऐतराज नहीं, लेकिन हम किसानों को एक बात कहते हैं, तुम्हारे कुओं में बिजली पहुंच रही है, गांवों में बिजली की लाइन पहुंच रही है, किसान खुद अपने कुओं में मोटर लगा रहे हैं, इसके अलावा हम लोगों को तकाबी दे रहें हैं। लोन दे रहे हैं, उस समय भी आप यह कहें तो आप भले ही अपनी बात कहिये कि जो टैक्स लगे हैं वे कमर तोड़ टैक्स हैं। आप कहे लेकिन हम कहेंगे कि आपके पास से जितना पैसा लेकर जाते हैं उसको आपके लिए ही और देश के लिए लगा कर देश में समाजवाद लायेंगे....

श्री भगलाल (हिण्डोन-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त हो रहा है। सदन का समय बढ़ा दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : टैक्स लगाये हैं वे कमर-तोड़ टैक्स लगाये हैं, आप ऐसी टैक्सों की बात कहिये, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप स्वतंत्र व्यापार की बात कहें। लेकिन यह कोई आपकी नीति की बात नहीं है। आपकी नीति गोलमोल हैं, यह मुझे लगता है। आप ताशकन्द समझौते को ना-पसन्द करते है तो इसलिए ही कहने लग जायें कि फौज को बन्दूक ठीक करने के लिए तेल नहीं मिला। आप ताशकन्द समझौता....।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ठीक करने का तेल नहीं था।

श्री नाथूराम मिर्धा: वहां राइफल ठीक करने का तेल नहीं था। आप यह इसलिए कहते हैं

(श्री नाथूराम मिर्धा)
क्योंकि ताशकन्द समझौता आपको ना-पसन्द है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): ताशकन्द समझौते के लिए तो आने वाला इतिहास बतायेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा: वह बतायेगा, आप क्यों हल्ला करो? आप मेरी बात सुन लें........

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय समाप्त हो रहा है, क्या सदन की अनुमति है....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): इन्हें अपना भाषण समाप्त करने का आदेश दे दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: Order please!

श्री नाथूराम मिर्धा: आप सुनना चाहें तो मैं कह दूं। हमें तो मतलब नहीं है, आप नहीं सुनना चाहते हैं तो हम चले जायें।

श्री उपाध्यक्ष: Order please! क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय पन्द्रह मिनट के लिए बढ़ाया जाये?

श्री जोधसिंह चौहान: हम माननीय मंत्री का भाषण और सुनना चाहते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल: दो मिनट का समय और बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: इस सदन का समय पन्द्रह मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

(५. म. प.)

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं आपको बहुत कष्ट नहीं दूंगा! मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। ताशकन्द समझौते को ना-पसन्द करने वालों में आप लोग हैं इस बात को सारा हिन्दुस्तान जानता है। हिन्दुस्तान इस बात को भी समझता है कि अगर यह ताशकन्द का समझौता नहीं होता तो आज आपकी योजनाओं के सम्बन्ध में सोचने की बात करते हैं वह दूर रहती। सुरक्षा खर्च जो ३।। सौ करोड़ से १५ सौ करोड़ हो गया। लोगों को शान्ति नहीं होती तो आप जानते हैं कि आपके भाव कहां पहुंचते।

श्री जोधसिंह चौहान: जोधपुर में बम्ब पड़े, हम सब जानते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: आपने क्या किया आपने यह किया कि जब लड़ाई समाप्त हो गई तो आप वहां पर काजी बन कर गये।

एक माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष के): आप नेफा और लद्दाख को भी दे डालिये।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप बोलते हैं तो हम डिस्टर्ब नहीं करते। आप जरा शांति से सुनें। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि ताशकन्द का समझौता आपको पसन्द नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान: आपकी नीति क्या है, यह तो स्पष्ट कर दें?

श्री नाथूराम मिर्धा: आपकी नीति हम जानते हैं। आप थोड़े से आदमी हैं। आपके पसन्द या ना पसन्द करने से होता क्या है? कौन पूछता है।

श्री जोधसिंह चौहान: हमें ५८ पर्सेन्ट वोट मिले हैं। हम यहां पर ५८ पर्सेन्ट

(श्री जोधसिंह चौहान)
लोगों के वोटों से बैठे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि ज्यादा जनता हम लोगों को चाहती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यह कहते हैं कि सीमाओं पर सिपाहियों के पास राइफल को साफ करने के लिये तेल नहीं था....

श्री जोधसिंह चौहान : आपके साथियों ने ही कहा है। हम नहीं कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको जनता भी समझती है। आप इसलिये कहते हैं कि आपका भाषण अखबारों में आ जावेगा।

श्री जोधसिंह चौहान : आप तो अखबारों के लिये बोलते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारा तो कुछ नहीं लिखें तो ठीक हैं। हम तो मूक लोगों के प्रतिनिधि हैं, जो कुछ नहीं बोलते।

आखिर में मैं यह अपील करता हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, देश की जनता बड़ी है, हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारे सामने खाद्यान्नों की मूल समस्या है और वह इस ओर बैठने वालों की ही समस्या नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के एक-एक वोटर की समस्या है जिसको सोचने का उनको हक है। वे इस बात को सोच रहे हैं कि कहीं शांति न रहे तो आप जानते हैं कि क्या स्थिति होती है। मैं यह कहूंगा कि हम सब लोगों को ईमानदारी से, लगन और वाणी और कर्म में कम से कम अन्तर करके समाज में आवें और इस सदन में आवें और लोगों में नई बात पेश करें तो हमारा और आपका यहां पर बैठना फायदे की बात ही रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं।

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण के बारे में मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते कि हमारे देश में विकास के काम कुछ हुए हैं क्योंकि अगर हम हमारे यहां की १६ साल पहले की तस्वीर को देखें तो हमें मालूम होगा जो हमारे सामने है। सब लोग इस बात को महसूस करेंगे कि हमारे यहां पर जो योजनाएं चालू हुईं, उनके लिए सरकार का कायदा था कि उन को हम गांवों तक पहुंचावेंगे और सरकार ने पंचायत समिति के लेवल पर इस तरह के विकास खण्ड कायम किये और शिक्षा को गांवों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बीड़ा उठाया। यह सही है कि हमारी सरकार ने पंचायत समितियों में बहुत भारी पैसा दिया। परन्तु इन पंचायत समितियों में जो लोग जाते हैं वे फिजूल खर्ची करते हैं। मैं आपको किशनगढ की बात बताना चाहता हूं। वहां पर १० लाख का बजट है, वहां पर ६ लाख खर्चा कर्मचारियों की तनख्वाह पर हो जाता है। इसी प्रकार म्युनिसिपैलिटी का २॥ लाख का बजट है उसमें से १॥ लाख खर्चा तनख्वाह पर हो जाता है।

अब हम विकास की बातें करते हैं कि हमारे यहां बहुत विकास हुआ। सरकार की मंशा है किसानों को राहत देने की। चाहे वह सड़कें बनाने के रूप में हो, चाहे पम्पिंग सेट लगाने के रूप में हो, चाहे तकाबी देने के रूप में हो, या और किसी रूप में हो, चाहे भेड खरीदें, चाहे गायें खरीदें। सरकार ने उनको अच्छे पैसे दिये। यह सही है, लेकिन उसको हमने उस काम

(श्री बालचन्द डागा)

के लिये खर्च किया नहीं, यह सरकार का कसूर नहीं है यह तो हम लोगों का क़सूर है जो लोग चुने हुये हैं, और पैसा खा जाते हैं । इस कारण सड़कें बन नहीं पाती हैं, भेड़ें खरीदी नहीं जाती हैं और पंपिग सेट और तक़ाबियों के लिए जो पैसा दिया जाता है उसका सही उपयोग नहीं होता । इसलिए मैं संबन्धित माननीय मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि वे देखें कि यह पैसा जो सरकार की ओर से दिया गया है वह उचित कार्य के लिए खर्च हुआ है या नहीं । आपको इस प्रकार की मिसाल हर जगह मिलेगी कि जिसको सरकार ने पैसा दिया चाहे ट्रैक्टर खरीदने के लिए दिया हो चाहे और किसी कार्य के लिये तो वह ट्रैक्टर नहीं खरीदा जाता है और वह रुपया किसी दूसरे कार्य के लिए काम में लिया गया है । पंपिग सेट के लिए रुपये दिए गये ६०००) उनको भी दूसरे काम में खर्च किये गये । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार से रुपये लेकर किसी दूसरे कार्य में खर्च कर दिए हैं उनसे वे रुपये वापिस लिए जाने की व्यवस्था की जाये और जिसने कुछ रुपया ही खर्च किया है उनसे बचे हुए रुपये वापिस लिए जाने की व्यवस्था की जाये ।

शिक्षा के क्षेत्र में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हमारा देश इस दिशा में आगे बढ़ा है । मैं आपका ध्यान किशनगढ़ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और यह निवेदन करूंगा कि किशनगढ के बारे में पहले भी मैंने निवेदन किया कि वहां पर कॉलेज का बिल्डिंग नहीं बना हुआ है । इसके लिए सुखाड़ियाजी और दूसरे मंत्रियों ने आश्वासन दिया था मगर फिर भी अभी तक नहीं बन पा रहा है । इसके नहीं बनने से वहां पर कितनी कठिनाइयां होती हैं । आज कॉलेज और हायर सेकन्डरी स्कूल एक ही बिल्डिंग में चलती है नतीजा यह होता है कि सवेरे लड़के ठंड में जाते हैं और वर्षा में भी उनको समय पर जाना पड़ता है । एक बिल्डिंग में दोनों समय क्लासेज चलना ठीक नहीं है । इससे बच्चों को परेशानी होती है इसलिए बिल्डिंग बनाने में आप खर्च करिये । दूसरी बात यह है कि हमारे यहां विज्ञान की शिक्षा शुरू हुई है । मगर हमारे यहां हायर सेकन्डरी में विज्ञान की शिक्षा चालू नहीं है और कॉलेज में चालू है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हायर सेकन्डरी में विज्ञान कि क्लास नहीं है तो कॉलेज में क्या लड़के आवेंगे वे अजमेर से आवेंगे ? जिस समय नाथूरामजी शिक्षा मंत्री थे उस समय मैंने उनको लिख कर इस सम्बन्ध में दिया था । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि अब तो वहां पर बिल्डिंग बननी चाहिये ।

भ्रष्टाचार हमारे यहां पर फैला हुआ है और राज्यपाल महोदय ने इसका अपने अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया । इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे यहां रूपनगढ तहसील में एक थानेदार थे बहुत डकेत थे और कुछ लोगों ने कहा कि इनको पकड़वाना चाहिए । उन्होंने २००) मांगे थे । एन्टी-करप्शन को ३००) देकर उन पर दस्तखत करवाये और ३००) देकर भेजा । उसको यहां के एन्टी करप्शन के डी० एस० पी० हैं उन्होंने उसको रेड हेन्डेड पकड़ा । पकड़ कर थानेदार की जमानत दी और दुर्भाग्य की बात है कि दो-तीन महिने बाद वह थानेदार फिर हमारी छाती पर आ खड़

(श्री बालचन्द डागा)

हो गया। एन्टी करप्शन के आई० जी०, श्री हनुमानजी शर्मा के पास गए तो उन्होंने कहा कि केस नहीं बनता क्योंकि वह रुपया किसी मकान में मिला। मैं कहता हूं कि थानेदार जहां बैठता है उसी के पास एक आलमारी में वह रुपया मिला और वही नोट थे ए० डी० एम० के जिन पर दस्तखत करवाये थे पर फिर भी उन्होंने कहा कि केस नहीं बनता। क्योंकि सिफारिश पहुंच गई, उज्ज्वल साहब की सिफारिश पहुंच गई। वह भी बारहट और वह भी बारहट। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार भ्रष्टाचार करने वालों को रेड हैंडेड पकड़ते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

क्रूड ऑइल के बारे में महाराजा हरिश्चन्द्रजी से बात हुई, हमारे यहां चार गाड़ियां क्रूड ऑयल की आई हैं, २८ पैसे लीटर के हिसाब से क्रूड ऑयल वहां से रवाना होता है, उस पर ७ या ८ पैसा रेलवे का भाड़ा-खर्चा पड़ता है, इस तरह ३५ पैसे लीटर में वह पड़ता है और ४० पैसे लीटर के हिसाब से बेचने की कन्ट्रोल रेट है। पर वहां ५५ पैसे लीटर के हिसाब से बेचा गया, तीन रोज में बिक्री हुई है। चार गाड़ी चार रोज पहले रेलवे स्टेशन पर आई हैं, दो गाड़ी तो बिक गई हैं और दो गाड़ियां बिकनी हैं। किसने ब्लेक मार्केट किया? कांग्रेस के चेयरमैन हैं उन्होंने ब्लेक किया है.......

(शोरगुल)

गाड़ियां दूसरी पार्टी की हैं, आप निगाह करलें, वह क्रूड ऑयल आदित्य मिल का था।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : कौनसी गड़ियां?

श्री बालचन्द डागा : क्रूड ऑइल की, ३३,२५० लीटर की तीन गाड़ियां हैं और १६ हजार लीटर की एक गाडी है, ५५ पैसे लीटर में वह बिकी है।

इसी तरह वन विभाग का एक मामला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ८ हजार मन चारे के लिए २५ हजार रुपया ढोने का कार्य दिया, लेकिन वह चारा ४ हजार मन ही निकला। साढे छः रुपये मन के भाव से तो ढुलाई की कीमत हो गई थी। इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले आपके सामने हैं।

वैसे ही वाटर वर्क्स के बारे में बताना चाहता हूं। (१५,००,०००) रु० वाटर वर्क्स पर खर्च किया, पर कुए में पानी नहीं, किशनगढ़, मदनगंज को ५ मिनिट भी पानी दे सके उतनी भी उसकी क्षमता नहीं। इसलिए प्रोपोजल भेजा है। कुएं खुदवाने के लिए उन प्रोपोजल्स को जल्दी से जल्दी भिजवादें ताकि लोगों ने नल लगाने के लिए पैसा खर्च किया है उसका दुरुपयोग नहीं हो।

इसी तरह मैं सस्ते न्याय के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सस्ते न्याय के बारे में आप जानते हैं। पुलिस में जो रिपोर्ट करने जाता है पुलिस वाले उससे पैसे खा जाते हैं, उसके बाद जिसके खिलाफ रिपोर्ट की गई है उससे भी पैसे खा जाते हैं और जो रिपोर्ट करने वाला है उसके ऊपर १८२ का मुकदमा चला देते हैं। आखिर हम भी निगाह रखते हैं, हम आपसे सही बातें ही कहेंगे।

अकाल के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा, नाथूरामजी से खास तौर से कहना चाहता हूं क्योंकि वे सिंचाई मन्त्री

(श्री बालचन्द डागा)
हैं। मैं अजमेर में एक्स. इ. एन. से मिला उन्होंने कहा कि तालाबों के लिए पैसा हमारे पास नहीं आया है। इस समय तालाब खुद जावें तो अच्छा हो बरसात के समय रुपया तालाबों को खोदने के लिए भेजते हैं तो....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : कौन से तालाबों को खोदने का प्रश्न है ?

श्री बालचन्द डागा : सिंचाई के।

श्री नाथूराम मिर्धा : सिंचाई के तालाब कभी नहीं खुदते।

श्री बालचन्द डागा : हमारे किशनगढ़ के सिंचाई के तालाब हैं उनको आप ठीक करने के लिये........

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, तो मरम्मत के लिए कहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हुआ। सदन की बैठक कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.१५ बजे दिनांक ५ मार्च, १९६६ के म. पू. ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम गोविन्दपुरा में प्लान्टेशन के लिए रोकी गई जमीन का उपयोग

१३०. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील अटरू जिला कोटा में करीब दस साल से कुछ जमीन प्लान्टेशन के लिए रोकी गई है ?

(२) क्या यह सच है कि इस जमीन का अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि यह जमीन काबिल काश्त है, परन्तु वन विभाग ने इसे रोक रखा है ?

(४) यदि हां, तो इसका क्या उपयोग किया जाने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, कुछ हिस्सा काबिल काश्त है। मगर प्लान्टेशन की वजह से काश्त के लिए नहीं दिया जा सकता।

(४) इसका उपयोग इस जमीन पर प्लान्टेशन लगा कर भूमि कटाव को रोकने के लिए किया गया है और इस प्लान्टेशन से घास भी इकट्ठा किया जाता है।

गाड़ियों का दुरुपयोग

१३१. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि वर्तमान डिप्टी डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर, सघन कृषि कार्य, पाली द्वारा विभाग की गाडियों का बहुत ही दुरुपयोग किया जाता है ? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी द्वारा कितनी बार विभाग की गाड़ी से जयपुर व जोधपुर व दिल्ली की यात्रा की गई व उक्त यात्रा करने से पूर्व उच्च अधिकारी से स्वीकृति ली या नहीं जो नियमानुसार जरूरी है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है कि वर्तमान उप-संचालक (सघन कृषि) पाली द्वारा विभाग की गाड़ियों का दुरुपयोग किया जाता है। जोधपुर, जयपुर की जब जब भी यात्रा की गई है उसका सर्टिफिकेट आदेशानुसार उप-संचालक द्वारा दिया गया है और उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसका हवाला लाग बुक में इन्द्राज किया जाता है। पिछले पांच वर्षों में कब कब जीप गाड़ियां जयपुर और जोधपुर गई उसका पूरा विवरण तैयार कराया जा रहा है। पंचायत समितियों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १४ जीपें हैं जिनमें से १० पंचायत समितियों की हैं।

दिल्ली के लिए उप-संचालक, कृषि कभी भी कोई सरकारी गाड़ी लेकर नहीं गये।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले

१३२. श्री श्रवणलाल (हिंडौन-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिलाधीश जयपुर के कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तबादला आये दिन तहसीलों में या तहसीलों से यहां कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप लास्ट-पे सर्टिफिकेट आदि के समय से नहीं पहुंचने से उन्हें अपनी तनख्वाह उठाने में कई महीने लग जाते हैं ?

(२) ऐसे उक्त कर्मचारियों की संख्या बताई जावे जिनको पिछली तनख्वाह का मामला इन तबादलों के कारण उलझा हुआ है ?

उत्तर

(१) नहीं । यह सही नहीं है ।

(२) जब इस प्रकार के स्थानान्तरण हुये ही नहीं तो संख्या देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वैद्यों का सेवा-काल, नियुक्ति एवं फिक्सेशन

१३३. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में जो वैद्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से आये हैं उनका सेवा-काल उनकी नियुक्ति की तारीख से न मानकर १-७-५९ से माना है ?

(२) क्या यह सही है कि जो वैद्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सेवा में थे उनको ५५ वर्ष की आयु से ही राज्य सेवा से पृथक किया गया है ? यदि हां, तो कितने वैद्यों को तथा उनकी पेंशन के बारे में सरकार ने क्या विचार किया है ?

(३) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से आये हुए वैद्यों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जो वैद्य जिला बोर्ड से आए उनका सेवा काल नियुक्ति की तारीख से ही माना है।

(२) जी नहीं ।

(३) फिक्सेशन हो चुका है ।

ग्राम पंचायत विलंग द्वारा नये बांध बनाने की मांग

१३४. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत विलंग, पंचायत समिति कामां ने नये बांध की मांग के लिए पंचायत के प्रस्ताव द्वारा सिंचाई विभाग को प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो यह प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुआ और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था । हां उक्त प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अलवर द्वारा आदमी भेजकर पंचायत से अब अवश्य मंगवाया गया है ।

Page No. 120

चित्तौड़गढ़ एवं गंगरार में भूमि का एलाटमेंट

१३५. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील चित्तौड़गढ़ एवं गंगरार में भूमिहीनों को भूमि देने की योजना के अन्तर्गत जमीनें एलॉट हुई हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि एलॉट की गई काफी जमीन अब तक गैर-आबाद पड़ी हुई है और उसे केवल घास प्राप्त करने का साधन बनाया गया है ? अगर हां, तो ऐसे कितने काश्तकार हैं और उनके खिलाफ क्या कदम उठाये गये हैं।

उत्तर

(१) अलॉटमेंट रूल्स, १९५७ के तहत भूमि अलॉट की गई है।

(२) अलॉटमेंट की शर्तों के अनुसार एक वर्ष तक आधी भूमि गैर आबाद रक्खी जा सकती है। अधिकतर लोगों ने शर्तों के अनुसार भूमि आबाद कर ली है। शर्तों को तोड़ने वाले किसानों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। ऐसे किसानों की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

तहसील बसवा में बंध निर्माण की योजना

१३६. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या तहसील बसवा (बांदीकुई) में बन्ध रेडिया चांदेरा के निर्माण के लिये कोई योजना है व सर्वे हुआ है ? यदि हां, तो कब और कितने रुपये की योजना है ?

(२) क्या इस बंध के निर्माण के विषय में पंचायत समिति द्वारा व जन-प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का ध्यान दिलाया गया है ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

(३) क्या यह सही कि इस बंध के निर्माण से तहसील बसवा के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है और जयपुर राज्य के समय में इस बंध के निर्माण की योजना बनी थी ?

(४) क्या सरकार आगामी वर्ष अथवा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस रेडिया चांदेरा के बंध के निर्माण को सम्मिलित करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। योजना-स्थल की जांच की जा रही है। इसकी अनुमानित लागत १० लाख के करीब होगी।

(२) जी हां।

(३) जी हां, उत्पादन में कुछ वृद्धि अवश्य होगी किन्तु जयपुर राज्य के समय में यह योजना बनी अथवा नहीं इसकी जानकारी नहीं है।

(४) जी हां, यदि योजना उपयुक्त पाई गई और आवश्यक धनराशी उपलब्ध हो सकी तो।

नीलाम होने वाली भूमि पर किसानों का कब्जा

१३७. श्री हरीप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की केशवराय पाटन तहसील में कोलोनाइजेशन के अन्तर्गत चम्बल क्षेत्र में भूमि नीलाम की जा रही है?

(२) क्या यह सही है कि जिस भूमि को नीलाम किया जा रहा है उन पर किसानों का पुराना कब्जा चला आ रहा है।

(३) क्या यह सही है कि इस प्रकार बिना कब्जा छुड़ाये भूमि नीलाम किये जाने से झगड़े बढ़ रहें हैं और किसानों में मुकदमेबाजी हो रही है?

(४) क्या इसमें ऐसे किसान भी हैं जो भूमिहीन हैं और अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य हैं?

उत्तर

(१) जी हां। यह सही है कि जिला बूंदी के तहसील केशवराय पाटन में कोलोनाइजेशन के अन्तर्गत चम्बल क्षेत्र में भूमियों को नीलाम किया जाता है।

(२) कुछ ऐसे खण्ड हैं और उनके विषय में आदेश संख्या एक ३ (५५) रेवे०। बी। ६० दिनांक १-४-१९६० की रोशनी में अधिकृत कब्जों को नियमित किया जाता है।

(३) जो भूमि ट्रेसपासर्स के कब्जे में हैं तथा जिन्हें नियमानुसार नियमित नहीं किया जा सकता है ऐसे ट्रेसपासर्स के खिलाफ सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा धारा ९१, राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट अन्तर्गत आदेश संख्या एक ३ (५५) रेवे०। बी। ६० दिनांक १-४-१९६० की रोशनी में कार्यवाही की जाती है। दफा ९१ के तहत वैध करण न हो सकने पर ट्रेसपासर्स के अधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जाती है और तत्पश्चात् वह जमीन नीलाम की जाती है।

(४) सर्क्यूलर दिनांक १-४-१९६० के अर्न्तगत आने वाले भूमिहीन किसान वे किसी जाति के हों। उसमें दी हुई रियायतों के पाने के हकदार हैं।

फोरेस्ट रेन्ज का आफिस

१३९. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ, तहसील प्रतापगढ में फॉरेस्ट रेन्ज ऑफिस सालमगढ़ का फॉरेस्ट डिविजन चित्तौड़ नहीं है।

(२) क्यां यह सत्य है कि इस रेन्ज को चित्तौड़ फॉरेस्ट डिविजन में मिलाने हेतु पंचायत समिति अरनारा और जिला परिषद् चित्तौड़गढ का प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिया गया है? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाया गया है?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इस रेन्ज का एरिया प्रतापगढ तहसील में है? यदि हां, तो इस रेन्ज को चित्तौड़गढ फॉरेस्ट डिविजन में मिलाने में क्या रुकावट आ रही है?

(श्री हरलाल मीणा)

(४) क्या इस तहसील की जनता को जंगलात सम्बन्धी कार्य के लिये बांसवाड़ा और चित्तौड़ जाना पड़ता है और क्या इस तहसील के सब विभागों का संबंध चित्तौड़ जिले में है? यदि हां, तो इस दिक्कत को कब तक मिटा दिया जायेगा?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। जिला परिषद् चित्तौडगढ़ ने १६-११-६५ को ऐसा प्रस्ताव पास किया है। परिषद् द्वारा वन संरक्षक उदयपुर को भेज दिया गया जहां उस पर विचार हो रहा है।

(३) जी नहीं, इस रेन्ज का थोड़ा सा भाग ही प्रतापगढ तहसील में आता है। बाकी भाग जिला बांसवाड़ में है।

(४) जी हां। इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव जिला चित्तौड़गढ़ ने पास किया है उस पर विचार किया जा रहा है।

एवज में दी गई भूमि पर कब्जा

१४०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि जीतू पिता लखमा एवं गोकल पिता लखमा कुमावता निवासी नारेला, तहसील चित्तौड़गढ की कोई भूमि बनकिया बांध की डूब में गई है? अगर हां, तो कब?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के लिये एक्वीजीशन की उक्त कार्यवाही नही की गई? अगर हां, तो क्यों?

(३) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. चित्तौड़गढ ने उक्त व्यक्तियों को जमीन के एवज में ग्राम तुमड़िया में ४१॥ बीघा देना तजवीज किया था?

(४) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त व्यक्तियों को भूमि पर कब्जा नही दिया? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी हां, उक्त कृषक की २२ बीघा १४ बिस्वा भूमि बनाकिया बांध के डूब में सन् ६१-६२ में आई थी।

(२) जी नही, उक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही नियमानुसार की गई है।

(३) जी हां।

(४) जी हां, भूमि अवाप्ति अधिकारी चित्तौड़गढ ने दिनांक ११-८-६४ को डूब में आने वाली भूमि के बदले में खातेदारों को मौजा तुमड़िया में जमीन देने का अवार्ड जारी किया, मगर उसके विरुद्ध तुमड़िया ग्राम वासियों की वरनोट भूमि होने की उजरदारी के कारण उक्त व्यक्ति भूमि पर कब्जा नहीं कर सके।

ग्राम मांगरोल की जनता को मिलने वाली चीनी की मात्रा में वृद्धि

१४१. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मांगरोल (पंचायत समिति अन्ता) की जनता को प्रति परिवार आधा किलो शक्कर दी जाती है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) इस ग्राम का आबादी के अनुसार माहवारी कोटा कितना निर्धारित है ?

(३) क्या यह सही है कि चीनी की मात्रा बढाने के लिए सम्बन्धित एस. डी. ओ. को प्रार्थना की गई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) औसतन ५७ बोरी माहवार।

(३) जी नहीं।

सांगोद में सरकारी कुएं

१४२. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सांगोद में ग्राम पंचायत क्षेत्र खजूरी व ढोंढी में काश्तकारों के खेतों पर स्थित बहुत से लावारिश कुए हैं जिन्हें सरकारी दर्ज कर लिया गया है और जिन्हें काश्तकार खरीदना चाहते हैं ?

(२) राज्य की कुओं सम्बन्धी नीति स्पष्ट होते हुए भी ग्राम खजूरी में लोगों को अब तक कुए नहीं दिलवाये जा सकने के क्या कारण हैं ? ये कुए कब तक काश्तकारों को मिल जावेंगे ?

उत्तर

(१) यह सही है कि सांगोद में ग्राम पंचायत क्षेत्र खजूरी एवं ढोंढी में कुछ कुएं ऐसे हैं जो रेकार्ड में सरकारी दर्ज हैं। ऐसे कुओं को खरीदने सम्बन्धी सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(२) राज्य की कुओं सम्बन्धी नीति को सरकार की ओर से राजस्व (ख) विभाग के परिपत्र संख्या एफ ४(१०) राज। ख। ग्रुप १।६३, दिनांक १-६-६५ में स्पष्ट कर दिया गया है और इस आदेश के अन्तर्गत आने वाले कुओं सम्बन्धी झगड़े इस परिपत्र की रोशनी में निपटाये जा रहे हैं। इस आदेश के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि दिनांक ३१-१२-६५ थी।

गंग केनाल की हाईड्रोलिक सर्वे

१४३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (उदयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंग केनाल को बने हुए कितने साल हो गए ? नहरी नियमों के अनुसार केनाल बनने के कितने वर्षों बाद हाईड्रोलिक सर्वे कराया जाना जरूरी समझा जाता है ?

(२) क्या सरकार गंग केनाल की हाईड्रोलिक सर्वे करवाकर उसके अनुसार इम्प्लीमेन्टेशन करना वाजिब समझती है ?

उत्तर

(१) गंग केनाल को बने हुए करीब ३८ वर्ष हो गये हैं। हाईड्रोलिक सर्वे कराने के लिए कोई समय का प्रावधान नहीं है। जब कभी नहर में निश्चित मात्रा में जल पहुंचाने में दिक्कत महसूस होती है ऐसी सर्वे आवश्यक होती है।

(२) नहीं।

———

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ४ मार्च, १९६६)

स्कम्भ सं० १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
९७१	१	दिनांक ४ मार्च, शुक्रवार, १९६६	शुक्रवार, दिनांक ४ मार्च, १९६६
९७३	३	२ वे	रखे
९७४	१९	आश	आशा
९७६	अन्तिम	आव	–
९७७	२१	श्री रामप्रसाद लड्ढा :	–
९८०	२३	भी	भी]
९८१	१	ओर	और
,,	७	शतों	शर्तों
९८२	१५	दिवा	दिया
,,	अन्तिम से ४	लाज	लॉज
९८४	१८	२५० ?	२५० ।
९८६	६	एरियाज है	एरियाज हैं
९८८	अन्तिम	जावेगी ?	जावेगी ।
९८९	शीर्ष	(शिक्षा मंत्री) श्री बृज सुन्दर शर्मा	(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
९९६	६	सही कि	सही है कि
,,	७	प्लॉन्टेशन	प्लान्टेशन
९९७	अन्तिम से २	श्रीमती लक्ष्मीकुमरी चूंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
१०००	अन्तिम से ६	जिसक	जिसके
१००५	अन्तिम से ३ व २	(लसाढ़िया)	(लसाडिया)
१०११	शीर्ष	(श्री दलंपतसिह)	(श्री दलपतसिंह)
,,	१५	लोंगो	लोगों
१०१५	अन्तिम से २	श्री रामप्रसाद लड्डा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
१०१७	२	मध्मम	माध्यम
१०२० घ			
१०२२	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१०२०	अन्तिम से ३	होगा ।	होगा ?
१०२१	अन्तिम से २	सुबिधा	सुविधा
१०२३	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोतर	अ० स० के तारांकित प्रश्नोत्तर
१०२५	,,	तारांकित प्रश्नोतर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
१०२९	१	(१२.१८ म. प.)	(१२.०८ म. प.)

१	२	३	४
१०३१	१२	अध्यक्षजी रूलिंग	अध्यक्षजी की रूलिंग
,,	२६	टोपा	टोपी
१०३४	अन्तिम से ८	डिस्टर्वेन्सेज	डिस्टर्बेन्सेज
१०३७	शीर्षक	प्रस्ताव विषयक-४ मार्च, ६६-समिति का प्रतिवेदन	अभिभाषण सम्बन्धी—४ मार्च, ६६-प्रवर समिति का प्रतिवेदन
१०३८	७	qustion	question.
१०४०	अन्तिम से ७	wha	what
,,	अन्तिम से ६	o d r	order
१०४३	अन्तिम	अध्यक्षः-पीठ	अध्यक्ष-पीठ
१०४७	१३	श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
१०५१	२३	म	में
१०५२	१३, २६	श्रीमती सुमित्रा देवी	श्रीमती सुमित्रा
१०५३	शीर्ष	(श्रीमती सुमित्रा देवी)	(श्रीमती सुमित्रा)
१०५६	१६	मे	में
,,	अन्तिम से २	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१०५७	अन्तिम से ५	श्रीमती सुमित्रा देवी	श्रीमती सुमित्रा
१०५८	११	आ. ए. सी.	आर. ए. सी.
,,	२७	झुंझु	झुंझुनू
१०५९ से			
१०६५	शीर्ष	(श्रीमती सुमित्रा देवी)	(श्रीमती सुमित्रा)
१०६०	१	बेटा,	बेटा
,,	अन्तिम से ७	है	में
१०६१	शीर्षक	प्रस्ताब	प्रस्ताव
१०६२	अन्तिम से २	समझती	समझती
१०६३	१०	वना	बना
,,	२२	ग्रौर	ग्रोर
१०६५	अन्तिम से ७	तोब्र	तीव्र
१०६६	१५	जायगो	जायेगी
,,	१६	माननोय	माननीय
,,	अन्तिम से ६	क	का
१०६८	२०	वास्तविक	वास्तविकता
१०७०	अन्तिम	माननयी	माननीय
१०७३	१४	इन्प्लीमेन्टेशन	इम्प्लीमेन्टेशन
१०७७	६	बसूल	वसूल
१०८१	२४	उचि	उचित
१०८२	अन्तिम	ेचाह	चाहे
१०६५	१७	श्री मथुरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
१०८७	३	श्री कृष्णकुमार योयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
,,	२१	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
१०८८	५	बहा	वहां
१०८९	५	वर्णमाल	वर्णवाल

१

१	२	३	४
१०६१	अन्तिम से २	कया	किया
१०६३	११, २०, २५	श्री नाथूराम मिर्धा	**श्री नाथूराम मिर्धा**
१०६६	अन्तिम से ६, ५	एल. आइ. जी.	**एल. आई. जी.**
१०६८	,, ,, ६	ण	**श्रीमती सभानेत्री** : आप अपना भाषण
१०६६	५	जोप्स	जीप्स
११००	अन्तिम से २	व प	वंपन्स
११०२	,, ,, ११	स्प्रिरिट	स्पिरिट
११०३	,, ,, ६	को	की
११०६	,, ,, ३	पं ा	पैदा
,,	,, ,, २	अ	अकाल-क्षेत्र बना देना
११०७	१	को	की
१११२	७	कटा	कोटा
१११३	२	बेटा बाप, को	बेटा बाप को
१११४	१२	५६-७	५६-५७
११२०	१०	रकबे	रकबे
११२१	१८	कहां आज तक	आज तक कहां
११२४	१६	उन्हो ने	उन्होंने
११२८	७	ओर	और
११२६	२	चाहिए; कीड़ों	चाहिए कीड़ों
,,	३	लिए खाद	लिए, खाद
११३०	अन्तिम से ७	एक्र	एक
११३३	२१	ओर	और
११३८	२३	में	मुझे
११४१	४	परसराम जी.मोटर	परसरामजी की मोटर
,,	अन्तिम से ४	ह :	है।
११४२	शीर्षक	बिषयक	विषयक
,,	१८	पशु-पा न	पशु-पालन
११४४	५,६	उपाध्यक्ष महोदय,	सभापति महोदया,
११५१	८	त्रिपरीत	विपरीत
११५५	६	कभी चिट्ठी लिखी न तर	न कभी चिट्ठी लिखी, न तार
११५६	अन्तिम से ६	रन्फोमशांन	इन्फोर्मेशन
११६०	२०	हिन्दुस्तान	हिन्दुस्तान
११६१	१	वरागाह	चरागाह
११६४	अन्तिम से ६	पान्वदी	पाबन्दी
११६६	११	व्यापारियों के नाथ	व्यापारियों के साथ
११७०	२	वेलोडेट	वेलोडेट
,,	१३	सिबाय	सिवाय
,,	अन्तिम से ४	चाज	चार्ज
११७३	,, ,, ७	दाब	दाल
११७४	७	इलकों	इलाकों

१	२	३	४
११७७	१०	श्री कृष्ण कुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
,,	१२	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
११७८	२	कभी वे, इनकी	कभी वे इनकी
११७९	१७	दगे	देंगे
११८२	१५	माननाय	माननीय
११८४	८	नह	नहीं
११९२	शीर्षक	वाद-विवद	वाद-विवाद
,,	२२	श्री नाथुराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
११९३	अन्तिम	लगा, दिया	लगा दिया,
११९४	६	रहें	रहे
,,	१८	काई	कोई
,,	अन्तिम से २	वहा	वहीं
१२००	१३	चलू	चालू
१२०५	२	कारण समय में	कारण प्रश्न समय में
१२१०	अन्तिम से २	धनराशी	धनराशि
१२११	२	श्री हरी प्रसाद शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा
१२१२	२	रेवन्यू	रेवेन्यू
१२१३	१२	उदयपर	उदयपुर
१२१४	२०	वरनोट	बरनोट